SHRI S. M. BANERJEE: Because the proceedings will not be reported in the Press. The Supreme Court gave a judgement yesterday striking down the Central Government's order regarding the application of the Wage Board award to PTI employees. I feel because of that the PTI employees are extremely angry and they will not report even the Parliament's proceedings. So, the Government should intervene in the matter.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Banerjee, you are very clever, but I am not that dull.

Now we will proceed with the further discussion of the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture.

Shri Shivanath Singh to continue his speech.

13.55 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75-*Contd.*

MINISTRY OF AGRICULTURE—*contd.*

श्री शिव नाथ सिंह (जूगुनू) : उपाध्यक्ष जी जैसा मैं कल कह रहा था कि देश में हरित क्रान्ति हुई, खेती के मामले में प्रगति हुई लेकिन जितना काश्तकार को उस का लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया । काश्तकार द्वारा पैदा की गई चीज की कीमत तय करने का अधिकार दूसरे आदमियों को है, उस को खुद को नहीं है, जब कि इस के विपरीत उद्योग में जो माल पैदा होता है उस की कीमत स्वयं उद्योगपति तय करता है। यह ठीक है कि इन दिनों महंगाई की वजह से काश्तकार को कुछ ज्यादा पैसा मिलने लगा है, लेकिन फिर भी बिचौलिये काश्तकार की कमाई को खा रहे हैं। इसलिए ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मामले में इन बिचौलियों को आप दूर कीजिए और जितनी भी फेयर और रीज नेबिल कीमत काश्तकार को मिल सकती है वह दीजिए। बीच के आदमियों को निकालिये, और जो काश्तकार की प्रोड्यूस है उसका रीजनेबिल प्राइस पर मार्केट सरकार पैदा करे तभी काश्तकार को फ़ायदा मिल सकता है ।

दूसरी बात यह कह रहा था आज काश्तकार को सरकारी संस्थाओं से कर्ज पर पैसा मिल रहा है और उसको साहुकार के यहां नहीं जाना पड़ता' सरकार से पैसा मिल रहा है लेकिन जिन कामों के लिये किसान को पैसा दिया जाता है, चाहे कुएं हों, या ट्यूबवैल हों उन का रिटर्न उसको फौरन नहीं मिलता और उस का कारण यह है कि उसको समय पर बिजली नहीं मिलती । काश्तकार को ट्यूबवैल के लिये, पम्पिंग सैट के लिये रुपया मिलता है लेकिन पांच, पांच साल पक उसको बिजली नहीं मिलती है जिसकी वजह से उसको अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलता है । इस तरफ सरकार ध्यान दे जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े ।

एग्रीकल्चर के मामले में बहुत कुछ पेपर पर आगे बढ़ गये, जब कि वास्तविकता में उतने नहीं बढ़े क्योंकि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सैक्टर में प्लान के अन्दर जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिये वह हर प्लान में कम हुआ है: और वह इन्वेस्टमेंट घटते घटते 13 परसेंट रह गया है । अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े तो इस सैक्टर के लिये कम से कम 25 परसेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिये । इसके बगैर काम नहीं चलेगा ।

माननीय शिन्दे साहब कह रहे थे कि ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकती । मैं मानता हूं कि जो आलरेडी डेवलप्ड कन्ट्रीज है वहां ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकती । लेकिन भारत की तो एक ग्रोइंग इकोनोमी है, आज हमारे यहां बहुत सी वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, ऐसे इलाके हैं जहां सिंचाई के साधन न होने की वजह से खेती नहीं हो

[श्री शिवनाथ सिंह]

सकती, ऐसी जमीनों को खेती के अन्दर लाया जा सकता है और ग्रोथ रेट बढ़ायी जा सकती है। इसलिये ग्रोथ रेट को बढ़ाने का प्रोग्राम होना चाहिये ताकि किसान को अधिक मदद दे सकें।

आज किसान की यह हालत है कि इंडस्ट्री के लिये आप बहुत कम रेट पर बिजली देते है, जब कि किसान को 13, 15 पैसे पर यूनिट पर देते हैं। वह किसान जो खुले आसमान मे जाड़ा, गर्मी और बरसात में काम करता है 18, 18 घंटे लेकिन इंडस्ट्री में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अतः हमें किसान की वर्किन्ग कंडीशन को इमप्रूव करना पडेगा। उद्योग में काम करने वाले मजदूर की उतनी हार्डशिप नही होती जितनी कि काश्तकार को। लेकिन काश्तकार को उसकी मेहनत के अनुसार रिटर्न नहीं मिलता है। इसलिये उस को सहूलियत देनी चाहिये।

खाद और दूसरे इनपुट आपको किसान को रिजनेबिल प्राइस पर देने पडेगे। अगर नहीं देंगे तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नुक्सान पहुंचेगा। कृषि के अन्दर इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ। अगर आप 1060–61 से 1970–71 की फिगर्स को देखे तो पायेगे पब्लिक ऐक्सपेंसेज का अमाउन्ट एग्रीकल्चर पर तिगुना बढ़ा, लेकिन इंडस्ट्री पर 5 गुना बढ़ गया है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 25, 26 परसेंट बढ़ा है इन 10 सालों में। तो जहा ऐक्सपेंडिचर तिगुना हुआ है, इंडस्ट्री के मुकाबले में एग्रीकल्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट पडिनक एक्सचेजर से ज्यादा होना चाहिये था। आप कह सकते है कि-बड़े बड़े बाध, बिजली की योजनायें, इनको भी एग्रीकल्चर में ही लेते हैं तो भी 290 करोड़ से 893 करोड़ पर पहुंचा है, जब कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट 142 करोड़ की जगह 712 करोड पहुंच गया है।

आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश खाद्यान्न में सेल्फ-सफिशियेंट हैं हालांकि कागज पर ही यह है, लेकिन हम गांवों की हालत जानते हैं। पिछले साल भंयकर अकाल पड़ा और दोनों फसले खत्म हो गई लेकिन फिर भी 4 मिलियन टन अनाज हम इम्पोर्ट कर पाए और बाकी सब हमारे काश्तकारों ने दिया। इस साल भी बाहर से इम्पोर्ट कर सकने हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश में आज भी अनाज का सरप्लस भंडार है और आगे आने वाले 6, 8 महीनों में अगर एक दाना भी न हो, तो भी सरप्लस अनाज है। इस बात से चिंतित होने की आवश्यकना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाहर से जो हम अनाज मंगाते हैं उस पर हमें बहुत बड़ा एमाउन्ट खर्च करना पड़ता है। वह खर्च न कीजिये क्योंकि आज हमारे देश के अन्दर काफी भंडार है लेकिन ठीक तरह से उसको रेगूलेराइजेशन हो और किसानों से कन्ज्यूमर्स के पास वह पहुंचे, इस के लिए आपके सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है।

आपने खाद्यान्न के संबंध मे एक नई पालिसी घोषित की है कि 105 रुपये प्रति क्वींटल पर व्यापारी किसान से गेहूं लेगा और उसको 150 रुपये तक बेचने की आप ने छूट दी है। हमारे दल ने एक नीति निर्धारित की है और एक वफादार सिपाही के नाते मैं उस का पूर्ण समर्थन करता हूं लेकिन मेरी कुछ अपनी शंकाएं हैं। आप व्यापारी द्वारा 105 रुप में खरीद करने की बात सोचते हैं लेकिन हो सकता है कि 105 की बजाय व्यापारी को 125 या 130 रुपये प्रति क्वींटल में वह मिलें। आप व्यापारी को एक सरप्लस स्टेट से डफिसिट स्टेट में सप्लाई करने की इजाजत देने वाले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि और जानना चाहूंगा कि अगर एक काश्तकार आपकी लेवी की कंडीशन को पूरा कर देता है, आपको लेवी का 50

परसेंट गेहूं दे देता है, तो उसको भी आप डेफिसिट स्टेट में गेहूं भेजने और बेचने की सहूलियत देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। यह एक फिलयर कट बात है। आज किसान के मन में शंका है कि सरकार यह चाहती है कि वह व्यापारी के हाथ में जाये। वह चाहता है कि व्यापारी को मुनाफा हुये बिना वह बिके और इसके लिये एक बहुत बड़ा एजीटेशन है। पंजाब में बहुत से किसान इसीलिये अनाज नहीं ला रहें हैं। वे कहते हैं कि व्यापारी हमारे बीच में क्यों आये। इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जब आप किसान से 50 परसेंट लेवी लेने के बाद डेफिसिट स्टेटेस में अनाज बेचने की इजाजत देने वाले हैं, तो किसान को भी, अगर वह 50 परसेंट लेवी का गहूं दे देता है, डेफिसिट स्टेट्स में अगर आवश्यकता हो, तो अनाज बेचने की इजाजत हो।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपने यह सोचा कि 105 रुपये में किसान से गेहूं लिया जायगा और 150 रुपये में व्यापारी उसे बेचेगा, तो यह संभावना बनती नहीं है कि व्यापारी आपको सही रूप में 50 परसेंट लेवी का गेहूं दे दे। यह एक इम्पासिबिल बात है और यह हो नहीं सकता इसलिये कि आज आप ने 133, 134 रुपये प्रति क्वींटल के हिसाब से जो दुकानदार हैं, उनके द्वारा अपनी सप्लाई करने का भाव रखा है, तो इससे कम पर आप को कहीं गेहूं मिलने वाला नहीं है। आप क्या यह समझते हैं कि व्यापारी इतने ईमानदार हैं कि वे 135, 136 रुपये के हिसाब से खरीद कर आपको 105 रुपये पर आप को देवें। वे आपको सही कीमत देने वाले नहीं हैं। यह हो सकता है कि वे आपको मंडियों में से गेहूं न खरीदें और कहीं और से खरीदें। इसके अन्दर बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। इस लिये यह पालिसी आप एक्सपेरीमेंट के तौर पर कीजिये लेकिन इस में सुधार करने की आवश्यकता है।

एक आखरी बात। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का समझौता आपने व्यापारियों के साथ किया है, क्या आप कोई और समझौता नहीं करने को तयार हैं। आप के हैंडलिंग चार्जेज 26 और 27 रुपये प्रति क्वींटल आते हैं। क्या माननीय कृषि मंत्री जी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई 20 रुपये में इस को करने की गारन्टी दे, तो उस को आप यह काम दे देंगे। आज जो आपके 26 और 27 रुपये प्रति क्वीटल हैंडलिंग चार्जेज आ रहें हैं यह बहुत ज्यादा हैं और इसके अन्दर सारी मशीनरी का बहुत बड़ा हाथ है। और किसी भी व्यापार के लिये इस प्रकार की चीज संभव नहीं हो सकती क्योंकि इससे कन्ज्यूमर को नुकसान है और काश्तकार को भी घाटा है। इसलिये आप इन हैंडलिंग चार्जेज को कम कीजिये क्योंकि 20 और 15 रुपये प्रति क्वींटल में यह हो सकता है। (घंटी)

मैं खत्म कर रहा हूं। आखरी बात यह है कि आप कोआपरेटिव्ज के मामले को सुलझाइये। विलेज पंचायतों में कोआपरेटिव की मशीनरी उसका एक पार्ट बन गई है और सब काम उसकी मारफत हो।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं।

14.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister will reply at 4 P.M. There are thirteen more from the Congress Benches and a few more from the Opposition. The Whip of the Congress Party has requested me that the Congress Members may be given eight minutes each.

I would request them to cooperate with me and with him in keeping within the time.

Shri Ram Chandra Vikal.

श्री रामचन्द्र विकल (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि अनुदानों पर हुई बहस में जो आप ने मुझे बोलने का समय दिया, उस के लिए मैं आप का बहुत अनुगृहीत हूं । इस विभाग की मांगों का मैं समर्थन करता हूं । साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग से सम्बन्धित सारे कार्य जन-जीवन से और इस देश के बहुत बड़े भाग से सम्बन्ध रखते हैं और सब प्राणी-मात्र उन पर आश्रित भी हैं ।

शिन्दे साहब का ब्यान मैंने अखबारों में पढ़ा और मौर्य जी का भाषण मैंने यहां बैठ कर सुना और उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि देश बहुत जल्द आत्म-निर्भर होगा खाद्यान्न के मामले में । उस के लिए मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता । मैं आशावान् देता हूं कि और आशा करता हूं कि उन की यह भावना पूरी हो लेकिन देश के अन्नोत्पादक और देश के मजदूर जो खेत में और खान में काम करते हैं, ये सचमुच हमारे देश के वे लोग हैं जो इस देश में आर्थिक क्रान्ति लाने वाले हैं मगर उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी है कि इस देश में जो आर्थिक विषमता फैली हुई है, औं असमानता है और उसकी वजह से चारों तरफ असंतोष और निराशा फैली हुई है, यह दूर हो । आज जो पैदा करने वाला है, उससे अधिक मुनाफा शकल बदलने वाला चाहे उद्योगपति हो और चाहे जगह बदलने वाला व्यापारी हो और साथ में मैं जोर देता हूं सरकारी कर्मचारी को भी उठाता है । ये ज्यादा सुखी और सम्पन्न हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और ज्यादा आराम से रहते हैं उसके मुकाबले जो कि पैदा करता है । अगर हमारे देश में आर्थिक क्रान्ति में कोई रोड़ा है तो ये तीन वर्ग हैं जो कि इस देश के महनतकशों को आगे नहीं बढ़ने देते और इस देश मे जो आर्थिक विषमता है, उस को मिटने नही देते और आर्थिक क्रान्ति करने वालों को आदर और सम्मान नही देते । यह एक विशेष कारण है ।

अब मैं मंत्री महोदय से कुछ कानूनी दिक्कतें बताना चाहता हूं जो कि व्यवहारिक नहीं है और अब वह समय आ गया है जब कि देश में चारों तरफ असंतोष और निराशा फैली हुई है कि हम को यह सोचना पड़ेगा कि हम चन्द सरकारी कर्मचारियों के जो विचार हैं उनको अपने मुंह से सदन में न कहें । अब हम को बदलना पड़ेगा क्योंकि वे विचार व्यवहारिक नहीं होते । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि वे व्यवहारिक नहीं होते ।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश मे एक फैसला लिया गया था कि हम किसान को सहायता देंगे ऋण के रूप में चाहे वह पम्पिंग सैट के लिये हो, चाहे ट्यूबवैल के लिये, चाहे थ्रेशर के लिये और चाहे क्रशर के लिये हो या किसी भी मशीनरी के लिये हो, हम किसानों को सीधे चैक देंगे और किसी फर्म या किसी दुकानदार के नाम मे चैक नहीं काटेंगे । यह फैसला बैंकों ने रोक दिया और उसको चलने नहीं दिया । मैं वित्त मंत्री श्री चव्हाण से दिल्ली में मिला और उन्होंने वित्त से यह कहा कि यह फैसला उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये ही क्यों हो रहा है, यह तो हमारे देश के किसानों के हक में होना चाहिये । यह फैसला बड़ा व्यवहारिक है क्योंकि यह जो चैक मिलता है फर्म को, तो उसमें सरकारी कर्मचारी भी संबंधित होता है और उसमें खुले रूप में कमीशन है, भ्रष्टाचार है और किसानों को जो सही राशि है, वह नहीं मिल पाती । उसमें काफी भ्रष्टाचार है और सही राशि उसे नही मिल पाती और पता नहीं कितना उसको दफ्तरों में जा कर धक्के खाने पड़ते हैं । अभी इस बारे में वित्त मंत्रालय का फैसला नहीं हुआ है । मैं कृषि मंत्रालय को इसलिये महत्वपूर्ण मानता हूं कि जहां जन जीवन से इसका संबंध है, वहां कोई विभाग ऐसा नहीं है, जिसका इससे सम्पर्क न हो या जिसका प्रभाव इस विभाग पर न पड़ता हो चाहे वह वित्त मंत्रालय ही व

रेल मंत्रालय या और कोई मंत्रालय हो और चाहे वह सिंचाई मंत्रालय हो। सभी का किसी न किसी रूप में इस कृषि मंत्रालय पर असर पड़ता है और वह लोट फेर कर इस देश के किसानों पर पड़ता है। तो वित्त मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक छोटा सा सुझाव है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है मगर क्योंकि सरकारी अफसर उसमें साझीदार होते हैं और एक तौर से, मैं सबके लिये यह बात नहीं कहना चाहता, बहुत से अफसर अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग इस को अमल में नहीं आने देना चाहते हैं।

इसी तरह से मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप ने यहीं दिल्ली में खोये और क्रीम पर पाबन्दी लगा दी है। एक छोटी सी बात है और मोर्य साहब से भी लोगों ने इस बारे में बात की है। और उन्होंने मीटिंग भी की है, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं दस साल से शिन्दे साहब से इस सवाल पर लड़ रहा हूं कि आखिर आप दिल्ली में ही इस पर बैन क्यों लगाते हैं। बम्बई में खोया जा सकता है और वहां पर क्रीम बन सकती है जबकि वह दिल्ली से भी बड़ा शहर है लेकिन यहां पर आप ने दिल्ली में दूध के उत्पादकों पर खोया या क्रीम बनाने पर पाबन्दी लगा दी है। दिल्ली के अड़ोस-पड़ोस में जो बेचारे किसान भैंसें पाल कर अपना गुजारा करते हैं और जिनको इस मई, जून के महीने में थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते, उन उत्पादकों के लिये आपने कानून बना कर दिया यह पाबन्दी लगा दी है। पहले तो दिल्ली के आस पास के दो जिलों, मेरठ और बुलन्दशहर में खोया और क्रीम बनाने के लिये सिर्फ दो महीने के लिये पाबंदी लगती थी, लेकिन अब की बार इस को चार महीने के लिए लगा दिया है और जब इस पर आपत्ति उठाई गई, तो इसको आपने धीरे-धीरे हरियाणा में शुरू कर दिया और तर्क के रूप में मुझे बताया गया है कि कानपुर और लखनऊ में भी इसको कर रहें हैं। यह एक गलत बात है और दिल्ली के लोग ही इससे परेशान है। मैं इस तर्क के हक में नहीं हूं कि अगर कानपुर और लखनऊ में पाबन्दी लग जायगी, तो इससे हमारे यहां के किसान या भूमिहीन लोगों की कोई संतुष्टि होगी। आपकी आईस-क्रीम बन सकती है। क्योंकि बड़े लोगों की दावतों में वह सर्व की जाती है। कुल्फी बन सकती है, आईस क्रीम बन कर दिल्ली के बाहर जा सकती है और जा रही है, उस पर रोक नहीं है। दूध की फैक्ट्रियां है जो दूसरी चीजे उससे बनाती है चाहे फिर वे सहारनपुर हो या मुजफरनगर में हों, मुरादाबाद में हों, भरतपुर में हो और चूंकि वे बड़े उद्योगपति हैं इस वास्ते उन पर कोई पाबन्दी नहीं लग सकती है। छोटे-छोटे लोग जिनका दूध दिल्ली में नहीं आता है उन पर आप पाबन्दी लगा रहे है। कहां तक यह व्यवहारिक है इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। अपने घर में कोई गाय पालता है तो वह क्यों खोया नहीं बना सकता है? जो पाबन्दी आपने लगाई है इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिस को पैसा देकर क्रीम भी बन रही है। खोया भी बन रहा है। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और मथुरा से वह दिल्ली हो कर बम्बई जा सकता है लेकिन

[श्री राम चन्द्र विकल]

दिल्ली मे इस्तेमाल नही हो सकता है। यह समझ से बाहर की बात है। इस तरह से काम करके आपने पचास साठ हजार परिवारो की रोजी एक दम बन्द कर दी है चार महीने के लिए। आप सारी दिल्ली को दूध फिर भी नही दे सकते है। गैर सरकारी लोगो के मकाबले उनके बराबर आप इन लोगो को दूध भी नही देना चाहते है। अब उत्पादन करने वाला को कैसे प्रोत्साहन मिल सकता है। मिल्क स्कीम के अफसर चन्द इन गरीब लोगो का गला ही घोट देना चाहते हैं। लेकिन यहा मिल्क स्कीम की बात नही है। उत्पादन के रास्ते मे जो अडचने है उनको आपको दूर करना होगा। भ्रष्टाचार के बोझ को भी समाप्त करना होगा। चूकि ये चीजे मिल रही है इसलिये देश मे आर्थिक क्रान्ति भी नही आ रही है। इस तरह की नीतियो को आपको बदलना होगा।

मैं यह चाहता हू कि किसान की फसल और उसके मवेशी का बीमा हो। यह नही हुआ हैं। कोई रूपरेखा इसके लिये तैयार आपने नही की है। चौथी योजना समाप्त हो गई है। पाचवी मे तो आप इस चीज को कम से कम लागू करे। यह बहुत जरूरी है।

शोध कार्य चाहे कृषि सस्थाओ मे हो या कृषि कालेजों मे हो या फार्मो मे हो उनके साथ आपको नजदीक के गावो को जोड देना चाहिए। इससे शोध के प्रसार का जो काम है वह बहुत जल्दी गावो तक पहुच जाएगा और उन के ज्ञान से गाव वालो को लाभ होगा। और उससे देश की आर्थिक प्रगति होगी।

जो वर्कशाप खुले हुए है उन के साथ भी गांवों के किसानो का आपको सम्बन्ध जोड देना चाहिए।

जो घाटे के फार्म हैं या शोध कार्य हैं उनको आपको बन्द कर देना चाहिए। मैं अनुभव के आधार पर कहता हू कि घाटे के कामो को बन्द करने की नौबत आती है तो वे मुनाफे मे चलने लग जाते हैं। कारण यह है कि सरकारी कर्मचारी जो है वे समझते हैं कि उनकी रोजी तो बनी हुई है और अगर वे घाटे मे चलते है तो इससे उनको क्या फर्क पडता है लेकिन जब बन्द होने की बात होती है तो यह समस्या उनके सामने आती है कि उनका अब क्या होगा और तब वे मुनाफे मे बदलने लग जाते है। अनेको उदाहरण इसके बारे मे दिए जा सकते हैं। मैंने इसको अमल मे लाया था इसलिए मैं यह कह रहा हू। कोई भी सरकारी काम घाटे मे नही होना चाहिए।

एक बडी माग है। कानपुर मे कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की माग एक पुरानी माग है। कृषि मत्री ने इसके बारे मे आश्वासन भी दिया है। मैं प्रार्थना करता हू कि इसको अब शीघ्र पूरा करे।

भूमि के सरक्षण के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। पता नही हमारे देश के अर्थ शास्त्री और कृषि मंत्रालय मे सम्बन्धित जो लोग हैं वे इस बात को क्यो नही समझते हैं कि किसानो की भूमि अर्जित करने का अधिगृहीत करने का जो तरीका है वह गलत है। दिल्ली या दूसरा कोई शहर हो उपजाऊ जमीन अर्जित कर ली

जाती है और वह जमीन खेती के काम में से निकल जाती है। पता नहीं इसका अंदाजा क्यों नहीं लगाया जाता है। फिर जमीन ही नहीं निकलती है बल्कि किसानों की कठिनाइयां और परेशानियां भी बढ़ती हैं और सरकार जो आश्वासन देती है उनको पूरा भी नहीं किया जाता हैं। इस ओर आप विशेष ध्यान दें।

मौर्य जी ने बताया कि 53 करोड़ रुपया किसानों का मिल मालिकों की तरफ बकाया है। यह एक साल का है और गन्ने का मूल्य है। लेकिन ऐसी भी मिलें है जिन की तरफ किसानों का दो दो वर्ष का बकाया पड़ा हुआ है। क्या इसका सूद उनको मिलेगा? मिल मालिक तो गरीब नहीं हैं। किसान जो उधार लेता है, सरकारी ऋण लेता है, उसको अगर वह अदा नहीं कर पाता है तो सूद समेत उसके यहा कुड़की हो जाती है, मवेशी कुड़क कर लिए जाते हैं। लेकिन यहां किसान क्या करे। मैं चाहता हूं कि मिल मालिकों से आप उनका पैसा उनको दिलवाए।

उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों ने गन्ने के दाम दो रुपये क्विटल कम कर दिए थे। मौर्य जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने वहां दौरा किया और यह व्यवस्था की कि उनको सवा तेरह रुपये से कम वह नहीं दाम देंगे। यह जो उन्होंने वहां किसानों की मदद की है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री मुलकी राज सैनी (देहरादून): हमारे कृषि विभाग में तीन मंत्री है, जो बहुत ही अनुभवी हैं, कर्मठ हैं, क्रियाशील हैं। उनके हाथ में यह महकमा है। तरक्की देश ने की है, काफी की है। इस में कोई सन्देह नहीं है। उनके अधीन किसानों से सम्बन्धित एग्रिकलचरल प्राईसिस कमिशन भी है, एग्रिकलचर कमिशन भी है, कंसलटेटिव कमेटी भी है। सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान की जो सही स्थिति है उसकी सही तसवीर हाउस के सामने बहुत कम आती है। किसान को कुलक कहा जाता है। लेकिन कभी किसी ने देखने या महसूस करने की कोशिश की है कि जमीन किस हिसाब से किसानों के पास है? सवा छः एकड़ से नीचे जिन के पास जमीन हैं वे सत्तर परसेंट किसान हैं। उसके बाद दस बारह एकड़ तक जमीन जिन के पास है वे 25 परसेंट होंगे। अब दो तीन परसेंट ही किसान ऐसे हैं जिनके पास इससे ज्यादा जमीन है। हमेशा कह दिया जाता है कि किसान तो कुलक है, किसान की इकोनोमिक हालत अच्छी है, उनको बड़े जमींदार की तरह से बयान कर दिया जाता है। किसान कई तरह के हैं। वे हैं जो दिमाग में खेती करते हैं, किताबों में खेती करते हैं, कागजों में खेती करते हैं, वे भी हैं जो जमीन पर खेती करते हैं। अब जिन्होंने पढ़ लिख लिया, दिमाग लड़ाया, वैज्ञानिकों ने लड़ाया और आई सी ए आर जैसे जो महकमें है उन्होंने रिसर्च किया, अच्छे बीज निकाले अच्छे तरीके खेती के निकाले और जब उनको व्यवहार में लाया गया तो किसान ने पैदावार को बढ़ाया। यह चीज तो

[श्री मुल्कीराज सैनी]

जरूरी है ही लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में हम को प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। जिन लोगों को खेती का तजुर्बा है और जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं उन में समन्वय स्थापित करके हमको खेती को तरक्की देनी चाहिये। समन्वित ढंग से इस काम को किया जाना चाहिये।

हमारे यहां मध्य श्रेणी के, छोटी श्रेणी के, बिना जमीन वाले, जिन के पास बैल हैं लेकिन जमीन नहीं है किसान हैं और उसके बाद खेत मजदूर हैं। इन खेत मजदूरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बारे में कभी कभी भ्रम हो जाया करता है। मेरा नम्र निवेदन है कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि उस में गड़बड़ हो जाती है। आप कहते हैं कि 47 परसेंट कृषि मजदूर हैं गांवों में ऐसा हो गया है कि जिस किसी के साथ हरिजन शब्द लग गया उसको कृषि मजदूर कह दिया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि शिक्षा के प्रसार के साथ तथा रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध हो जाने के कारण उन में से बहुत से मिलों में काम करने लग गए है, बहुत से ट्रेड में आ गए हैं या दूसरे धंधे करने लग गए हैं। इस तरह से उनका व्यवसाय ही बदल गया है। मेरी राय में ये जो आंकडे है ये गलत हैं, इन में गोलमाल है। इन मे सही स्थिति का पता नहीं चलता है। असली किसान जो दो तीन प्रतिशत हैं उनको छोड़ कर शेष जो छोटे किसान हैं उनकी क्या आर्थिक स्थिति है इसको आप देखें। आज के जमाने में कोई भी शायद हवालात में जाना पसन्द नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों में से बहुत के हवालात में हैं। जिन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा लिया है, सरकार से कर्जा लिया हैं, साहूकार से कर्जा लिया है और एक बारीवाला होता है जिस की सूद की दर बहुत ऊंची होती है उससे कर्जा लिया है उन में से कई हवालात मे है। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब हैं। कह दिया जाता है कि किसान की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है। इसको सुन कर ताज्जुब होता है। एक वकील जो रोजाना पांच सौ रुपये एक एक मुकदमें में ले लेता है वह भी कहता है कि किसान की हालत बहुत बढिया है, एक डाक्टर जो मरीजों से एक एक हजार रुपया ले लेता है वह भी कहता है कि किसान की हालत बढ़िया हो गई है, किसान आज धनी हो गया है, उद्योगपति जो लाखों रुपया कमाता है वह भी यही कहता है। अब किसान की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पता लगाया जाए कि कितने किसान तहसीलों के अन्दर हवालात में इस वास्ते बन्द कर दिए जाते हैं कि वे कर्ज की अदायगी नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप फिगर्ज मंगाएं जिलों से इसके बारे में और तब आपको पता चल जाएगा कि आज हजारों किसान हवालात में इसलिए बन्द पड़े हैं कि वे बैंको का, सरकार का तथा दूसरों का पैसा नही दे पाए हैं। कौन आदमी है जिस की स्थिति अगर अच्छी हो तो वह हवालात में जाना चाहेगा?

सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत किया जा सकता था और आगे भी बहुत करने को है लेकिन हमारे देश में एक रोटेशन चलता है। जब पैदावार अच्छी हो जाती है तो न तो उचित दाम मिलते हैं और न ही दूसरी फेसिलिटीज मिलती है। इसका नतीजा यह होता है कि अगली बार किसान की उपज घट जाती है और कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। तब सरकार की निगाह उधर जाती है और दुबारा फिर वह किसानों को कुछ सहूलियतें देती है। फिर पैदावार कुछ बढ़ती है और फिर वही हालत हो जाती है कि उसको सुविधायें नहीं मिलती हैं, कीमत ठीक नहीं मिलती है और यह चक्कर चलता आ रहा है और लापरवाही होती रहती है। पांच छः साल में यह रोटेशन होता है, जिस में सरप्लस भी हो जाता है और डेफिसिट भी हो जाता है। इस सिलसिले में सरकार की कोई पालिसी नहीं है। उस को इस बारे में कोई पालिसी बनानी चाहिए।

हमारे यहां ग्रीन रेवोल्यूशन आया। देश आत्म-निर्भर हुआ और बाहर से अनाज मंगाना बन्द हुआ। लेकिन 1972-73 में सूखा पड़ा और फिर अकाल की स्थिति पैदा हुई। स्टाक कम होने से बाहर से अनाज मंगाना पड़ा। 1973-74 में वर्षा फिर कुछ अच्छी हुई और उपज फिर बढ़ी। लेकिन आज हम कमी की स्थिति में से गुजर रहे हैं। सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए, जिस से किसान को यथोचित सुविधायें मिलती रहें।

सुविधाओं के बारे में आज क्या हालत है? सरकार और बैंक कर्ज देते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व कृषि मंत्री बोल रहे थे। उन्होंने किसान की स्थिति को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कर्जा देने में छोटी सी सुविधा देना चाहती थी, लेकिन वह भी बैंकों ने रोक ली है। जिस को भारत के वित्त मंत्री भी देना चाहते है, वह भी बैंकों ने रोक ली है।

आज देश में अगर कोई सब से ज्यादा कम आमदनी वाला और दुखी व्यक्ति है, तो वह किसान है, या उपभोक्ता है। उन दोनों की गर्दन व्यापारी के हाथ में है या सरकारी कर्मचारी और सरकारी अफसर के हाथ में है। आज ऐसी बुरी स्थिति हो गई है कि खेती बड़ी हो या छोटी, एक आदमी ऐसा जरूर होना चाहिए, जो शहर में दफ्तरों की गश्त लगाता रहे। अगर दस बीघे वाले किसान को भी खाद लेनी होगी, तो उसे पांच सौ बीघे वाले किसान की तरह शहर के चक्कर काटने पड़ेंगे। यह बात अलग है कि दस बीघे वाले को कम मिलेगा और पांच सौ बीघे वाले को ज्यादा मिल जायेगा। खाद लेना हो या सिंचाई के साधन बढ़ाने हों, लोन या बीज लेना हो, इन कामों को करने के लिए खेती पर एक आदमी फालतू होना चाहिए।

हम पिछले पच्चीस साल में किसान की प्रोडयूस के मार्केटिंग के लिए कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं कर पाये है। हम अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सके है कि किसान शहर में आ कर एक ही जगह से खाद, बीज, मिट्टी का तेल और डीजल आदि ले सके। जहां किसान की प्रोडयूस को लेने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और उस को उचित मूल्य देना चाहिए, वहां कानज्यूमर गुड्ज और उसकी खेती की उपज बढ़ाने की चीजों के बारे में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि होलसेलर कोई भी हो, लेकिन एक रिटेल डीलर बना दिया जाये, जहां से किसान को खाद, तेल और

[श्री मुल्की राज नैनी]

बीज आदि सब चीजें मिल जायें और एक अलग आदमी को इसके लिए बार-बार न भागना पड़े।

श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रियों और हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कृषि के बारे में अच्छे सुझाव दिये हैं। यह ठीक है कि हमारे मंत्री लोग गलती भी करते हैं। जो काम करता है, उस से गलती भी होती है। लेकिन इस में मंत्रियों का क्या कुसूर है? आखिर हमारी विचार-धारा क्या है? हम क्या है? पूंजीवाद, साम्यवाद और गांधीवाद में से हम किस को मानते हैं? अगर हम पूंजीवाद है और अमरीका के पीछे चलना चाहते है, तो फिर श्री पीलू मोदी को सत्ता सौंप देनी चाहिए। अगर हम साम्यवादी हैं, तो श्री हीरेन मुकर्जी या श्री ज्योतिर्मय बसु को सत्ता दे देनी चाहिए। तो फिर क्या हम गांधीवादी हैं? गांधीजी ने कहा था कि स्वराज्य होने के बाद एक कलम से गोहत्या बन्द हो जायेगी। क्यों न हुई? बिना गऊओं के बैल कहां से आयेंगे?

महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश में पंचायती राज होगा। आज हमारी अदालतें—सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि—कैसा न्याय करती हैं? हम देखते हैं कि मुट्ठी भर अनाज चुराने वाले या दो गन्ने तोड़ने वाले को तो हथकड़ी लगा दी जाती है, लेकिन गनत ढंग से हजारों लाखों रुपये कमाने वाले पूंजीपतियों और व्यापारियों और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और मिनिस्टरों को हथकड़ी न लगाई जाती है। इस नीति को बदलना चाहिए। हमें गांधीवाद पर चलना चाहिए। जमीन का बटवारा कायदे से होना चाहिए। लेकिन वह कहां हो पाया है? मैं देखता हूं कि गरीब आदमियों के नाम जमीनों के पट्टे काले कोट पहनने वाले वकील डाकुओं द्वारा दावे करा के खत्म कर दिये गये हैं। जिन लोगों की जमीनें हैं, वे खेतों पर काम करने वाले मजदूरों के साथ अन्याय करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बोयेगा, वह खायेगा। ऐसा कहां हुआ है? इस में नीति का दोष है और इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए।

इस में सब जिम्मेदारी एम० पीज० की है। वे क्यों नहीं पार्टी में कहते हैं कि जो कुछ हम कहेंगे, वह पास होगा? आज ऐसा नहीं होता है। नेता लोग बैठ कर तय कर लेते हैं और हमारे पास आदेश आ जाते हैं। होना यह चाहिए कि हम पब्लिक की बात कहें, हमारी बात कैबिनेट माने और कैबिनेट की बात प्रधान मंत्री मानें। आज उल्टा होता है। जो कुछ वे चाहते है, वह हम पर ठूंसा जाता है। आज गरीब के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं।

गांधीजी ने कहा था कि शराब बन्द कर दी जाये। आज हमारे आदमियों के मुंह से शराब की गंध आती है। शराब क्यों नहीं बन्द की जाती है? इसी तरह तम्बाकू की पैदावार पर कानून रोक लगा देनी चाहिए, ताकि हम अधिक गल्ला पैदा कर सकें। फैंसी कपड़े खद्दर, जिस को हमारे लड़के-लड़कियां पहनते हैं, बन्द कर देना चाहिए। इसी तरह सिनेमा को खत्म कर देना चाहिए। टेलीविजन की भी कोई जरूरत नहीं है। इन सब को बन्द कर के सारा रुपया कृषि पर लगाना चाहिए। पूंजीपति डाकुओं ने जो रुपया इकट्ठा कर रखा है, चाहे कोई अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, और चाहे इधर या उधर का कोई सदस्य हो, अगर उन्होंने भ्रष्ट तरीके अपना कर रुपया कमाया है, तो उस सब रुपये को निकाल कर खेती में लगा देना चाहिए। हम लोग सैंट्रल हाल में बैठ

कर चर्चा करते हैं, रोते हैं। क्यों नहीं हम पार्टी में बैठकर यह तय करते हैं कि हम गांधीवादी हैं। अगर हम गांधीवादी नहीं हैं, और साम्यवादी हैं, तो श्री ज्योतिर्मय बसु को प्रधान मंत्री बना देना चाहिए। अगर हम पूंजीवादी या अमरीकावादी हैं, तो श्री पीलू मोदी को प्रधान मंत्री बना दें। वह अमरीका की अच्छी वकालत करेंगे।

लेकिन में तो यह समझता हूं कि हम लोग न पूंजीवादी हैं, न साम्यवादी या समाजवादी हैं और न गांधीवादी हैं। हम लोग तो कुर्सीवादी हैं। हम लोगों के दिमाग इन्हीं बातों में लगे रहते हैं कि बिहार में इतने मिनिस्टर हटा दिये गये और इतने मिनिस्टर बना दिये गये, फलां को मिनिस्टर बना दिया गया, आदि। और कोई काम नहीं होता है। मेम्बरों का यह काम है कि वे नेता को कहें कि हमारी नीति गांधीवादी है और हम उस के अनुसार चलेंगे।

इस सदन में ज्यादातर उस वर्ग के लोग हैं, जो खेती नहीं करते हैं। मैं स्वयं किसान का लड़का हूं। मैं 56 साल से सन्यासी हूं। मेरे महाविद्यालय में खेती होती है और एक गोशाला है। मैं पैसे को नहीं छूता हूं और अभी भी मांग कर खाता हूं। यहां बहुत कम किस न होंगे। कोई बनिया होगा। आधे से ज्यादा तो पंडित हैं, जो भीख मांगने वाले हैं. जो भीख मांग कर खाते रहे हैं।

राज्य सभा को खत्म करना चाहिए। यह एक अतीतखाना है। जो लोग हार जाते हैं, और अतीत हो जाते हैं, उन की उम्र में रखा जाता है। उस पर पैसा खर्च होता है। आज देश में अशांति मची हुई है। रोम जल रहा था और उस का राजा नीरो बंसी बजा रहा था यह हालत है। मैं यह कहता हूं कि हम सारे मेम्बर और सारे विरोधी मिलकर, ये काहे के विरोधी हैं, सब मिल कर किसानों को तैयार करें, किसानों की तरक्की करें और पूंजीवाद को खत्म करें, यह जो यतीमखाना बने हुए हैं इन को खत्म करें और नेताशाही को खत्म करें।

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to oppose the Budget demands of the Ministry of Agriculture Sir, today in our country we are faced with a crisis in partically every sphere. There is crisis in our economy, in our industry and all these have resulted from the crisis in our agricultural sphere. As all are aware, over 70 per cent of our population live in villages and are dependent on agriculture. Unless there is an improvement in our agriculture and consequent improvement in the lives of the people living in the rural areas, there cannot be any progress in our country. But I regret to say that although we have completed our Fourth Five Year Plan, no improvement is noticeable in our countries in the agricultural sphere As the plans progress, we find that the number of agricultural labourers in the villages goes on increasing. Sir, we talk about land reforms. In some States like, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Punjab, Rajasthan, West Bengal etc. Some legislation has been enacted in regard to land reforms. Though we do not consider those as much of a reform, we find that in spite of those legislation, the number of landless agricultural labourers in all these States are constantly on the increase. Sir, the Burdwan district is known as the granary of West Bengal. In 'Memari' thana of that district, where irrigation facilities are available and 3 crops are harvested every year, the statistics collected by the West Bengal Government show that the number of landless agricultural labour has gone up to almost 35 per cent in the course of the last 3 or 4 years.

*The Original speech was delivered in Bengali.

[Shri Krishna Chandra Halder]

In 'Kanksa' thana of the same district, the number of landless labourers have outstripped the number of producers. We find that the people living in the villages are today faced with the severest crisis. There is food crisis after 26 years of independence due to the absolute failure of the Agricultural Ministry. Sir, while intervening in this debate the other day, Shri A. P. Shinde, hon. Minister of State furnished some figures and said that in the First Five Year Plan 65 million tons of foodgrains were produced. In the Second Five Year Plan the production went up to 75 million tons. In the third Plan the production was 81 million tons and in the Fourth Plan the production has gone upto 102 million tons. He has tried to impress that the production of foodgrains has gone up. But he did not mention what were the per-capita figure of consumption of foodgrains. He conveniently suppressed those figures because from that we will find that while the total production of foodgrains have gone up, the per capita allocation of food has continually declined.

Sir, I will not prolong my speech. I will only stress that the Government are depriving West Bengal in allocation of food. In the towns and villages of West Bengal the system of modified rationing has collapsed. In the city of Calcutta due steps are being issued by ration shops although the Government denied this. The people in the villages are starving. I visited 'Bankura' a few days ago. There I found that the villagers and 'Adivasis' are subsisting on the boiled leaves and roots of certain plants. Even the seeds of 'Shyaol' grass which is used as fodder for the cattle is being eaten by them. A few days ago it was said by the Congress in West Bengal that nobody will be allowed to starve. Sir, in the issue of the 'Jugantar' paper dated the 21st April it has been published on behalf of the West Bengal Congress that no body will starve. Two Ministers of West Bengal Government own this paper. They are Shri Prafulla Kanti Ghosh, Food Minister, and Shri Tarun Kanti Ghosh, Minister for Industries. But, Sir, in the issue of the same 'Jugantar' paper dated the 22nd April, news reports appeared under the caption 'Death by starvation'—'Young children sold and suicides committed' driven by want. This is the condition prevailing in West Bengal. I will not go into the details of these news reports I will only caution the Agriculture Minister and the Central Government that today early in the month of 'Vaisakh' rice is selling at Rs. 4|- or 4.50 a Kg. in Burdwan, Durgapur etc. The people of West Bengal will not stare helplessly if the Government pushes them towards starvation. Already the people of Gujarat, Bihar etc. have started struggle and have risen in revolt. The people of West Bengal will not lag behind if they are deprived of their legitimate share of food. The combined wrath of the deprived people will burst upon the Government and teach them the right lesson. I will warn the Government to take heed while yet there is time. With that Sir, I oppose the demands of the Agriculture Ministry and conclude my speech.

श्री भगतराम मनहर (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब कृषकों की भलाई की बातें तो करते हैं पर उन का शोषण रोक सकने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। आज देश में सब से ज्यादा शोषण उन्हीं का हो रहा है। उन की मेहनत की उचित कीमत उन्हें नहीं मिल रही है। आज कृषि में काम आने वाली चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। वे भी समय पर नहीं मिलती हैं। बीज, खाद, पानी, कीटनाशक दवाइयां, पेट्रोल, डीजल, हल, बैल और अन्य उपकरणों की कीमतें कई गुना ज्यादा

हो गई हैं । इस से एक साधारण कृषक की मुख्यत: खेती पर निर्भर है की आमदनी दो से ढाई रुपये प्रति दिन है । वहीं पर एक साधारण मजदूर भी कम से कम 5—7 रुपये प्रति दिन मजदूरी पाता है । इस पर भी आए दिन मजदूर, इंजीनियर, डाक्टर, एवं अन्य शासकीय अशासकीय कर्मचारिगणजो कृषकों से काफी अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं वेतन भत्ता बोनस एवं अन्य सुविधाएं बढाने की मांग में हड़ताल करते रहते हैं । संगठित होने से सरकार उन की मांगों को मान भी लेती है । उन्हें वेतन भी अधिक मिलना चाहिए तथा दूसरी ओर सस्ती कीमत में अनाज एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध होनी चाहिए । मैं ने तुलनात्मक दृष्टि से यह विचार रखा है किसी गलत भावना से नही ।

इस तरह देखा जाय तो 80 फीसदी कृषकों को उन के उत्पादन की जो कीमत मिलनी चाहिए वह नही मिल पा रही है । कृषकों से अनाज सस्ती कीमत में खरीदा जाता है तथा उन्हें स्वत: आवश्यकता पड़ने पर ड्योढी दुगुनी कीमत पर बेचा जाता है । इस प्रकार शासन कृषकों का संगठित हो कर अपनी मांगें रखने के लिए बाध्य रहा है । समय रहते शासन कृषकों की उक्त समस्याओं का हल करे अन्यथा उत्पादन पर उलटा असर पड़ेगा ।

मध्य प्रदेश में 70 प्रतिशत जोतें 10 एकड़ या उस से कम क्षेत्र की हैं । आबादी का 84 प्रतिशत कृषि पर आधारित है । मध्य प्रदेश शासन ने भूमि सीमा बंदी नियम बनाया है, जिस में 5 मानक एकड़ रखा है । अर्द्ध-सिंचित 10 एकड़ तथा असिंचित 15 एकड़ हैं । वह भूमि का मापदण्ड है । मैं शासन से जानना चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ के 5 मानक एकड़ मालवा या हवेली क्षेत्र के 5 मानक एकड़ की बराबरी कर सकता है ? क्या बिना ज़मीन के उपजाऊपने की जांच के सीमाबन्दी नियम बनाया जा सकता है—यह अनुचित है । दूसरी ओर शहरी सम्पत्ति की सीमाबंदी अभी तक लागू न कर सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है ।

मैं छत्तीसगढ़ के काश्तकारों की ओर से छत्तीसगढ़ के 10 स्टैण्डर्ड एकड़ के बदले या हवेली क्षेत्र के 5 एकड़ लेने का आफर देता हूं । क्या वहां के काश्तकार इस तरह का बदला मन्जूर करेंगे—मैं समझता हूं कि वे अभी स्वीकार नहीं करेंगे । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उपज एवं कृषि की अन्य दृष्टियों से पहाड़ी क्षेत्र एवं कछोरी क्षेत्र में कोई फर्क नहीं रखा गया है—जो कि छत्तीसगढ़वालों के साथ घोर अन्याय है ।

दूसरी ओर शासन ने भूमिसीमा बन्दी कानून को तो बनाया, लेकिन चकबन्दी के लिये कोई कानून नहीं बनाया । जैसा कि मैंने पहले बतलाया था—अधिकांश, कृषक 10 एकड़ से कम वाले के हैं, उन की ज़मीन 20 टुकड़ों में बीस-पच्चीस जगहों में हैं । वे अपनी खेती की तरक्की करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं । उसे कूंआं खुदवाने, पम्प लगाने के लिये निर्धारित तीन एकड़ का चक रखना आवश्यक है, जोकि उस के पास नहीं है । अत: वह शासकीय सहायता का उपयोग नहीं कर सकता । आज की आधुनिक पद्धतियां अपनाने की प्रबल इच्छा रखते हुए भी वह उस से वंचित रह जाता है । आज वह अपने खेत में इन्टेंसिव कल्टीवेशन नहीं कर सकता तथा न ही मिक्स्ड फार्मिंग कर सकता है, जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध के पशु पालन नहीं कर सकता, बहु-फसली कार्यक्रम नहीं अपना सकता । अत: भूमि सीमा लागू करने के पूर्व चकबंदी को अनिवार्य किया जाना चाहिये जो कि कृषि की उपज बढ़ाने की दिशा में प्रथम चरण है ।

छत्तीसगढ़ में [illegible] एवं [illegible] स्टेट फर्टिलाइजर कार्पोरेशन यातायात की कठिनाइयों के कारण विशेष दिलचस्पी नहीं

[श्री भगत राम मनहर]

लेते हैं, जब कि मांग काफ़ी है तथा व्यापार की गुंजाइश भी है। फलस्वरूप यह देखा गया है कि ग्राम के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार निजी सूत्रों से खाद उपलब्ध नहीं होता है और खाद के लिये पूर्णतः पूल व्यवस्था पर ही निर्भर रहना पड़ता है जोकि सहकारिता के माध्यम से वितरित होती है। अतः नगद खरीदनेवाले खाद से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार सहकारिता विभाग का एकाधिकार होने से कृषकों को समय पर खाद नहीं मिलता तथा उस के के लिये काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा डयोढा और दुगना दाम देना पड़ता है।

छत्तीसगढ में कोयले का अटूट भण्डार है। उस को एवं खाद की बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए शासन से मेरा अनुरोध है कि कोरबा की तरह कोयला पर आधारित दूसरा फर्टिलाइजर प्लांट सरगुजा में भी शुरु करें ताकि छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश की रासायनिक खाद की आवश्यकता की पूर्ति कुछ अंश में ही हो सके।

हमारे कृषि वैज्ञानिक ने अधिक पैदावार देनेवाली नई किस्मों का आविष्कार कर हरित क्रान्ति में योगदान दे कर कृषि विभाग को डूबने से बचाया है, इस के लिये वे बधाई के पात्र हैं। उन के प्रयासों से ही अधिक फसल पैदा करने में हम कुछ सफलता प्राप्त कर सके हैं। इस में सन्देह नहीं कि पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन उन के गुण (क्वालिटी), जैसे उस की सुगन्ध, मिलिंग क्वालिटी, स्वाद, इत्यादि में काफ़ी अन्तर आ गया है। कृषि वैज्ञानिकों से मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में प्रयास करेंगे कि फसलों की इस प्रकार की ओरिजनेलिटी कायम रहे।

मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में आधिक्य वाला प्रदेश है। 70,414 ग्राम मध्य प्रदेश में हैं, उन में से 31-12-73 तक 10,278 ग्रामों में विद्युतिकरण किया गया है, जो 14.6 प्रतिशत है। इस के विपरीत सारे देश का औसत 26.2 प्रतिशत है। मेरा मतलब यह है कि अपने घर में अन्धेरा है जब कि हम दूसरे प्रान्तों को बिजली दे रहे हैं—ग्रामीण उत्थान के प्रति मध्य प्रदेश शासन कितना जागरूक है, यह उस का उदाहरण है। आप इसके दूसरे पहलू को भी देखिये—कृषक को खेती के लिये 37 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती है, जब कि औद्योगिक संस्थाओं को, पूंजीपतियों को 5.3 पैसे से 9 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी जाती है। मेरा शासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के सभी ग्रामों का विद्युतिकरण कर कृषकों को राहत प्रदान करेंगे।

श्री बशेश्वरनाथ भार्गव (अजमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं। कृषि मंत्रालय के अधीन कुछ क्षेत्रों में कमियां व कमजोरियां होने के उपरान्त भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कई क्षेत्रों में हुई प्रगतियां और उपलब्धियां सराहनीय हैं, जिन पर देश को गर्व है।

मेरे पास सीमित समय होने के कारण मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आप के माध्यम से अनेकों विषयों में से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में यदि हम ने समय रहते प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं की तो हमारे प्रजातान्त्रिक ढांचे को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जायगा तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता की आस्था समाप्त हो जायगी। हमारी योजनायें, नीतियां, कार्यक्रम कितने भी अच्छे क्यों न हों, यदि उन को क्रियान्विति दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और निहित स्वार्थों से प्रेरित है तो हमारी उपलब्धियां समाज को, विशेषकर गरीब तबके को, कभी प्रेरित नहीं कर सकती। हमारे देश की महान जनता जिस ने पिछले पांच आम चुनावों में प्रजातन्त्र में विश्वास

और आस्था प्रकट की है, हमारे देश की जनता अपनी आकांक्षाओं और भावनाओं की पूर्ति के हेतु अहिंसात्मक ढंग से हमारे देश के वार्षिक और सामाजिक ढांचे को परिवर्तित करने का इच्छुक है । हमारे देश के महान नेताओं और संविधान के निर्माताओं ने आरम्भ से यह महसूस किया कि लोकतन्त्र की सुरक्षा के हेतु हमें सत्ता का निर्भीकता के साथ विकेन्द्रीकरण करना चाहिये । इसी कारण से संविधान के अनुच्छेद 40 में आप देखेंगे—राज्य सरकारों को और केन्द्रीय सरकार को पचायतों का सगठन करने के लिये अग्रसर होने के लिये प्रेरित किया गया है । इस के साथ ही यह आदेश भी दिये गये है कि वे उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करे । यह बात ठीक है कि हमारी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को केवल मार्ग-दर्शन दे सकती है । मगर साथ ही साथ उन को यह भी महसूस करना चाहिये कि जितनी भी शीघ्रता से सत्ता का हम विकेन्द्रीकरण कर सकेंगे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु उतना ही मार्ग प्रशस्त होगा । हमारे देश के महान नेताओं ने जो सकल्प लिया, उस के अनुरूप हम ने 1959 में बड़े उत्साह से पंचायत राज्य का उद्घाटन किया, अपनी शक्ति देते लोकतान्त्रिक ढग से हस्तातरित करने का निश्चय किया । लेकिन जितनी सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना है, वह राज्यों की सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना है, अब हम पंगु के रूप में केवल मार्ग-दर्शन देते रहे तो वह विकेन्द्रीकरण कभी भी नहीं हो पायेगा ।

आप ने देखा कि बड़े उत्साह के साथ 1959 में इस का आरम्भ किया गया, लेकिन शनै शनै उस का वह स्वरूप, जिस ढग से हम अपनी उपलब्धियां करना चाहते थे, नहीं बन सका । यह निश्चित बात है कि जब तक हम संविधान के अन्दर परिवर्तन और संशोधन नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हमारे संविधान के अन्दर, जो हमारा संघ है, उस के अधिकार अलेहदा है, जो हमारी राज्य सरकारें है उन के अधिकार अलेहदा है, उसी प्रकार से पचायत राज्य की जितनी भी संस्थायें है, उनके सम्बन्ध में संविधान मे संशोधन करना पड़ेगा, इस प्रकार की धारायें उस में डालनी होंगी जिस से हम राज्य सरकारों को निर्देश दे सकें, बाध्य कर सकें कि वे अपने आप इस प्रजातान्त्रिक ढांचे को कायम रखने के लिये इस प्रकार की सत्ता हस्तांतरित करें, जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं समझता हूं कि हम लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे । आज जितनी भी योजनायें हैं, उन के अन्दर हम चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक भागीदार बने, लेकिन उस को भागीदार बनाने के लिये हमें सत्ता का निम्न स्तर तक चुने हुए प्रतिनिधियों में विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा, उस को वास्तव में भागीदार बनाना होगा ।

अभी माननीय स्वामी जी ने अपने विचार सदन के सामने रखे थे—कुछ माननीय सदस्य हंस रहे थे, कुछ उन की सराहना कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे देश के प्रत्येक नागरिक की भावनाओं को सदन के सामने रख रहे थे । हम ने इतनी योजनाये बनाई, लेकिन वे कार्यान्वित नहीं होने पाई, उन में क्या दोष है, क्या त्रुटिया है ? उसका मुख्य कारण यह है कि हम जनता को अभी तक उसमें भागीदार नहीं बना सके । हम केवल अफसरशाही पर आधारित है । हमारी योजनाये और भावनाएं बहुत अच्छी हैं । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने इस समय प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठाये तो बड़ी गम्भीर परिस्थिति पैदा हो सकती है । हर साल हमारे राज्यो के मंत्रियों की मीटिंग होती है और हमने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पंचायतो का

[श्री बशेश्वर नाथ भार्गव]

हमने जाल बिछा दिया है। केवल बिहार में कुछ जगह और नागालैण्ड मे कुछ जगह नहीं है लेकिन मैं वास्तव में यह कहना चाहता हूं कि कई राज्यों मे पचायती राज सस्थाओ को चुनाव कितने वर्षों तक नहीं हुआ, आज अगर आप सोचें कि राज्य सरकारो का, विधान सभाओ का चुनाव न हो तो जनता का प्रजातंत्र मे किस प्रकार की आस्था रहेगी ? उसी प्रकार से हमे यह भी निर्णय करना चाहिए कि हम पंचायती राज संस्थाओ के ऐसे ढांचे को बनायें, हमारी एक अलग सूची हो जिसमे उनके अधिकारों का वर्णन दिया हो और उनके चुनावों की व्यवस्था हम निर्वाचन आयोग के द्वारा करवायें। जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसका ही यह दायित्व हो कि वह ग्राम पचायतों का निर्वाचन, रक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण करे। इस प्रकार से मैं समझता हू इस ढाचे को हम एक अच्छा ढांचा बना सकेंगे। इसका दायित्व हमें निर्वाचन आयोग को देना चाहिए ताकि चुनाव समय पर हो सके और लोगो की आज जो आस्था पचायतराज के प्रति है वह समाप्त न हो। यह हो सकता है कि राज्य सरकारे संकुचित दृष्टिकोण के कारण चुनाव नही कर पाती या दूसरी चीजें हैं कि अपने आप को सत्ता मे बनाये रखने के लिए या उनको जिस प्रकार से उचित और ठीक लगे उसका उपभोग करती हैं।

इसके अतिरिक्त मैं कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात पर भी दिलाना चाहूंगा कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अधीन कुछ योजनायें उन्होंने चलाई जैसे क्रैश, सीमान्त एव भूमिहीन तथा लघु कृषक योजनाये है जो हमारे कृषकों मे लघु सीमान्त और खेतिहर मजदूर हैं या हमारे राज्यो के जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक राहत पहुचाने की कोशिश की है लेकिन मैं उन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू कि उन योजनाओ के द्वारा वास्तव मे इन कृषकों को जितना लाभ पहुंचना चाहिये नहीं पहुंच रहा है। अभी अभी कृषि मंत्री 21 अप्रैल को अजमेर गए थे और उन्होने वहां पर सीमान्त और भूमिहीन अभिकरण के अधीन कार्यरत कुछ अधिकारियों को पारितोषिक भी वितरित किया लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हू कि अजमेर के अन्दर जो सीमान्त कृषको की योजना चल रही है उसमे तीन वर्ष की अवधि में केवल 59 लाख का व्यय किया गया है जिसके लिए उन्होने स्वय निराशा व्यक्त की लेकिन इस योजना के अन्तर्गत सीमान्त कृषको और भूमिहीनों के लिए करीब बारह लाख रुपया खर्चा हुआ और बाकी तमाम सहायता और सहयोग दूसरी एजेंसियों को है। इस अभिकरण पर प्रशासनिक व्यय 4 5 लाख रुपया हुआ। इसलिए मैं समझता हू यदि वास्तव मे हम चाहते है हमारी योजनाये सफल हों तो हम जनता को आह्वान करें और उनको उसमें भागीदार बनायें। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हू कि आपने मुझे समय दिया।

श्री लालजी भाई (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृषि मंत्रालय के अनुदानों पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हू और आपको धन्यवाद देता हूं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कांग्रेस पार्टी को इस देश मे शासन करते 25 साल हो गए, इन 25 सालो मे किसानो के सामने क्या क्या विकास की बाते आई, क्या क्या नुकसान की बातें आई और क्या क्या समस्यायें उनके सामने आई। सबसे पहली समस्या किसान के सामने मंहगाई की है। आज मंहगाई जितनी बढ़ गई है उसकी कोई सीमा नहीं। आज प्रत्येक खाद्यान्न, गेहूं, चना

जौ, मक्की तथा अन्य जितनी जीवनोपयोगी वस्तुयें हैं वे इतनी मंहगी हो गई हैं कि प्रत्येक किसान उनको खरीद नहीं सकता है। तो सबसे पहली समस्या मंहगाई की है जिसके कारण वह जीवनोपयोगी वस्तुयें खरीद नही सकता है। किसान किसी प्रकार से इस भयंकर महगाई का सामना कर सकता है, कर रहा है लेकिन इस महगाई के अतिरिक्त उसके सामने दूसरी समस्यायें आ गई। उसके सामने दूसरी समस्या जो है वह है अभाव की समस्या। अभाव के कारण उसको खाद्यान्न मिल नही सकता है, दूसरी जीवनोपयोगी वस्तुये उसको मिल नहीं सकती हैं क्योकि वह उपलब्ध नहीं हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभाव की समस्या, चीजों के उपलब्ध न होने की समस्या से बढ़कर और कौन सी समस्या हो सकती है। इस प्रकार से पहली समस्या तो मंहगाई की है, दूसरी समस्या अभाव की है। ऐसी स्थिति मे यदि उसको कहीं से कुछ चीजें मिल भी रही हैं जैसे गेहू, कोयला, तेल, कपडा तो वह बडी मुश्किल से मिल रही हैं। इसके साथ साथ उसके सामने एक तीसरी समस्या आ रही है और वह समस्या है मिलावट की। आज देश में मिलावट के जो आंकड़े है, सरकारी आंकड़े उनके अनुसार जनवरी से नवम्बर तक की अवधि मे 4087 मामले मिलावट के हुए हैं जिनमें आनक मामलों की सख्या 1063 है और साधारण मामलों की सख्या 3024 है। इस प्रकार से तीसरी प्राब्लम हमारे सामने आ रही है मिलावट की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से कदम उठाये गए हैं जिनसे पहले तो मंहगाई को रोका जा सके और दूसरे जो अभाव हैं, जीवनोपयोगी वस्तुये नही मिलती हैं जैसे कोयला, पानी बिजली, तेल आदि कृषि सम्बन्धी जो चीजें हैं उनका अभाव न हो उसके लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है। इसके उपरान्त जो मिलावट की समस्या है उसके लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है। खाद्यान्न खाकर अगर लोग बीमार पड जाते हैं तो यह आशा करते हैं कि हास्पिटल मे उनकी दवाई होगी और दवाई होने से हम जिन्दा रह सकेगे लेकिन उसके बजाय सारे देश में आजकल अखबारों में यह आ रहा है कि ग्लूकोज के ऐसे इंजेक्शन लग रहे है जिनसे लोगो की मृत्यु हो रही है। इस प्रकार से दवाइयों पर भी लोगो को जो आशा थी वह भी समाप्त हो रही हैं। तो इससे बढ़कर आज दूसरी और कौन सी प्राब्लम हो सकती हैं। मैं जानना चाहता हू इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है। राज्यो की सरकारो ने तथा केन्द्र की सरकार ने इस सम्बन्ध मे कौन से कदम उठाए है?

14.54 hrs.

[SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

इसके साथ ही आज एक बडी प्राब्लम यह है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि नही मिल रही है। आज अधिकाश राज्य सरकारे भूमिहीनो को भूमि देने मे विफल हो गई है। इसका कारण यह है कि जो बडे बडे किसान हैं उनका अधिकांश सरकारों पर वजन है जिसकी वजह से सरकारों

[श्री लाल जी भाई]

भूमिहीनों को भूमि नही दे रही है। मै आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि अधिकांश राज्यों में अतिक्रमण के मुकदमे चल रहे हैं। उसमें यह हो रहा है कि एक भूमिहीन जिसने नाजायज कब्जा कर रखा है उससे प्रति वर्ष एक बीघे पर 500 रुपया वसूल किया जा रहा है। यद्यपि सरकार ने उसका रास्ता निकाल रखा है, उनको एलाटमेंट करना या रेग्युलराइज करना— यह दो रास्ते है लेकिन उसको कार्यान्वित नही किया जा रहा है। ऐसी हालत मे एक गरीब भूमिहीन किसान से एक बीघे पर प्रति वर्ष 500 रुपया वसूल करना उसका कत्ल करने के, समान है। इसके कारण उनमे बडा रोष फैल रहा है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के अतिक्रमण के मुकदमों का फैसला करके वह भूमि उनको दी जाये। इसके अलावा जहा पर बारिश नही हो रही है, उसका सरकार बहाना लेती है लेकिन किसानों की मुसीबतों को सुलझाती नहीं है। और साथ ही साथ जंगलों को खत्म किया जा रहा है, उन को गलत ढंग से काटा जा रहा है जिस से होता यह है कि अधिकाश मैदान रेगिस्तान हो रहे हैं और वर्षा नहीं होती। तो सरकार कृषि के सम्बन्ध में ऐसे अनुसन्धान कार्य करे जिस से अधिक से अधिक जमीन भूमिहीनों को मिल सके और उस पर खेती हो सके।

15.54 hrs.

जितने भी हमारे बिजली पैदा करने के मुताल्लिक राज्यों में छोटे छोटे पिकनिक बांध हैं उन पर जोर दिया जाय जिस से अधिक से अधिक बिजली पैदा हो सके और किसानों को लाभ पहुंचे।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछलीशहर) : सभापति जी, कृषि की ओर यदि स्वतंत्रता के बाद तुरन्त ही समुचित रूप से ध्यान दिया गया होता तो आज देश में जो इतनी परेशानी की परिस्थिति पैदा हुई है और चारो तरफ़ त्राहि त्राहि मची हुई है वह सम्भवतः न होती। उस समय अरबों रु० का गल्ला विदेशों से मंगाया जा रहा था और खेती की तरफ़ इस तरह ध्यान न दिया गया कि हम अपने पैर पर खड़े होते। अगर 1965 का पाकिस्तान का युद्ध न होता और अमरीकी ने गल्ला देना बन्द न कर दिया होता तो हमारा ध्यान खेती की तरफ़ जाता भी नही। हल्के हल्के हाथों हम खेती का काम देखते। संयोग हुआ कि जब अमरीका ने हमें गल्ला देने से मना किया उस के बाद हमारा ध्यान गया और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान" का नारा दिया और देश ने निगाह डाली। उन्हों ने एक बात उस संकट के समय यह भी कही थी कि सप्ताह में एक दिन लोग उपवास करें। लेकिन वे भी हालत थोड़े ही दिनों तक रही आज हालत ऐसी हो गई है कि उपवास की बात तो कोई सोचता ही नहीं, अगर कोई उपवास करता है तो दकियानूसी बात समझी जाती है। लेकिन इसके पीछे अगर इस पर ही ध्यान दिया जाता हर सम्प्रदाय मे, हर धर्म मे उपवास करने का नियम है, अगर नियमानुकूल ही उपवास करते तो भी हमारे देश की गल्ले की समस्या मे बहुत कुछ सहयोग मिलता। लेकिन वह बात भी नहीं हुई। आज भी उस तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

खेती के साथ लगा हुआ पशुपालन का काम है, फल उद्यान का काम है। बड़ी तेजी से आबादी के बाद बाग बगीचे कटे जलाने की लकड़ी के लिये और इमारती लकड़ी के लिये। उस का भी कृषि पर

बहुत बुरा असर पड़ा । पुराने जमाने मे हर गांव मे पशुओ के चराने के लिये चरागाह होते थे, लेकिन उन चरागाहो की सरकारी कागजो मे कोई गेंद्री नही होती थी परिणाम हुआ कि बडी बुरी तरह चरागाह टूटे हैं । आज पशुधन पर एक बडी क्षीणता आयी है । गाय, बैल, भेड, बकरी का पालन करना मुश्किल हो गया है, और इन का न पालन करने से हमारी कृषि पर बडा बुरा असर पडा है ।

दूध, घी के अभाव मे जहा अन्न पर बोझ पडा, वहा पर खेती को कमी हुई और उस से पैदावार मे कमी आयी । इस तरफ़ अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो आज इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि हर गाव मे जहां खेती के लिये जो दिया जाय, खेती के लिये जमीन छोड़ी जाय, वहा सामुहिक चरागाह के लिये जमीन छोडी जानी चाहिये । जहां जंगल और बगीचे लगाये जाते थे वहा उन से जमीन का कटाव रुकता था, फल और लकड़ी मिलती थी । जो इस बुरी तरह से जंगल बाग बगीचे कटे उस से खेत कट रहे हैं, वर्षा में मिट्टी कट रही है । इस से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, पैदावार पर बुरा असर पडता है ।

हम को स्वाभाविक खाद नही मिल रही है । उर्वरक खाद के लिये पहले तो प्रोत्साहन दिया गया, लोगो ने आजमाइश की सस्ते दामों पर । हमारे लोग जब उस का लाभ देखने लगे तो आज उस की भी कम हो गई है और जो कुछ सुलभ भी है वह ब्लैक मार्केट मे इस तरह से मिल रही है कि वास्तव मे उस को जिन को जरूरत है वह तो नही पाते हैं बल्कि ब्लैक मार्केटियर्स उस के परमिट बनवा कर मुनाफ़ा कमा रहे हैं और उस का गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहा है । इस तरफ़ सरकार का ध्यान जाना चाहिए ।

कृषि बुनियादी चीज है। अगर कृषि ठीक नही रहती है तो दूसरे उद्योग-धन्धे ठीक से नही चल पायेंगे । लेकिन कृषि को बुनियाद आज तक नही माना जा रहा है और उद्योग धधो को प्रोत्साहन दिया जाता है । लेकिन जब कृषि का मामला डावाडोल होता है तो सारे उद्योगधंधे डगमगा जाते हैं । इसलिये देश के लोगो का अधिक से अधिक बोझा भी कृषि पर है, इस पर अधिक लोगो का जीवन निर्भर है, चाहे किसान के रूप मे हो, चाहे मजदूर के रूप मे और चाहे व्यापारी के रूप मे, चाहे कुछ लोग उन की वकालत कर के अपना भरनपोषण करते है । लेकिन ज्यादा से ज्यादा जोर खेती पर है । और उस की जो उपेक्षा की जाती है सरकार को उसी मात्रा मे ध्यान देना चाहिये जितने उस पर लोग निर्भर हैं ।

खेती के साथ साथ अगर काम करना है तो औद्योगिक क्षेत्र मे, आर्थिक क्षेत्र मे । सहकारिता का एक बडा भारी आन्दोलन चलाया गया था । अगर हम व्यक्तिगत व्यापारियों को हटाना चाहते हैं, आर्थिक सुधार लाना चाहते हैं, हम सामूहिक रूप से लोगो मे तरक्की पैदा करना चाहते हैं तो सहकारिता का काम बहुत आवश्यक है । लेकिन इस को भी बाये हाथ से देखा जा रहा है। इस पर उतना पूरा जोर नही दिया जा रहा है। परिणाम यह है कि सहकारिता के काम मे उतना लाभ नही हो रहा है जितना उस मे भ्रष्टाचार पैदा हो गया है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये । भ्रष्टाचार को देख कर इस को उपेक्षा की जाय यह देश के लिये हितकर नही होगा, गाव के लिये समाज के लिये हितकर नही होगा। इन सहकारी समितियों का जाल गाव गाव मे चाहे उपभोक्ता सहकारी समितियों के रूप मे हो चाहे कर्ज देने वाला हो, चाहे पशुओं का पालन करने वाली सोसाइटीज हो, इन का अधिक से अधिक निर्माण करना चाहिये, अधिक से अधिक इन के माध्यम से औद्योगिक

(श्री नागेश्वर द्विवेदी)

और आर्थिक कामों का संचालन करना चाहिये। अगर गांव-गांव में सहकारी समितियां बन जायें और उन को मार्केटिंग गल्ले का लेन देन शुरू करें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ कठिनाईयां जो व्यापारियों की वजह से पैदा होती हैं वह खत्म हो जायें। और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर ध्यान दे। अगर सचमुच गल्ले को आम लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो किसान जो गल्ला पैदा करता है उससे राजस्वों की जो वसूली की जाय वह गल्ले के रूप में ले जाय। इस तरह से आसानी होगी और यह मामला आसानी से सुलझ जायगा। मैं समझता हूं इस से ज्यादा कठिनाई नहीं आयेगी।

एक बात माननीय भार्गव जी ने कही हमारे शासन के विकेन्द्रीकरण की, और उस के लिये पंचायतों के बनाने की बात हमारे संविधान में रखी गई है। लेकिन आज पंचायतों के काम की भी पूरी उपेक्षा की जा रही। प्रान्त वाले केन्द्र से तो अधिकार मांगते हैं, लेकिन केन्द्र वाले अपने अधिकार जिला परिषदों को, विकास क्षेत्रों को और गांव पंचायतों को नहीं देना चाहते। यह गांव पंचायतें देश के शासन की रीढ़ हैं। अगर उन के ऊपर आप विश्वास कर के काम करेंगे तो काम अच्छी तरह से चलेगा। आप ऊपर ऊपर से इन्तजाम नहीं कर पाएंगे पंचायतों को आप को विश्वास में लेना पड़ेगा। यदि शासन जो मजबूत करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, तो इन पंचायतों को जितना मजबूत बना सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। यह देश की रीढ़ और इन्हीं के बल पर शासन अच्छी तरह से चल सकता है। प्रबन्ध अच्छे से हो सकता है और हमारी जो आज की कठिनाइयां हैं वह दूर हो सकती हैं। हम इन के द्वारा बेरोजगारी को समस्या भी हल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार का भी दूर कर सकते हैं। हमारी सारी ताकत उस तरफ जानी चाहिये। अगर हमने गांव पंचायतों की उपेक्षा की तो किसी दिन शासन प्रबन्ध में हमारी वही स्थिति होगी जो खेती की उपेक्षा करने से राजनीतिक क्षेत्र में हो गई है।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

SHRI S. N. SINGH DEO (Bankura): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants as have been placed before the House by the hon. Minister. It is needless for me to say that agriculture is the backbone of our nation as 70 per cent of our population is dependent on agriculture for their living. So, if we want to make any progress or development in our national life, then agriculture should be given first priority compared to any other subject.

But I am sorry to note that the outlay on agriculture has been reduced. If we take into account the comparative figures of the total plan outlay, we will find that in the fouth Plan while 35 per cent was set apart for agriculture, now, in the fifth five year Plan, it has been reduced to 33 per cent. This should not have been done. In the fifth Plan, more funds should have been allocated for the development of agriculture, because we have seen how our Green Revolution of which we boast so much, has gradually faded out as a result of two consecutive droughts followed by floods in some of our States. And now wears facing a grim situation due to acute shortage of food in our country. Now We have reached such a situation that if we cannot feed our evergrowing population, and if we cannot grow more, then we will have to starve.

MR. CHAIRMAN: Mr. Singh Deo, you are not audible to the interpreters. So, please come forward and speak.

SHRI S. N. SINGH DEO: So, if we want to avoid such an ugly situation, then proper and adequate arrangements should be made for the augmentation of food in our country. But I am sorry I do not find any proper co-ordination between one department of Government with the other. I do not know how the desired target of food production could ever be achieved under such circumstances.

Since the time allowed to me is very short, I will confine myself to the problems of agriculture in West Bengal and also the food situation there. You know as a result of partition of Bengal and the formation of East Pakistan, now Bangladesh the total area of West Bengal has been reduced to one-third. Over and above, nearly a crores of people from East Pakistan, now bangladesh, have come here and permanently settled down in our State of West Bengal. Besides this, about one-third of its total agricultural land is now devoted to the growing of jute and tea which are both big foreign exchange earning items for our country. All these factors have resulted in reducing our State into a deficit State so far as food and agriculture is concerned. I therefore request the hon. Minister of Agriculture to take note of all these factors and provide more food and funds for the agricultural development of our State and make it self-sufficient in food.

Coming to the problem of food and agriculture in the two districts of Purulia and Bankura from where I actually come, I might say that these two districts are chronic drought-affected areas and are mostly inhabited by poor peasants and labourers. Whenever there is irregular or less rainfall the poor people are in grave distress. They are to depend on gratuitous relief and test relief by the Government for which every year crores of rupees are spent to provied them with temporary work for their living. But it is not a healthy practice. I am sorry that in spite of our repeated requests, nothing of a permanent nature has been done to solve this problem there.

In this conection, I might suggest that there are inumerable rivulets and 'nallas' in this area, and if embarkments are constructed over them and rainwater is collected for irrigation purposes then the food problem could be solevd to some extent. Tanks and wells should be dug both for irrigation and drinking purposes in the villages.

Over and above this, the method of dry cultivation should be introduced in this area as we find in some parts of South India, specialy in Andhra Pradesh. I would request our hon. Minister of Agriculutre to open dry-farming research stations at Purulia and Bankura so that the local people of this area take up such scientific methods of dry farming cultivation in those areas. But until and unless such develoment programmes and dry-farming methods of cultivation are actually taken up, I would request the Central Government to give more food and funds so that the poor and the helpless people of these chronically drought-affected districts could be saved.

Mr. Chairman, Sir, you would not believe that thousands of people are living below the poverty line, and they have been compelled to take grass-roots and leaves of trees to satisfy their hunger anyhow. I wuold therefore, request our Minister of Agriculture to take a serious view of the situation there and take all the necessary steps so that the poor and the helpless people in those areas are saved from starvation.

With these words, I support the Demands for Grants presented to the House.

श्री शिवशंकर प्रसाद यादव (जगदिया) सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने की इजाजत दी है।

(श्री शिवशंकर प्रसाद यादव)

यह कृषि विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि इस के लिए अनुदानों की जो मांग की गई है, वह ही क्यों, उस से और ही अधिक मांग की आवश्यकता थी क्योंकि इस कृषि पर देश का केवल मानव ही नहीं बल्कि सारे प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। इसलिए इस का महत्व सब से बड़ा है लेकिन दुःख की बात है कि आज 27 वर्षों की आजादी के बाद भी इस कृषि की ओर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह ध्यान आज तक नहीं दिया गया और आज जब कि परिस्थिति काबू से बाहर हो गई है, ऐसा लगता है जैसे कि हम हाय-तोबा मचा रहे हैं। इस उपेक्षा का नतीजा यह हो रहा है कि केवल बिहार ही नहीं, केवल गुजरात ही नहीं बल्कि समुचे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में तो इस महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्न अभाव और इन सब चीजों की वजह से जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, उस के चलते कितने ही आदमी मौत के घाट उतार दिये गये।

सभापति महोदय, सरकार की ओर से अभी सत्ताधारी दल के कितने ही मित्रों ने भी कहा है कि कृषि की ओर सरकार का बर्ताव सौतेले बेटे जैसा है क्योंकि जहां उद्योगधंधों की सुविधा के लिए बिजली की लिए दर 5 पैसे, 7 पैसे प्रति यूनिट लगती है, वहां किसानों को 15, 17 और 20 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ता है। इस से पता लगता है कि सरकार की नीति किसानो के साथ वह नीति नहीं है जो कि इस महत्व-पूर्ण विभाग के लिए होनी चाहिए थी।

हमारे सामने जो आंकड़े रखे जाते है, उन आंकड़ों को देख कर तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, अन्न की कमी नही है लेकिन आंकड़े तैयार किस तरह से किये जाते हैं, इस की जानकारी अगर आप को सही हो, तो मैं समझता हूं कि उन आंकड़ो पर आप का विश्वास नहीं रहेगा। मैं देहात का रहने-वाला हू, मै जानता हूं कि वहां कभी कोई अधिकारी जमीन पर जा कर न खेत का एसेसमैंट करता है और न पैदावार का एसेसमेंट करता है और दफ़्तर में बैठे बैठे आंकडे तैयार कर देता है।

बीज और खाद का जो वितरण होता है हमारे यहा बिहार मे हम को इस बात का अनुभव है कि जिन लोगों के पास एक एक धूर भी जमीन नही है, उन को बीज दिये गये और उन को खाद दिया गया और उस के आधार पर आंकड़े तैयार किये गये कि इतनी जमीन आबाद हो गई अगर इस तरह से आंकडे तैयार होंगे, तो सही आंकडे हम प्राप्त नही कर सकते है।

एक बात मैं लेवी के बारे मे कहना चाहता हूं। पिछले दफा जो लेवी लगाई गई थी देश में, तो 76 रुपये क्वींटल किसानों के लिये भाव तय किया गया था लेवी का गेहूं देने के लिए मैं सिद्धान्त लेवी के खिलाफ नहीं हू लेकिन उसमें कोई व्यवहारिकता पर ध्यान नहीं दिया गया था। जो सरकारी उत्तर-दायी लोग थे उन्होंने भी बिहार में यह घोषित किया था कि एक किसान को एक क्विंटल गेहूं पैदा करने के लिए 105 रुपये खर्च करने पडते हैं। लेकिन उस समय 76 रुपये गेहूं का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। अगर तभी किसान का जो खर्च आता है और जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खर्च आता है उस हिसाब से उसको भाव दे दिया जाता तो आज अन्न की कमी नही होती। मै नही मानता कि हमारे देश मे गेहूं का अभाव है। लेकिन हुआ क्या है छोटे लोगों से तो लेवी वसूल कर ली गई है जबर्दस्ती लेकिन जो बड़े लोग थे जिन के यहां दो तीन हजार मन गेहूं मौजूद था

मुझे इसकी जानकारी है कि वैसे लोगों से केवल बीस या पंद्रह क्विंटल ही वसूल की गई है और उनको मुक्ति दे दी गई है। मैं आपको भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देता हूं । साहेबपुर कमल में एक बी डी ओ साहब थे। उन्होंने वहां बड़ी धांधली मचाई । उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई, लिखापढ़ी की और उनके खिलाफ कई बार इमक्वायारी हुई। स्पेसेफिक चार्जिज उनके ऊपर थे जिसके सबूत मेरे पास मौजूद थे लेकिन नतीजा क्या हुआ ? उनको थोड़े दिन के लिए ट्रांसफर कर दिया गया और बाद में उनको एक मिनिस्टर साहब ने अपना प्राइवेट सैक्रेट्री बना लिया । यह भ्रष्टाचार का हाल है । इन्हीं कारणों से हमारे देश में आन्दोलन होते हैं, घेराव होते हैं और इस तरह की दूसरी चीजें होती हैं ।

बिहार में नदियां बहुत हैं । वहां पर बहुत कम गहराई से पानी मिलता है । लेकिन उसका उपयोग सिंचाई के लिए करने का प्रबन्ध नहीं किया जाता है । वहां लिफ्ट इरिगेशन द्वारा या बोरिंग द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा अभी तक नहीं किया है। जिन लोगों ने बोरिंग किए भी हैं उनको बिजली नहीं मिल रही है और इस वजह से भी बड़ी परेशानी है ।

डीलरशिप देने में बहुत पक्षपात हो रहा है । सरकार की नीति है कि जिस आदमी के पास मिल हो आटा का उसका गेहूं न दिया जाए। लेकिन हमारे यहां मुरलीगंज बाजार में केवल उन्हीं लोगों का गेहूं दिया गया है बेचने के लिए जिन के पास मिल है इस तरह से भ्रष्टाचार को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार बढ़ावा दे रही है । इस तरह की चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश का कल्याण नहीं होगा ।

श्री दलीप सिंह (बाह्य दिल्ली) : मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज देश में खाद्यान्नों की कमी के कारण चारों तरफ परेशानी महसूस की जा रही है । इसके दो तीन कारण हैं । सबसे बड़ा कारण है किसानों को ठीक भाव न मिलना । कोई भी चीज चाहे वह इंडस्ट्री में बने या खेत में पैदा हो जब तक उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो पैदा करने वाला परेशान तो होगा और वह ज्यादा पैदा नहीं कर सकेगा । मुझे 1971-72 जमाना याद है जो कि हरित क्रान्ति का जमाना था। तब किसानों ने बहुत ज्यादा अनाज पैदा किया । हमारे प्राइम मिनिस्टर की पुकार पर किसान देश को अन्न से भर देने के लिये तैयार हो गये थे और कहने लगे कि हम बाहर से आपको अन्न नहीं मंगाने देंगे । मुझे यह भी याद है कि गवर्नमेंट ने यह घोषित किया था कि 76 रुपये से नीचे अगर किसान का गेहूं बिकेगा तो उसको गवर्नमेंट खरीद लेगी । कई मार्किट्स में मैं तब गया था । मैंने उनको अनाज से भरा हुआ देखा था तब लाला उनके माल को खरीदता नहीं था यह कह कर की यह खरीद के काबिल नहीं है। फूड कारपोरेशन के जो अफसर या इंसपेक्टर वहां होते हैं वे भी उसको अनफिट कर देते हैं। नतीजा यह होता था कि परेशान होकर किसान 60-62 या 65 में लाला को उस को बेच कर चला जाता था । लाला अगले दिन उसी गेहूं को फूड कारपोरेशन के हाथ मे 76 रुपये में बेच देता था किसी दूसरे किसान के नाम से और कारपोरेशन उसको 76 में खरीद लेती थी । कैसे यह हो जाता है इसको आप समझ सकते हैं । किसानों को उचित कीमत नहीं मिली। नतीजा यह हुआ कि 1973 में अनाज की कमी पैदा हुई । सरकार ने कहा कि हम 76 रुपये के भाव पर खरीदेंगे और व्हीट

[श्री शिवशंकर प्रसाद यादव]

ट्रेड को उसने नेशनलाइज कर दिया। अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि सरकारी फार्मों तक में गेहूं 105 या 107 रुपये से निकलता है। तब किसान उसको 76 रुपये में कैसे बेच सकता था। किसान ने दिक्कत का अनुभव किया। छोटा किसान मजबूर होकर ले आया और उसका गेहूं 76 रुपये में बिका। उन दिनों में मैं राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में गया था। वहां किसान एक बात कहता था। सरकार मैक्सिमम को 76 के बजाय 85 रुपये कीमत कर दे यानी नौ रुपये बढ़ा दे और इसी तरह से देसी गेहूं कि 95 कर दे और उसको भी नौ दस रुपये सरकार बढ़ा दे तो किसानों को राहत मिल सकती थी। मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री से यह बात कही। मैंने उनको कहा कि नार्थ के किसान इससे परेशान हैं और चाहते हैं कि 9–10 रुपये फी क्विंटल कीमत बढ़ा दी जाये उन्होंने मुझे धर साहब के पास भेजा। मैंने सारी बात उन्हें बताई। धर साहब ने कहा कि अभी तक हमने 76 रुपये का भाव दिया है अब आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे एक बात याद आ गयी है। रोहतक के अन्दर एक पटवारी होता था जिसका नाम फूल सिंह था। वह रिश्वत बहुत लिया करता था। किसी से दो रुपये, किसी से पांच रुपये और किसी से दस रुपये। एक बार उसको अक्ल आ गई और उसने समझ लिया कि वह गलती कर रहा है। उसने जिस किसी से भी रिश्वत ली थी जा कर उसको उसके घर पर वापिस कर दी। इस पद से भी उसने इस्तीफा दे दिया। वह भगत फूल सिंह कहलाया और रोहतक और हरियाणा के अन्दर उसको भगत फूल सिंह के नाम से पूजा जाता है। मैंने उनसे कहा कि आप इनको भी ज्यादा दे सकते हैं और जिनको कम दाम आपने दिये हैं उनको भी घर पर उनके जा कर आप नौ दस रुपये के हिसाब से ज्यादा दे सकते हैं और वे आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे और कहेंगे कि इन्दिरा गांधी की हकूमत में इस तरह से हमारे साथ न्याय किया गया है, इमदाद भला किया गया है लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। नतीजा यह हुआ कि इस बार किसान ने कम बोया। मैं भी किसान हूं। मैं जानता हूं कि भाव कम होने की वजह से उन्होंने कम बोया। दूसरा कारण उत्पादन कम होने का यह है कि वारिश नहीं हुई, प्रकृति का प्रकोप हुआ। पूरा साल चला गया बारिश नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि जाड़ा पड़ गया, पाला पड़ गया, गर्मी पड़ गई। अब इन चीजों पर किसान का कोई वश नहीं है। नतीजा यह हुआ कि उत्पादन में कमी हुई है।

अब आपने 105 का भाव रखा है और यह कहा है कि जितना दुकानदार खरीदेगा उसका आधा भाग उसको 105 के निर्धारित मूल्य पर आपको देना होगा फिर चाहे वह किसी भाव पर भी खरीदे। मैं नहीं जानता हूं अगर फूड कारपोरेशन के लोग अब अच्छे हो गये हों। लेकिन 1971 और 1972 की जो हालत हैं वह हमारे सामने हैं। अगर किसी ने 500 क्विंटल गेहूं खरीदा तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या सबूत है कि उसने इतना ही खरीदा ? अगर किसी ने 500 क्विंटल खरीदा और फूडकार-पोरेशन के इंस्पैक्टर से मिलकर उसने 300

'लखवा दिया और डेढ़ सौ क्विंटल दिया तो उसके पास तो साढ़े तीन सौ क्विंटल बच गया इस तरह की दिक्कत को आप कैसे दूर करेंगे, इसका आपने क्या इलाज सोचा है ?

मैं चाहता हूं कि छोटे किसान के लिये, खेतीहर मजदूर के लिये आप एग्रो इंडस्ट्रीज हर गांव में खोलें और उनमें उनको काम दें। वह कई महीने खाली बैठा रहता है। जब वह खाली रहता है तो अपनी तरफ से एग्रो इंडस्ट्रीज के जरिये आप उनको थोड़ा सा काम अगर दे देंगे तो मैं समझता हूं कि आपका वे लोग गणगान करेंगे। इससे उनकी आमदनी थोड़ी और बढ़ जायेगी

दिल्ली में 115 के करीब गांव हैं, जिनकी जमीन एक्वायर हो गई है। वहां के लोगों ने हरियाणा में जमीन ले ली है और वे वहां खेती करते हैं। उनकी फैमीलीज यहां दिल्ली में रहती है। वे लोग हरियाणा में गेहूं, बाजरे या दूसरे अनाज की पैदावार करते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपनी पैदावार को दिल्ली में लाकर अपनी फैमीलीज को खिला सकें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी जमीन हरियाणा में बल्लभगढ़ के पास है। पिछले साल मेरे यहां जो गेहूं पैदा हुआ, मुझे उसको 76 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ा और मैं उसको यहां अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिये नहीं ला सका। मैं श्री गौड़ से दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग हरियाणा में खुद अपने पैदा किये हुये अनाज को दिल्ली में अपनी फैमिलीज को खिलाने के लिये लाना चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाजत दी जानी चाहिये।

मैं कृषि मंत्रालय की डिमांड्ज का समर्थन करता हूं।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

मैंने सीतामढ़ी जिले के बारे में कृषि राज्य मंत्री से निवेदन किया था कि और इस संबंध में 5 अप्रैल को उन्हें एक पत्र भी लिखा था। सीतामढ़ी के सैकड़ों गावों में 29 मार्च, को डेढ़ बजे रात्रि के समय एक भयंकर आंधी आई और करीब एक एक, डेढ़ किलो के ओले पड़े। बेचारे किसानों की परिश्रम से गेहूं की रबी की—जो खेती की थी, वह बिल्कुल नष्ट हो गई। ओले पड़ने से सीतामढ़ी के किसानों को करीब दो करोड़ रुपये की क्षति हुई है। उन किसानों को मदद देने के संबंध में मैंने जो पत्र लिखा था, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि श्री शिन्दे ने 22 अप्रैल को—करीब बीस दिन बाद—उसके उत्तर में मुझे पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा है:

"Please refer to your letter dated the 5th April, 1974 regarding the damage caused by hailstorm in certain areas in Bihar. Bihar Government has reported that some areas in the districts of Sitamarhi and Motihari were affected by hailstorm towards the end of March 1974. The State Government has made necessary arrangements to deal with the situation and has already placed adequate funds at the disposal of the local officers for rendering immediate relief. Execution of hard manual labour schemes distribution of house building grant and other relief measures such as funds for advance for taccavi loans etc. are also being undertaken in the affected areas.

[श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव]

Reasonable quantities of foodgrains have been made available to the State Government from the Central pool.

My Ministry has, however, forwarded a copy of your letter to the State Government.

मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि मैने जो पत्र श्री शिन्दे को लिखा, उसकी प्रति उन्होने स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट—बिहार सरकार—के पास अन्न नही है। सीतामढी जिले के सैकडो गांवो मे ओले पडने से किसानो की दो करोड रुपये की बर्बादी हुई है । लेकिन बिहार सरकार की ओर से एक छटांक अन्न भी नही दिया गया है, और न ही एक पैसा भी दिया गया है । पहले तो वहा पर चार दिन तक भारी बारिश होती रही । किसान अपने खलिहानो में रबी की फसल काट कर लाये थे, लेकिन उन बेचारो की फसल खलिहान मे सड़ गई, और जो कुछ बची, वह 29 मार्च को एक एक, डेढ डेढ किलो के ओले पडने मे नष्ट हो गई ।

मैं दोनो राज्य मत्रियो से निवेदन करूगा कि दोनो मे से एक मेरे साथ चले, तिथि निश्चित करे और सीतामढी चलें । वहा सैकडो गावो मे जो बर्बादी हुई है उसको वह स्वय देखें । वह सीतामढी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सरवे करा ले कि वहा सैकडो गावो मे ओले गिरने मे जो हानि हुई है, उसको देखते हुए वहा प्रति मास कितने अन्न की आवश्यकता है । भारत सरकार उस अन्न को डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीतामढी को भेजने की व्यवस्था करे । इस के अतिरिक्त वह उचित रेट पर गेहू और अन्य आवश्यक सुविधाये देने की भी समुचित व्यवस्था करे ।

मै आपके माध्यम से मत्री महोदय का ध्यान देश मे चीनी वितरण की वर्तमान व्यवस्था की ओर खीचना चाहता हू । मै दिल्ली मे देखता हू कि कृषि भवन और रेल भवन के बगलमे सरकार का एक कानर्ज्यूमर स्टोर है । वहा चीनी 2-20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है लेकिन बगल में एक दुकान पर चीनी 4 रुपये और 4.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है । यह बहुत दुख की बात है । जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी और पूजीपति है, जिनके लिये राशन कार्ड की व्यवस्था है, उन को चीनी 2 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती है । लेकिन जो गरीब और हरिजन हैं, जिनके लिये अभी राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, उनको चीनी 4 रुपये और 4 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके, सरकार चीनी वितरण की इस दोषपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करे, और यदि चीनी की कमी है, तो सभी लोगों को एक तरह के रेट मे चीनी बेची जाये । लेकिन यदि आप उस तरह की व्यवस्था नही कर सकते है देश मे तो कम से कम हर एक आदमी के लिये चार चार छटाक प्रति हफ्ता देने के लिये नही है तो दो ही छटाक दे प्रति हफ्ता लेकिन सभी लोगों के लिये धनी गरीब सरकारी अधिकारी सभी के लिये 2 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से पूरे देश मे चीनी के वितरण की व्यवस्था करे, यह मेरा निवेदन है ।

हमारे बजुर्ग साथी श्री डी० एन० तिवारी साहब से हम ससद सदस्यो को सीख लेनी चाहिये । ये अपने कम्पाउन्ड की पूरी जोताई करके गेहू इत्यादि की पैदावार करते हैं और सब्जी भी इतनी पैदा करते है कि अपने भी खाते है और अपने साथियों को भी खिलाते हैं । लेकिन उनसे बातचीत करने से पता लगा कि सैकडो बोझ गेहू कट करके उनके कम्पाउन्ड में रखा हुआ है, अभी तक दौनी की व्यवस्था उस के लिये नही हो पाई है । इसलिये मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि जितनी जल्दी हो सके उसकी दौनी की व्यवस्था कर दे ।

मै आपके माध्यम से मत्रियो का ध्यान ट्यूबवेल की ओर ले जाना चाहता हू । उत्तरी बिहार मे ट्यूबवेल की कमी है । इस

लिये मेरा निवेदन है कि उत्तरी बिहार जहां करीब 20 फुट 15 फुट और 10 फुट पर पानी उपलब्ध है वहा के लिये 500 ट्यूब्वेल देने की व्यवस्था करे जिससे हम अन्न पैदा कर सकें। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समयाभाव के कारण मेरे बहुत से प्वाइट छूट गये। जो भी आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

(*Interruptions*)

MR CHAIRMAN. I have not given my permission to anyone. Nothing will go on record Mr N P. Yadav, you will please resume your seat

Shri R. P Yadav

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) सभापति महोदय, मै कृषि मत्रालय द्वारा प्रस्तुत मागो के समर्थन मे खडा हुआ हू। भारत के 70 प्रतिशत लोग खेती तथा खेती के सबधित कारोबार पर निर्भर करते हैं। कृषि की तरक्की ही देश की तरक्की है। कृषि की तरक्की पर केवल गरीबी को दूर करना तथा आर्थिक आत्म-निर्भरता ही नही बल्कि जनतंत्र का स्थायित्व भी निर्भर करता है।

खेती की तरक्की मुख्यत तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली है सिचाई, दूसरी है उत्तम बीज और तीसरी है उर्वरक। दुख के साथ कहना पडता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्षों के बाद भी भारत मे खेती योग्य भूमि के 25 प्रतिशत मे ही सिचाई हो पाती है। उसमे से 15 प्रतिशत मे तो एग्रीकल्चर इरीगेशन है और 10 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर करता है। यह मानी हुई बात है कि यदि हम पानी की व्यवस्था कर दें तो इतनी ज्यादा उपज होगी जिसका कि अदाज नही हो सकता। जहा तक 15 प्रतिशत एग्रीकल्चर इरीगेशन की बात है उस के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं बिहार के उस भाग से आता हू जहां पर कोसी नदी का चैनेल जाता है जिससे सिचाई होती हैं। जिस समय कोसी नदी बाधी गई थी बहुत बडी आशा लोगों को थी कि उसके माध्यम से वहां की गरीबी मिट सकेगी। लेकिन तकलीफ के साथ कहना पडता है कि कोसी नदी का जो चैनेल है उसकी आज यह गति है कि हम जब अपने क्षेत्र मे जाते हैं तो लोग हाथ जोडकर कहते हैं कि अपनी कोसी नदी को वापस ले जाओ, इसके चैनेल को वापस ले जाओ। हमे सिचाई की व्यवस्था नही चाहिये। हम पूछते हैं कि क्यो ? तो वह कहते हैं कि कारण यह है कि जिस समय सिचाई की जरूरत होती है तो उस समय पानी नही मिलता। कहा जाता है कि बालू आ गया है। लेकिन पता नही क्यो जिस समय लोगो को पानी की आवश्यकता होती है उसी समय मे उसमें बालू निकाला जाता है। कारण उसका क्या है, यह आप जान सकते हैं, मैं तो नही जानता हू। दूसरी बात यह है कि स्टैग-नेशन आफ वाटर इतना होता है कि जहां पहले जो भी उपज होती है हमारे इलाके मे वहां पानी इस कदर फैल जाता है कि कोई उपज वहा नही हो पाती। उसके निकास की कोई व्यवस्था नही है। तीसरी बात यह है कि जो सरकार की तरफ से कमाड एरिया डिक्लेयर किया गया है कि इतनी जमीन मे हम सिंचाई करेंगे उसका वह बाजाब्ता रेन्ट लेते है, लेकिन पानी ले या न ले उस को उतने पानी का रेन्ट देना है। अब लोग परेशान है कि इस

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव]

सिंचाई से आखिर हमे क्या फायदा है ? फायदे के बजाये बल्कि नुक्सान है । इसीलिये लोग कहते हैं हाथ जोड करके आप इस सिंचाई की व्यवस्था को वापस ले जाइए । हम वैसे ही ठीक थे, अभी भी वैसे ही ठीक रहना चाहते हैं । तो मैं आग्रह करूगा सरकार से कि इस ओर वह ध्यान दे । जहा एग्योर्ड इरीगेशन है 15 प्रतिशत उसको यह स्थिति है । जहां एग्योर्ड इरीगेशन नही है उस के बारे मे तो कुछ कहना ही नही है ।

दूसरी बात है उत्तम बीज । उत्तम बीज की जवाबदेह राष्ट्रीय बीज निगम पर है । राष्ट्रीय बीज निगम का कुछ तस्किरा मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । नेशनल सीड्स कारपोरेशन का जो भी हाल हैं उसके बारे मे हाउस में भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है और कालिंग अटेंशन के माध्यम से यह मामला सदन के सामने आ चुका है । पेपर मे भी आ चुका है । उसमे इतना बडा गडबडघोटाला है कि जिसके बारे मे कहना कुछ ठीक नहीं लगता । लेकिन हकीकत यह है कि जब 1971 मे इस के अदर बहुत सारी खराबिया आई, इससे बडे बडे अफसर भ्रष्ट हो गए । अभी आपने देखा होगा बगला देश को सीड भेजना था आलू का उसमे सडा हुआ तो खैर भेजा ही गया उसके अलावा ट्रासपोर्ट की जो कास्ट थी वह बहुत बढ गई । उसे डाइरक्ट यहा से बगला देश भेजना था । वह न भेजकर कलकत्ता म ब्रेक किया । उसके अदर इतना घाटा हुआ कि उसके बारे में हाउस मे डिस्कशन हुआ है और हम चाहेंगे कि माननीय मत्री महोदय इस पर जरा ध्यान दे, केवल जवाब के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ईमानदारी से ध्यान दें ताकि कुछ स्थिति उसकी ठीक हो सके । 1971 में वहा की यूनियनो ने एक रेप्रेजेन्टेशन प्राइम मिनिस्टर को दिया जिसमे उन्होने बताया कि इसके चार पाच पदाधिकारी इसमे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके लिये जवाबदेह हैं । तीन चार पदाधिकारियो का उसमें जिक्र किया जिसमे सर्वश्री जी० सी० एन० चेहल, रीजनल मैनेजिंग डायरेक्टर थे, दूसरे थे एम० एम० जोशी, रीजनल मैनेजर दिल्ली तीसरे थे,बी० एस०राना, रीजनल मैनेजर पूना और चौथे थे ए० सी०सक्सेना, डिप्टी चीफ प्रोडक्शन आफिसर, इन चार अफसरो के बारे मे उन्होने लिखा । इसी आधार पर कालिंग अटेंशन भी राज्य सभा मे आया जिसको ठीक मानकर सरकार ने कहा कि ठीक है हम एक एन्क्वायरी कमीशन नियुक्त कर देते हैं । एक ससदीय एन्क्वायरी कमीशन बैठा जिसके चीफ हुये श्री बी० एन० गाडगिल, मेम्बर राज्य सभा जब यह एन्क्वायरी शुरू हुई तो उस पर इतने प्रेशर पडने लगे कि उनको लाचार होकर रिजाइन करना पडा । एन्क्वायरी करने के पहले ही उनको रिजाइन करना पडा । ये ब्यूरोक्रेटस, ये अफसर उसके लिये रीजन कुछ भी दें । इन लोगो का कहना है कि उनका टाइम नही था, लेकिन ऐसी बात नही थी वे उनको कोई भी फाइल नहीं देते थे, इसलिये लाचार होकर जब उन्होने देखा कि मैं एन्क्वायरी नही कर सकता हू तो उन्होने रिजाइन कर दिया । इस तरह की हालत नेशनल सीड कारपोरेशन की है जिस पर यह निर्भर है कि देश भर को अच्छा बीज सप्लाई करे । मैं चाहूंगा कि इस

का थोरो प्रोब हो और वास्तव मे इसको रीग्रार्गेनाइज किया जाये, ईमानदारी से, बचाव के दृष्टिकोण से नहीं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उन के विभाग की बात है इसलिये शील्ड करने की बात नही होनी चाहिये।

तीसरी बात यह है कि देश में उर्वरक का अकाल है। बहुत मुश्किल से भारतीय किसान ने यह वाजिब समझा है कि जो केमिकल खाद उस पर निर्भर किया जाये। उन्होंने निर्भर करना शुरू किया लेकिन अब हालत यह है कि कही भी खाद नही मिलती है। जहा भी मिलती है वह बिना ब्लैक के नहीं मिलती। सीधे तरीके से कहीं नहीं मिलती। अगर यही स्थिति रही तो जो आपने हरित क्रान्ति का नारा दिया है वह कहा तक पूरा हो सकेगा? इसलिये इस को भी मंत्री महोदय खास तौर से देखें।

खाद किस जमीन मे कितनी दी जाये उसकी जाच भी आवश्यक है और जाच के लिये या तो इन की तरफ से वी० एल० डब्लू० गावों में हैं लेकिन यह आज क्या करते हैं कि जो गावों के मुखिया या मुख्य लोग हैं उनके पास रहते हैं और खाते हैं और उसके बाद आराम से रिपोर्ट दाखिल करते हैं कहीं जमीन की जाच नही होती है कि किस जमीन मे कितनी खाद देनी चाहिये, कितना पानी देना चाहिये, यह सब कुछ नही होता।

उन्नत खेती यदि करना चाहते है तो उस के लिये औजार भी उन्नत किस्म के होने चाहिये।

आप को मालूम होगा कि हमारे यहा जो ट्रैक्टर्स बनते हैं उन की कीमत 25–30 हजार होती है। आपने अभी लैंड सीलिंग का कानून कागज पर बनाया है जिस से छोटे छोटे प्लाट्स बनेंगे—ऐसी हालत में छोटा किसान 25–30 हजार रुपये का ट्रैक्टर कैसे खरीदेगा। इस लिए मेरा आग्रह है कि आप छोटे ट्रैक्टर्स बनाने की व्यवस्था करे, जो 5–7 हजार की कीमत के हों और जैसा अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि आप कुछ ट्रैक्टर्स ब्लाक्स मे रखे जहा लोग जरूरत पड़ने पर किराया दे कर ट्रैक्टर की सुविधा प्राप्त कर सकें।

ट्रैक्टर्स के सम्बन्ध मे एक बात और कहना चाहता हू—देहातों में जो ट्रैक्टर्स खराब होते हैं उन की मरम्मत के लिए डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वाटर्स मे या कई बार तो बहुत दूर ले जाना पड़ता है—इसमे बहुत नुकसान होता है। मेरा आग्रह है कि मोबाइल वर्कशाप बनाये जाय तथा हर ब्लाक-लेवल पर ट्रैक्टर वर्कशाप जरूर होना चाहिए ताकि उन की मरम्मत की जा सके।

प्लांट प्रोटेक्शन भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। नई और उन्नत किस्मों के आने से कभी कभी फसल मे खराबी भी आ जाती है—जिस के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को प्लांट प्रोटेक्शन के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें हर प्रकार की सुविधाये उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

एग्रीकल्चर-मार्केट का जहा तक सम्बन्ध है—सरकार यदि ज्यादा दाम तय करती है तो जो उपभोक्ता है, वह शिकायत करता है। यदि कम दाम तय करती है तो किसान शिकायत करता है। इस लिए मेरा आग्रह है कि दामों मे सन्तुलन रखते हुए इस तरह की व्यवस्था करे कि दामो के सम्बन्ध मे न उपभोक्ता को शिकायत हो और न फार्मर्स को कोई शिकायत हो।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव]

एक बात का जिक्र मैं अवश्य करना चाहता हूं—भूमि-सुधार कानून कागज पर तो पास हो चुका है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स मे अभी लागू नही हुआ है । अगर इस कानून को लागू भी करे तो इस मे इस तरह के डिफेक्टिव क्लाज है, इतने क्लोज़ हैं कि किसी को हजारों एकड जमीन है, लेकिन कागज मे जो सीलिंग की गई है, वह नियम के मुताबिक है। नतीजा यह हो रहा है कि सरप्लस जमीन उपलब्ध नही हो रही है। मै चाहता हू कि सरकार शीघ्र कोई ऐसी व्यवस्था करे जिस से सरप्लस जमीन हरिजनो और दूसरे भूमिहीन किसानो को खेतीहर मजदूरो को दी जा सके, जो वास्तव मे उस पर खेती कर सके ।

बैक का राष्ट्रीयकरण इस लिए किया गया था कि छोटे किसानो को खेती करने के लिए उन बैको से ऋण मिल सके। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नही हुआ । 1969 तक जब कि बैको का नैशनलाइजेशन नही हुआ था बडे पूंजीपतियो को, बडे बड घरानो को 440 करोड 20 लाख रुपया उधार दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद एक वर्ष मे ही 535 करोड रुपया उन को दिया गया, इससे किस को फायदा हुआ ? जो मारवाडी है, बडे बडे पूंजीपति है, वे इस का फायदा उठा रहे है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते है कि छोटे किसानो को बढावा मिले तो उन के लिए ऋण की उचित व्यवस्था की जाये। अच्छे बीज की व्यवस्था हो, उवरको की व्यवस्था हो सिचाई की व्यवस्था की जाये, उन के फसल का सरक्षण हो जिस से उन की खेती आगे बढ सके और इसी के माध्यम से देश भी आगे जा सके।

कुमारी मणिबेन पटेल (साबर कठा) : सभापति महोदय, मैं इस चर्चा मे इस लिये भाग ले रही हू कि कुछ खास बातो की तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान खीच सकू ।

इण्डियन नेशनल डेरी डवेलपमेन्ट बोर्ड बोर्ड ने 1969 में एक प्राजेक्ट रखा था । दो साल तक उस की मन्जूरी नहीं मिली, 1972 तक दिल्ली के कृषि मंत्रालय में उस पर खेती होती रही, दो साल के बाद उस की मन्जूरी मिली । यहा डा० कोरियन ने वर्ल्ड फड प्राजेक्ट वालो से बात की थी और आग्रह किया था कि मैं क्वालिटी के बारे में कोई कम्प्रोमाइज करने वाला नही हू । उन्होने जो माल रिजेक्ट किया था वह माल आप की मिनिस्ट्री ने स्वीकार कर लिया और उसे बगला देश को दिया, जिस से हमारी सरकार की काफी बदनामी हुई । मैं पूछती हू कि आप ऐसा क्यो करते है अगर काम करना है तो जल्दी करे और ठीक से करें, तब उस का फायदा होगा ।

हमारे इन्ही डा० कोरियन ने हमारी आमूल डेरी का विकास किया था । जब हम ने इस को शुरू किया था तो एक छोटा सा मकान केन्द्रीय सरकार से किराये पर लेकर शुरू किया था, देहात की 20 सहकारी मंडलियो से आरम्भ हुआ लेकिन आज 600 सहकारी मडलिया इस मे है जिन का सारा दूध इस डेरी को मिलता है और यह डेरी आज सारे एशिया मे सब से बड़ी डेरी है । इस लिये मेरा कहना है कि देरी नही करनी चाहिये । अगर आप फ्लड-आपरेशन का काम ठीक से चलाना चाहते है तो फौरन मन्जूरी दिया करे । आज वहा से मन्जूरी लेने के लिये बार बार आदमी को आना पडता है, आप के मत्रालय मे कोई न कोई रोडा अटकता ही रहता । चाहे आप का मंत्रालय हो, प्लानिंग कमीशन हो या कोई भी विभाग हो—यदि फलड-आपरेशन को सक्सेसफुल करना है, सारे देश मे जो दूध की कमी है उस सकट से उस को निकालना है तो उस का एक ही रास्ता है कि जो यहा पर हर चीज मे आप के मत्रालय मे या प्लानिंग कमीशन मे या और जगहो पर जो रोडा डाला जाता है वह न डालिये और शीघ्रता से

कामो की मन्जूरी देनी चाहिये । जो बड़े उद्योगपति होते हैं वे तो अपने कामों के लिये लाइनों आफिसर रखते हैं और उन के द्वारा आप के यहां दोनो का मामला चलता है, इस तरह से हम तो नही कर सकते है, जिससे देश का बहुत नुकसान होता है । मेरा आप से आग्रह है कि आप स्वयं इस को देखे कि एक बार मन्जरी देने के बाद उस मे रोड़ा नही डाला जाये । पेंशन देने का काम जल्दी होना चाहिये ।

दूसरी बात---आप शहरो मे अनाज रखने के लिये गोदाम बनाते हैं, उन में साल भर का अनाज भरते हैं:---मैं पूछती हूं---क्या आप ने कभी अपने घर में 12 महीने के लिये अनाज भरा है । यह काम तो देहातों मे होना चाहिये । मेरी राय तो यह है कि आप इस को किसानों के पास ही रहने दें और उन को कह दें कि हम आप से तब लेंगे जब हम को जरूरत पड़ेगी और आप को य दाम देंगे । लेकिन आप क्या करते हैं---उन से 70 रुपये में लेते हैं और 170 में बेचते हैं ---इस तरह से आप को किसानों से कैसे अनाज मिलेगा, उन का उत्साह कैसे बढ़ेगा ।

आप अखबारो में देते हैं कि अन के दाम गिरे हैं । लेकिन मैंने अहमदाबाद मे देखा है गेहूं के दाम नहीं गिरे हैं । गुजरात गवर्नमेन्ट जो दाम बतलाती है उस दाम मे बाजार में गेहूं नही मिलता है । आज बाजार में गेहूं का दाम कितना है, चीनी का दाम कितना है, दूसरे अनाज का दाम कितना है---आप जरा बाजार मे जाकर मालूम कीजिये । लेकिन अगर आप मोटर मे बैठ कर और सिक्योरिटी आफिसर के साथ जायेंगे तो आप को सही दामों का पता नही लगेगा, लेकिन अगर आप साधारण आदमी की तरह से जायेंगे, लोग आप को मिनिस्टर के रूप मे नहीं पहचानेंगे तब आप को सही दामो का पता लग जायेगा ।

आप की राशनिंग की दुकानो पर जाते हैं तो वहां जो अनाज मिलता है उस मे आधा कंकर होता है और वह भी हर हफ्ते नही मिलता है । चीनी नही मिलती है---अब अगर हम को महीने मे चीनी नही मिली, तो जिस महीने की नही मिलती है, उस महीने की लैप्स हो जाती है । यह कोटा कहा जाता है, कौन खाता है । जिस के पास कार्ड है, जब उस को नही मिलती है तो वह चीनी कहा जाती है---ऐसी व्यवस्था किस काम की है । अगर ऐसी व्यवस्था करनी है तो आप राशनिंग छोड़ दे, सस्ते दामों की दुकानो का काम आप से नही चलेगा ।

16.00 hrs.

मैं खास तौर से इस बात पर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि नेशनल डेरी डेवलपमेन्ट का जो काम है उसमें शीघ्रता आये और उसमें कोई रोड़ा मत डालें । यदि कोई उत्साह से काम करने वाला हो तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए । अमूल डेरी एशिया में बहुत बड़ी डेरी है उसको काम करने का मौका देना चाहिए ।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) सभापति जी, कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है । विकसित कृषि के बल पर ही हम अपने देश को श्री सम्पन्न बना सकते हैं । मुझे यह कहते हुए बडी प्रसन्नता हो रही है कि आजादी के बाद हमारी सरकार ने इसको समझा और अपनी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से कृषि के विकास पर जोर दिया । फलत: कृषि जगत मे हलचल पैदा हुई, क्रान्ति हुई और उत्पादन मे वृद्धि हुई । किन्तु बावजूद इस बात के ऐसा लगता है कि इसमें मूलभूत कुछ त्रुटियां रह गईं, या अभी भी हैं जिनके चलते कृषि मे जो विकास हुआ उसका फल अमीरो को ही ज्यादा मिला और गरीब वर्ग के लोग उपेक्षित ही रहे । यह बात इससे भी साफ होती है कि एक

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

लाख से ऊपर गांवों में हमने अभी तक शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं की है । 80 परसेन्ट ग्रामीणों में हमने अभी तक औषधालय की व्यवस्था नहीं की है । कुल 55 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ खेतिहर हैं और 5 करोड़ कृषि लेबरर्स हैं और इन्हीं लोगों के जिम्मे सारे देशवासियों को खिलाने-पिलाने का दायित्व है । इसलिए इनका काम बड़ा महत्वपूर्ण है । तो मैं चाहूंगा कि इनको उचित सम्मान मिले खेती में वे सफल रहें इसके लिए उनको बढ़ावा दिया जाये और चाहिए कि सभी अपने किसान भाइयों को आज का देवता कहें तथा उनकी झोपड़ियों को अपना देवालय मानें । पूरी कृषि की 20 परसेन्ट जो जमीन है इस जमीन में साठ परसेन्ट वैसे लोगों के द्वारा खेती की जाती है जिनके पास तीन हेक्टर से 5 हेक्टर जमीन है और 38 परसेन्ट लोग 80 प्रतिशत जमीन को रखे हुए हैं। ये सभी चुनौतियां हैं कृषि मंत्रालय के सामने जिनको उसे स्वीकार करना है और उनको हल करने की तरकीब सोचनी हैं जिससे कृषि का विकास हो सके । 30 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों की संख्या 15–16 लाख है है और सरकार के कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हीं लोगों को विकास के अवसर मिले हैं । जो पांच करोड़ लोग हैं जिनके पास 5 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं है वे ज्यादा लाभान्वित नहीं हो सके हैं ।

जहां तक लैंड सीलिंग ऐक्ट का प्रश्न है, इसमें दो चीजें ऐसी हैं जिनके कारण यह ऐक्ट सफल नहीं हो रहा है । पहले तो जो भूमिचोर हैं उन्होंने, जब सरकार ने नियमों को लागू में नहीं किया था तभी जो सरप्लस जमीन थी उसकी अदरवाईज व्यवस्था कर ली । दूसरे जो भी जमीन कानून के अन्तर्गत प्राप्त हो सकी है उसका वितरण एक और अनेक कारणों से रुका हुआ है, मुकदमे चल रहे हैं, यह होता है और वह होता है तथा उसका नतीजा यह होता है कि गरीबों को जमीन नहीं मिल रही है ।

बैंकों का जो नेशनलाईजेशन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि गरीबों को कर्ज मिलने में सुविधा हो जिससे वे कृषि का काम कर सकें लेकिन हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो गए । उन को कर्ज मिलता नहीं है । एक तो नियम बड़े जटिल है और यदि नियमों के अन्तर्गत वे आभी जाते हैं तो अधिकारियों और कर्मचारियों के चलते उसको ऋण मिलता नहीं है । परिणामस्वरूप वे खेती में अपना मन नहीं लगा सकते हैं । उनको अवसर नहीं मिलता है कि अपनी खेती को विकसित कर सकें । यह बात सही है कि किसानों को, गरीबों को, हरिजनों को तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से उचित सहायता मिले इसके लिए सरकार ने दो संस्थाओं की स्थापना की है—एक है स्माल फार्मर्स डेवलपमेन्ट एजेन्सी और दूसरी है मार्जिनल फार्मर्स ऐंड एग्रीकल्चरल लेबर एजेन्सी । यह बात भी सही है कि यह बहुत अच्छा काम है लेकिन इसको हम बहुत कम रुपया देते हैं । साल में एक किसान को मुश्किल से करीब 60–65 रुपया देते हैं । आप ही सोचें कि 60–65 रुपए में एक किसान क्या कर लेगा ? उसमें वह क्या बीज खरीदेगा, क्या खाद खरीदेगा, क्या औजार खरीदेगा या और क्या कर लेगा ? तो यह रकम बहुत कम साबित होती है इसमें अवश्य वृद्धि होनी चाहिए और इसके जरिए किसानों को यथेष्ट सहायता दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए—यह मेरा सुझाव है ।

इसके बाद मैं इरीगेशन और एलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स पर आता हूं । अब तक जो योजनायें बनी हैं उन पर 75 सौ करोड़ रुपया सरकार ने खर्चा किया है । अब सारे

देश में जो होता हो लेकिन हमारे यहां भी एक-आध बड़ी बड़ी योजनायें चालू हुई हैं लेकिन उसका काम पूरा नही हुआ है और मालम नही कब पूरा होगा । जैसे हमारे यहां कोसी और गण्डक योजनाये हैं उनके लिए यहां पर बडी कोशिश की कि केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन का भार अपने ऊपर ले ले लेकिन हम उसमे सफल नहीं हो सके हैं । यदि अब भी इस पर सरकार विचार करे तो अच्छा है नहीं तो स्टेट गवर्नमेन्ट को पूरा रुपया मिले ताकि इन योजनाओ का शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन हो सके और जनता को उसका लाभ मिल सके ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बडी योजनाओं के अलावा छोटी छोटी योजनाये ग हैं उनके कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाये तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है । हमारे क्षेत्र में दो छोटी योजनायें हैं, दो कैनाल्स हैं उनका यदि जीर्णोद्धार कर दिया जाये तो उससे हजारों एकड़ जमीन मे अन्न का उत्पादन बढ़ जायेगा । जैसे भकुआ कैनाल और किम कैनाल---इन दोनों का जीर्णोद्धार हो जाये तो लाखो मन अनाज की पैदावार हो । मैं चाहूंगा सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे ।

इसके अतिरिक्त जहां से मैं आता हूं वह कोसी की बेल्ट है, वहा बहुत सारी जमीन यों ही पड़ी हुई है, बहुत कम जमीन में उपज होती हैं । मैं वहां की जो वास्तविक स्थिति है उसका वर्णन करना चाहता हूं । वहां पर जमीन मे जो थोड़ी उपज होती भी है उस पर भी आक्रमण बोल दिया जाता है और उस उपज को लूट लिया जाता है और किसान मुंह ताकते रह जाते हैं । (व्यवधान) आप इसको अपने पर न लें, इसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी है ।

साथ ही इस देश में जगल बहुत हैं लेकिन उनसे हम अधिक लाभ नहीं ले रहे हैं । यह इस बात से साबित होता है कि और देशो में प्रति वर्ष एक एकड़ में दो सौ रुपए की आय होती है जबकि अपने देश में हम एक एकड़ में मुश्किल से 10 रुपए प्राप्ति करते है । इसलिए वनों के विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार स्टेट्स को कैश प्रोग्राम्स के अन्तर्गत रुपया देती है जिससे डेवलपमेन्ट का काम हो रहा है । उससे बहुत अच्छा काम हो रहा है । हमारे यहा बिहार मे रोड डेवलपमेन्ट का काम होता है । हमारे क्षेत्र मे घोघरडीहा प्रखड मे दो सड़कों की मंजरी हुई तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनका कोआपरेशन इतना मिला कि रास्ते मे जो घर थे उनको उन्होंने अपने से ही तोड़ दिया और योजना का स्वागत किया । लेकिन रुपए के अभाव मे उन सड़कों का पक्कीकरण नही हो रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके समक्ष भी रुपए का सवाल है, महंगाई है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी काम हो रहे हैं उनमें यह कर्म सबसे सफल है और इसकी सफलता और हो सके उसके लिए आप यथेष्ट सहायता दें ताकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो बिहार में काम शुरू हुआ है वह पूरा हो सके ।

एक बात की ओर मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में इस सदन में कालिंग अटेंशन के अवसर पर चर्चा चली, स्टार्ड क्वेश्चन में भी चर्चा चली और कल श्री गेदासिंह जी ने भी उसकी चर्चा की थी । मैं भी ऐसा अनुभव करता हूं कि यह जो शुगर इण्डस्ट्री है इसके नेशनलाईजेशन पर सरकार शीघ्रातिशीघ्र विचार करे । जिनके पास बंगला है, बहुत सारी जमीन है

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

वे इसमें अन्न उपजाते हैं वे और ज्यादा उपजा सकें । इसलिये जो आवश्यक सामान है जैसे खाद, बीज, वह उनको मिले ताकि ज्यादा उपज हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं ।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): Mr. Chairman, I rise to support the Demands of the Ministry of Agriculture. I have no doubt that the price rise of foodgrains and defective distribution system are the root causes of the present riots in various parts of the country, specially in Bihar. So, immediate steps should be taken to tone up the food control and distribution machinery in the whole country. The officials of the Food Corporation of India and the Government depots and stores take high-handed action and they do not bother about distribution. I come from Jamshedpur where FCI has got a godown. Whenever we are short of foodgrains they wait till they get sanction from Delhi and Ranchi, which sometimes takes as much as 15 days, even when an SOS is sent. This should be looked into by the Agriculture Minister

Singhbhum and Jamshedpur are deficit areas in Bihar, so far as foodgrains are concerned. The Central Government dump their foodgrains in Patna in the godowns of the FCI and it takes two to three months for the foodgrains to reach Jamshedpur and Ranchi. Steps should be taken to expedite the movement of foodgrains already there and there should be direct supply to the big cities which are now depending on the Centre for foodgrains.

Coming to corruption, I was more shocked than surprised to read a report in the papers that the Maharashtra Government had to bribe the FCI officials to get the release of foodgains to Maharashtra. This was stated by Shri Shinde, Minister of Agriculutre and Food, in Rajasthan, I hope the Minister will ensure that such things do not take place.

In 1972 the hon. Minister, Shri Shinde, announced in this August House that by 1973 we would be surplus in foodgrains and we would even export foodgrains, and the USA Aid through PL 480 was suspended. The result is that we have now to depend on other countries. In future, such statements should not be made on the advice of the bureaucrats.

The farmers should be exempted from agricutlural income-tax. I would like to know what steps the Government propose to take against hoarders and blackmarketeers. The Government should amend the Food Control Act and those who contravene the Act should be awarded life sentence, if not death penalty. Government should not simply blame drought, flood and other natural calamities for shortfall in production. They should make alternative arrangements so that the impact of these calamities would not be much. We should not export foodgrains out of India, as long as we are short of food-grains.

Now the tribal and backward areas of Bihar are being neglected. The farmers are not given any guidance in agriculture. Nor are there any schemes of minor irrigation in Jamshedpur or Singhbhum. If the projects of construction of dams in suvarnrekha river, already sanctioned, are taken up, it can irrigate thousands of acres of land in Bihar, Bengal and Orissa. So, the construction of dams should be taken up without delay.

The water pump sets supplied to the farmers are of an inferior quality. The departmental officers who purchased them should be proceeded with for corrupt practices

The aid given to the farmers for the purchase of bullocks, cows and buffaloes do not reach them in full. Instead of money, they should be given bullocks and cows to avoid corrupt practices of the officers.

Lastly, I suggest that the Government should introduce two types of farms, just like in the Soviet Union, State Farms and Collective Farms. This will improve the production of foodgrains. The sooner the better. Our vast country will not prosper only with industrial progress if it is not backed by the agricultural surplus.

With these suggestions, I heartily support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculutre.

श्रीमती सहोदराबाई राय (सागर) : सभापति जी, धन्यवाद है मुश्किल में मौका मिला । कई लोगों को तो कई कई दफा बोलते है और कुछ को मौका ही नही देते । मैं कृषि मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करती हू, साथ ही साथ यह भी कहना है कि 1947 में जो जमीन की हालत थी वह अब नही है सरकार ने कृषि में तरक्की की हैं और काफ़ी, जमीन में सिंचाई है । इस साल अपने जिले में और उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय एक ही चीज देखी और वह यह कि पाला पड़ने से अलसी, मसूर, अरहर और चना मारा गया । लेकिन गेहू बहुत हुआ है । एक एक खेत में नुनहला गेहूं इतना हुआ है कि काटते समय खेत से बाहर हो गया है । किसानों के पास इस साल काफ़ी गल्ला हुआ है ।

रहा सवाल जो भूमिहीन हैं तो भूमि कहीं बची नहीं, बैठने तक को जमीन नहीं है । अब सरकार कहां से जमीन लाये । देहातों में औरतो की टट्टी तक के लिये जगह नहीं है । खलिहान और बांध के नजदीक तक मकान बन गये । अब जमीन सरकार कहां से लाये ? अब बचे जंगल । तो जंगल ही आप कटवा दें और वह जमीन हरिजनों और आदिवासियो को दे दें । मैंने देखा है कि जमीन अगर किसी हरिजन, आदिवासी को दे भी दें तो पहले तो खेती करने के लिये बैल चाहिये। आजकल बैल ढाई, तीन हजार रु० से कम नही मिलते इसलिये उन बेचारों के लिये बैल लेना ही समस्या है । आप कहते हैं कि भैंस, बैल रख । जब जमीन नहीं बची तो कहा चरायेंगे उन को । लोग परेशान हैं । आप ने जो आदिवासी और हरिजन को 4, 6 एकड़ जमीन दी है तो पहले तो खेती के लिये बैल चाहिये तीन हजार के, उस के बाद साल भर के लिये बीज वगैरह और खेती के उपकरण चाहिए । जब वह परेशान हो जाता है तो बगल का बड़ा किसान उस को अपने घर ले जाता है और कहता है कि 6,000 रु० लो और जमीन हमें दे दो । वह बेचारा उस जमीन को बड़े किसान को बेच देता है और फिर शहर को चला जाता है वहां जा कर रिक्शा खरीदता है, कोई धंधा करता है जिस से 10, 20 रु० रोज कमाता है ।

अगर भूमि आप को भूमिहीनो में बांटनी है तो 4, 6 एकड न दीजिये बल्कि 10, 12 एकड़ दीजिये जिस से साल भर किसानी कर सके । वैसे तो अब कोई किसानी नही करना चाहता, बीच में कौन जाय । शहर में मजे से सिनेमा देखेंगे, दूसरा धंधा करेंगे जिस में फ़ायदा है खेती में क्या रखा है । तो आपको इन तमाम बातों को सोच कर कदम उठाने चाहिये । जिस को जमीन दे 10, 12 एकड़ से कम नही होनी चाहिये । 4 एकड़ में वह बेचारा क्या करेगा ? हमारे मध्य प्रदेश में बीड़ी का धंधा है । लोग खेती भी करते हैं और बीड़ी भी बनाते हैं । लेकिन दूसरे प्रान्तो में दूसरा धंधा नहीं है, न कोई उद्योग है, न कुछ है । तो सब प्रान्त एक से नहीं हैं । जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश

[श्रीमती महोदरा बाई राय]

और उत्तर प्रदेश मे गेहू ज्यादा होता है, जब कि दूसरे प्रान्तो में नही होता । अगर यह चार प्रान्त गेहूं पैदा न करें तो सारा देश भूखो मर जायेगा ।

खेती की उन्नति के लिये आप कदम उठाएं । जहा सिचाई के साधन नही है वहा सिचाई के साधनो का भी प्रबन्ध कीजिये । हमारे मध्य प्रदेश मे वैसे सिचाई के साधन धीरे धीरे सब जगह हो रहे है । वहा ट्यूबवैल हैं, पम्प हैं । नदियो से भी सिचाई होती है । काफी बागीचे लगने लगे है, आलू होने लगे हैं । जहा जहा सिचाई के साधन नही है और उपलब्ध हो सकते हैं, वहा आप इनको उपलब्ध कराए ।

मिलिट्री के लोग जब निकलते है तो उनको हर जिले मे जमीन दी जाती है । वे उसका जोतते तो नही बेचबाच कर रुपया ले कर चले जाते है । हमारे सागर कैंटोनमेंट के बारे मे मैंने एक पत्र मौर्य जी को दिया है, एक प्रधान मंत्री को दिया है, एक गृह मंत्री को दिया है । वहा हमारे हमारे 25—30 हजार लोग बसे हुए हैं । वहा वे खेती कर रहे है । आलू गेहू, सब्जियां उगा रहे है । अब मिलिट्री ने आदेश दिया है कि इसको खाली करो, रिटायर्ड लोग आएंगे और उनको वहा बसाएंगे । ऐसी बात नही है कि सागर कैंटोनमेंट से ही दरख्वास्त आई हो । और चार छ जगहों से भी आई है । मै चाहती हू कि आप इस बारे से सोच समझ कर कदम उठाए । अगर आपने जल्दी कदम कोई उठाया तो आन्दोलन एक और उठने वाला है यह मैं आपको चेतावनी दे देती हू, एक आफत और आने वाली है । तब काम कैसे चलेगा ।

गल्ले के बटवारे का भी सवाल है । योजना तो आप अच्छी बनाते है, प्रान्त के स्तर पर अच्छी बनती है, लेकिन जिले के स्तर पर, कलैक्टर के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर जा कर वह खबर ब हो जाती है, समाप्त हो जाती है । पटवारी तक जाते जाते सब खत्म हो जाता है । वहा पैसे के बिना काम ही नही चल सकता है । इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये ।

बैंको से कर्जा लेना होता है तो दस बार तो दरख्वास्ते ले कर जाना पडता है और चार हजार मिलने होते है तो चार सौ वहा देने पडते हैं, एक हजार लेना हो तो एक सौ पहले देने पडते हैं । रह जो भ्रष्टचार हैं यह भी दूर होना चाहिये । कुआं खोदना होता है तो आधा तो पहले दे देते है और बाकी का कहते है कि तीन किस्तो मे दिया जाएगा । इस तरह मे कुआ अधूरा ही रह जाता है ।

मौर्य जी नए आए है । आप हवाई जहाज से हर प्रान्त और हर जिले में जाए और वहा जा कर देखे कि क्या हो रहा है । शिन्दे साहब भी जाए । देहात देहात मे शहर शहर मे जाए और वहा की कठिनाइयो को देखें और उनको हल करें । तब जा कर कृषि के मामले मे आप आत्म निर्भर हो सकते हैं । तभी खेती की उन्नति हो सकती है ।

बटवारे की थोडी कमी हो जाती है तो दूसरी पार्टिया आन्दोलन करती हैं, लोगो को उकसाती है । चूकि वोट हमें मिले हैं, इनको नही मिलते है तो उनको कहते है कि यह—है नतीजा कांग्रेस को वोट देने का । इसी कारण से तुम्हारी यह हालत हुई है । उनको आप ऐसा करने का मौका ही न दें ।

जो ईमानदार अफसर हैं उसको दूसरे अफसर रहने ही नहीं देते हैं, उसका तबादला करवा दिया जाता है । इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । पटवारी तहसीलदार ही आपका तख्ता पलटेंगे । इस वास्ते आप इधर ध्यान दें कि वे ठीक तरह से काम करें ।

भ्रष्टाचार का यह हाल है कि दूध की बोतल होटल से आप लेने जाए तो वहा जितनी आप चाहें आपको एक रुपये बोतल के हिसाब से मिल जाएगी लेकिन डिपो वाले हम लोगो को कह देते हैं कि खत्म हो गया है। कैसा आपका इतजाम है ? इस तरह की चीजें तो हैं इनकी तरफ आप ध्यान दे।

मैं अन्त म इतना ही कहना चाहती हू कि मिलिट्री एरिया मे हमारी जो जमीन है कैंटोनमेंटस मे है वहा जो लोग खेतीबाडी कर रहे है उनको हटाया न जाए। मिलिट्री वाले जो तग कर रहे है इसको बन्द किया जाए। नही तो आन्दोलन होगा। चार छः कैंटोनमैंटस मे इस तरह की दरख्वास्तें आई है और उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। उन लोगो को आप दूसरी जगहा पर शहरो मे, देहातो म दे सकते है। वह उन पर बसते भी नही है, बेच कर चले जाते है। भूमिहीन आदिवासियो का हरिजनो आदि का चार एकड नही बल्कि 8—10 या 12 एकड जमीन आप दे ताकि साल भर उस जमीन पर वे काम कर सके और अपना गुजारा चला सकें। लोगो को आप बैल खरीदने के लिए, बीज के लिए सिचाई के लिए, बिजली के लिए औजारो के लिए कर्ज द। उनके लिए छोटे-छोटे ट्रैक्टरो का इतजाम करे। वे बीस तीस हजार इन पर खर्च नही कर सकते है।

मौर्य साहब तीसरे नम्बर पर आए हैं। ये लडके है, नवयुवक हैं। वे ऐसे कदम उठाएं कि दोनो मत्री पीछे रह जाए और वह बडे मंत्री बन सके। बडे मत्री तो अब रिटायर होने वाले हैं, बूढ़े आदमी हैं, उन से अधिक काम भी नहीं होता है। इन मे नया खून है। वे देश की उन्नति और कृषि मे उन्नति करके दिखाएं। विरोधी जो हम लोगो को गालिया देते हैं वह ऐसी व्यवस्था करें कि वे न दे पाए और हमारी जनता खुश हो और हम फिर आगे जीत कर आते रहे।

श्री पन्नालाल बारूपाल (गंगानगर)

मैं कृषि मत्रालय की मागो का समर्थन तो करता हू लेकिन अनुशासन के नाते करता हू, परन्तु अन्तर्रात्मा से नही। मुझे डाक्टरो ने सलाह दी है कि मैं अधिक न बोलू। अधिक बोलने से मुझ को उन्होने मना कर रखा है। लेकिन जिस जनता ने मुझ को पाचवी बार चुन कर भेजा है उस जनता की तथा उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने के लिए यदि मुझे ज्यादा बोलना पडे और इस में मेरे प्राण भी चले जाए तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूगा।

यह कहा जाता है कि चीजो का अभाव है। लेकिन मैं कहता हू कि अभाव नही है। कोई भी चीज हो आप उसको प्राप्त कर सकते है। लेकिन वह आपको ब्लैक मे और दुगुने दामो मे ही मिल सकती है। यह बात आपको माननी पडेगी कि वितरण व्यवस्था बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हू वहा के किसान को न खाद मिला है न सिमेंट मिला है, न ट्रेक्टर के लिए डीजल मिला है और न ही मिल रहा है। उन से आप लेवी ले और उनको सिमेंट न मिले, लोहा न मिले तो यह ठीक नही है। हम उनको दे तो कुछ नही और लेवी ले यह मारे लिए शर्म की बात क्या नही है ? कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दुगुने दामो मे।

सारी यह चीज पैदा कैसे हुई और किस वजह से हुई ? हमारी प्रधान मत्री ने समाजवाद का नारा लगाया था। उन्होने कहा था कि हम देश मे समानता ला कर रहेंगे, गरीब वर्ग को उठा कर रहेंगे।

[श्री पन्नालाल बारूपाल]

तभी से साम्राज्यवादी शक्तियों ने, सामन्तवादी शक्तियों ने, पूंजीवादी शक्तियों ने, फिरकापरस्त शक्तियों ने एक जुट हो कर उनकी नीतियों के ऊपर हमला बोल दिया और अव्यवस्था पैदा कर दी। आप इनके हाथ में राज दे कर देख लें ये कुछ भी नहीं कर पायेंगे। ये लोग बिल्कुल असमर्थ हैं।

मैं अपने क्षेत्र की बबत कहता हूं। मेरे क्षेत्र मे हमारी पोलिटिकल पावर नही है। पूरे डिविजन से कांग्रेस का एक ही मैं एम पी आता हू। 23 साल से मैं बराबर एम पी चला आ रहा हूं। लेकिन वहां की समस्याओ का समाधान नही हो पाया है। किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता है। पानी बीच मे टूट जाता है। खाद उनको नही मिलती है।

मेरे क्षेत्र के ऊपर आप रहम करो। उस क्षेत्र की समस्याओ का अध्ययन करने के लिए आप कोई विशेष कमेटी बनाएं जो वहां जाए और समाधान आपको सुझाए। वहा पर कृषि महाविद्यालय भी खोला जाए। यह माग बहुत पुरानी है। उसको पिछडा हुआ इलाका भी घोषित किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने अभी तक ऐसा नही किया है। जब तक आप उसको पिछड़ा हुआ इलाका घोषित नहीं करेंगे तब तक वहां इण्डस्ट्री नहीं खुल सकती है, कुछ भी विकास का काम नहीं हो सकता है। मैं आप से मिला हूं, प्लानिंग मिनिस्टर से मिला हूं, वित्त मंत्री से भी मिला हूं। सब मंत्रियों से मिला हूं। आपका भी अपना प्रौसीजर होता है। लेकिन उधर आपका ध्यान नही जाता है।

हरिजनों के नाम पर तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं। यह कहा जाता है कि उनको जमीनें दी गई हैं, दूसरी सुविधायें दी गई हैं। आपने हम लोगों को घृणा का पात्र बना दिया है। हम को यही जवाब दिया जाता है कि राज तुम्हारा है, खूब लूटते हो, खसोटते हो। मेरे पास वह पंद्रह हजार लोगो की सूची है जिन को राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीनें एलाट की गई हैं। इस में लगभग बारह हजार ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल बोगस हैं। वे या तो सरकारी नौकर हैं या फिर वे दूकानो मे काम करते हैं या दूसरे काम करते हैं। हरिजनो को जो जमीनें दी गई हैं ऐसी जगह दी गई हैं जहां पानी नहीं लगता है या फिर उनको ऊंचे टिब्बो पर दे दी गई हैं और कह दिया गया है कि तुम को हमने इतना ऊंचा चढ़ा दिया है। या फिर ऐसी जमीने उनको दी गई है जिन का कब्जा उनको नही मिलता है क्योंकि गोली बन्दूक लिए लोग वहां बैठे हैं और उनको कब्जा लेने नही देते हैं। राजस्थान सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी इस सब की जाच करने के लिए। उसको बने तीन बरस हो गए है। उसकी एक मीटिंग भी नही हुई है। गवर्नर तीन तीन महीने करके उसके कार्यकाल को बढ़ाता जाता है। लेकिन एक भी मीटिंग नही होती है। मैं मांग करता हू कि जब तक एलाटमेंट्स की पूरी तरह जाच न हो जाए तब तक एलाटमेंट्स को परमानेन्ट न किया जाए। अफसर लोग धडाधड इसको परमानेन्ट कर रहे हैं। इस को आप बन्द कराएं। यह जो मारा पुलन्दा है इसको मैं यहा फेंकता हूं। इसकी आप जाच कराएं।

MR. CHAIRMAN: Shri Barupal Ji, you are a very senior and sober Member. You have thrown that bundle, I think, in a moment of excitement. I hope you will apologise ot the House for that.

श्री पन्नालाल बारूपाल: याचना करना मैंने सीखा ही नहीं है। मुझे आप बाहर निकाल सकते हैं, मेरे से आप इस्तीफा ले सकते हैं। माफी मैंने कभी नहीं मांगी।

MR. CHAIRMAN: I request you to apologise. You have, of course, done it in an excitement. This is not proper. You owe and apology to the House.

श्री पन्नालाल बारूपाल : जब मैंने शोर मचाया तो राजस्थान सरकार ने वह हाई पावर्ड कमेटी बनाई । लेकिन उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई । फिर आप कहते हैं कि मैं माफी मांगूं, समझ में नहीं आता है । इसकी पूरी जांच आप कराएं । मैं आप से माफी मांगता हूं ।

DR. H. P. SHARMA: (Alwar): Sir, if you see the record, he has already said 'Sorry'. I suppose that would do.

MR. CHAIRMAN: The thing that he has done is not a contempt as he has felt exercised because of the people of his constituency. I quite appreciate it. As he said 'sorry' I think the Members will take no notice of it. Mr. Barupal, you will please continue.

श्री पन्नालाल बारूपाल : हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है । अफसर लोग परमानेन्ट एलाटमेंट्स कर रहे हैं । इसको आप रोकें उस वक्त तक जब तक पूरी जांच न हो जाए । पिता जो है वह दिमाग से काम करता है और माता हृदय से करती है । बच्चे का पालन पोषण मां करती है क्योंकि वह हृदय से काम लेती है । वही अच्छे तरीके से उसको पाल सकती है । पिता को जब बच्चा दे दिया जाता है अगर वह उस पर पेशाब कर देता है तो वह उसको झटक फेंक देगा । उस में बुद्धि जरूर है लेकिन बच्चा पालने की क्षमता नहीं है । मैं जो कहता हूं वह हृदय से कहता हूं ।

आज देश में जो हालत है, उस की वजह से हम लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते हैं । जगह जगह पर भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केटिंग है मेरा दो बोतल दूध का कार्ड है, लेकिन मुझे दूध नहीं मिलता है । एम०पी० को समय पर राशन नहीं मिलता है । जो राशन 15 तारीख को मिलना चाहिए, वह 25 तारीख को मिलता है । मेरे परिवार में चार आदमी हैं और आठ आदमी रोज मेरे घर पर आते हैं । इस स्थिति में हम क्या खाये ? इस वजह से मजबूर हो कर हम को चोरी करनी पड़ती है और कहीं न कहीं से अनाज का इन्तजाम करना पड़ता है । इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए ।

यहां पर चापलसी की जो बातें कही जाती है, मैं उन्हें पसन्द नहीं करता हूं । कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में अच्छी बात कही हैं । मैं उन से सहमत हूं । "चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा बेपरवाह, जाकू कुछ नहीं चाहिये, वही शाहन का शाह" ।

मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मुझे पांच दफा चुनकर यहां भेजा है, या तो वे बेवकूफ हैं, या मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि सरकार मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती है और या गवर्नमेंट बेवकूफ है, जो मेरी बातों को नहीं मानती है । मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बातें कहीं हैं, मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री बाबूलाल, ने जिन भावनाओं को अभी व्यक्त किया है, वे भावनायें हमारे देश के कोने-कोने में, और रोम-रोम समाई हुई हैं। सरकार की गलत मुनाफाखोर-और-गल्ला चोर पक्षी तथा देश में पूंजीवाद का निर्माण करने की नीति के कारण ही इतनी और महगाई, अभाव और भ्रष्टाचार है, और तमाम तरह की बुराइया हमारे समाज में व्याप्त हैं। देश के हर एक भाग में लोग भूखे मर रहे है। खाने को नही मिल रहा है। अगर किसी के पास पैसा है, तो उसे अनाज नही मिलता है, और अगर कही अनाज है, तो लोगों के पास उसको खरीदने के लिये पैसा नही है।

यह स्थिति पूरे मुल्क की है। लेकिन मै उस राज्य से आता हू, यानी बिहार प्रदेश से, जो बहुत ही भूखा राज्य है। वहा गल्ले की कमी है। आवश्यकता से कम गल्ला वहा भेजा जाता है। देश मे गल्ले की इतनी कमी नही है, जिसकी वजह से महगाई इतनी बढ जाये और अभाव इतना ज्यादा हो जाये। कहा जाता है कि हमारे मुल्क मे गल्ले की केवल दस प्रतिशत कमी है। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है---त्राहि-त्राहि मची हुई है---उसका अनुमान हम नही लगा सकते।

मैं खुद पटना मे आता हू, जो बिहार की राजधानी है। आप शायद विश्वास नही करेगे कि वहा साठ फीसदी लोग दोनो टाइम खाना नही खा पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नही है। और जिनके पास पैसा है भी, उनको अनाज नही मिलता है। राशन की सब दुकाने खाली पड़ी हुई हैं। और उन पर इस आशय की तख्तिया लटकी हुई है। वहा 500 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से गल्ला दिया जाता है और वह भी एक महीने पर, जब कि पहले 1350 ग्राम प्रति व्यक्ति गल्ला 15 दिनो मे दिया जाता था। यही हालत पूरे सूबे की है। इस समय बिहार को पच्चीस हजार टन गल्ला प्रति मास दिया जाता है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहा एक लाख टन गल्ला प्रति मास भेजने की व्यवस्था की जाये, ताकि लोगों को नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में गल्ला उपलब्ध हो सके।

आज पूरे बिहार मे छात्रो, मजदूरो और सरकारी कर्मचारियो मे असतोष है, क्योकि उन सबको महगाई और अभाव का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग इस बात को लेकर आन्दोलन कर रहे है कि सरकार अपनी मुनाफाखोर और गल्ला-चोर-पक्षी नीति को बदले।

सरकार ने गेहू के थोक व्यापार को छोड कर मुनाफाखोरो और गल्लाचोरो को व्यापार करने की जो इजाजत दे दी है, उससे वे और ज्यादा शोख हो गये है और वे जनता को और ज्यादा लूट रहे है। सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार की वर्तमान नीतियो के प्रति बिहार के छात्रो नौजवानो, किसानो और मजदूरो मे जो असतोष है उसका इस्तेमाल वे दक्षिणी-पथी तत्व और स्वार्थों की पूर्ति के लिये कर रहे हैं जो यहा पर हिटलरी राज्य कायम करने का सपना देख रहे है। सरकार अपनी गलत नीतियो के कारण उनको यह मौका दे रही है।

इस मत्रालय मे मुनाफाखोर-और-गल्ला-चोर-पक्षी अफसरान भरे पड़े हैं। वे नही चाहते कि सरकार गल्ले का थोक व्यापार अपने हाथ मे लेकर उसको ठीक ढंग से चला सके। स्वय मंत्री महोदय भी इस स्थिति में नही हैं कि वह नीतियो को ठीक तरह से निर्धारित कर सकें और जो नीतियां निर्धारित की जायें उनको अपने मत्रालय और अपने अधिकारियों के द्वारा कार्यान्वित करा सकें।

इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार जनता को भूख, अभाव, भ्रष्टाचार और घूसखोरी से बचाना चाहती है, तो वह पूरे हिन्दुस्तान मे शहरों में राशनिंग व्यवस्था लागू करे, ताकि तमाम लोगों को निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में गल्ला मिल सके। देहातों में गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरो के लिये जो राशन की दुकानें खुली हुई हैं, उनमें गल्ला सप्लाई करने की व्यवस्था करे। अभी मैं बोकारो गया था। वहां इस्पात मजदूरों का सम्मेलन था जिसमें पूरे हिन्दुस्तान से आये ये दो लाख कर्मचारियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे उन्हे तथा अन्य मजदूरो को सस्ते दर पर गल्ला देने की व्यवस्था की जाये वरना हमारे उद्योग धंधे ठप्प हो जायेंगे। रेलवे में भी हड़ताल की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि रेल कर्मचारी भी सस्ते दामों पर गल्ले की सहूलियत मांग रहे है। उनके लिये भी व्यवस्था की जाये। ताकि हमारी जो लाइफ लाइन है, आर्थिक व्यवस्था है, वह चले। जमीन का बंटवारा कीजिए। जिस सूबे से मै आता हू वहां 28-28 हजार एकड़ जमीन रखने वाले लोग भरे पड़े हैं, 14-14 हजार एकड़ जमीन रखने वाले पड़े हुए हैं जो आप की हुकूमत में मंत्री रह चुके हैं और अभी भी कोशिश कर रहे हैं फिर मंत्री बनने के लिए। तो जमीन का बंटवारा कीजिए। जोतने वालों को जमीन दीजिए। तभी सचमुच में गल्ले की पैदावार बढ़ेगी। मुनाफाखोरों के खिलाफ, गल्लाचोरों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। छात्रों को डी० आई० आर० में बन्द कर दिया जाता है। अभी हमारे रेल के एम्प्लाईज को सैकड़ों की तादाद में मिसा और डी० आई० आर० में जेलों में बन्द किया जा रहा है। तो, ये जो मुनाफाखोर और गल्लाचोर जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं ऐसे लोगो को जेलखानों में बन्द कीजिए, उन को डी० आई० आर० और मिसा में बन्द कीजिए तभी आप स्थिति में सुधार ला सकते हैं और जनता के असंतोष को दूर कर सकते हैं। उस असंतोष को दक्षिण पंथी ताकतों द्वारा इस्तेमाल करने से आप तभी रोक सकते हैं। जो लोग हिटलरी मंसूबें को लेकर हिन्दुस्तान में संसदीय जनतंत्र की हत्या करना चाहते हैं तभी उन को आप शिकस्त दे सकते है। यदि आप की नीति सही रही तो इस काम मे मजदूर मदद कर सकते है, किसान मदद कर सकते है। लेकिन अगर यही वर्तमान नीति बनी रही गल्लाचोर और पंजीपरस्त नीति तो फिर किसी की मदद नही मिलेगी और उन के असंतोष को हिटलर की विचारधारा को मानने वाले इस्तेमाल कर लगे। यदि आप ऐसी स्थिति मे नही हैं, ऐसा नही कर सकते है तो मैं तो मांग करूगा कि आप को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप के मंत्रालय को ओवरहाल करने की जरूरत है। जब तक ऐसा आप नही करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और हम चाहेंगे कि आज आप इस बात की घोषणा करें कि आप अपनी अब की नीति में और कृषि की नीति में आमूल परिवर्तन करना चाहते है। तभी देश की स्थिति में सुधार होगा। जिन भावनाओं को अभी आपकी ही पार्टी के सदस्य श्री बारूपाल जी ने पेश किया उन भावनाओं को

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : खाद्य और कृषि मंत्रालय के प्रति मैं बड़ी सहानुभूति की दृष्टि से देखता हूं। सब से पहली बात मैं आप के सम्मुख यह उपस्थित करना चाहता हूं कि इस मंत्रालय को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस मंत्रालय के ऊपर खेती को सभालने और खाद्य उत्पादन करने का दायित्व है लेकिन सब से जो मौलिक बात है खेती के संबंध में वह है पानी/सिंचाई के संबंध मे पानी और बिजली ये दो मुख्य बाते है। लिफ्ट इरीगेशन के काम मे या कुए से सिंचाई के काम में बिजली की आवश्यकता है, इसलिए इस को भी इस मे जोड दिया जाय। मैं इस मंत्रालय के हाथ मजबूत करना चाहता हू और यह राय देता हू कि बिजली और खाद जो एक पेट्रो-केमिकल बाई-प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का वह भी इस मे जोड दिया जाय और पंचवर्षीय योजना के बड़े भारी प्रावधान में खेती को सब से ज्यादा मजबूत बनाया जाय। क्यो कि 25 वर्ष का अनुभव हमारा यह है कि हम सब सदस्य किसान के द्वारा चुन कर आते हैं। किसान अन्नदाता है। एक नये परिवेश में एक नई परिभाषा मे हम ने उन को सम्बोधित किया है। उन के पास जहा जमीन नही है वहा उन्हे जमीन बाटनी चाहिए। पानी नही है, वहा पानी पहुंचाना चाहिए। 3 हजार 6 सौ मिलियन एकड़ वाटर फीट पानी हमारे यहा ऊपर से बरसता है। 83 ऐसी नदियां हैं जो पेरीनियल वाटर देती हैं, बराबर फ्लो करती हैं जैसे नर्मदा है और भी नदियां हैं। गैंजेज बेल्ट में इतना ज्यादा ग्राउन्ड वाटर है कि आप बिजली और कुएं की सिंचाई का प्रावधान कर दें, टैंक इरीगेशन, लिफ्ट इरीगेशन इत्यादि की व्यवस्था कर दें तो अन्न की कमी न रहे। अगर हमारा पूरा कर्न्सेंट्रेशन इरीगेशन पर ही जाए तो हम अन्न के मामले मे बड़ी आसानी से आत्म-निर्भर हो सकते हैं। वह मिनिस्ट्री आप ने अलग कर रखी है। बिजली का इस से संबंध नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि इस को एक काम्प्रीहेंसिव मंत्रालय बनाया जाय, मिनिस्टर इसके नीचे चार पांच या छ: क्यों न रहे, एक काम्प्रीहेंसिव मिनिस्ट्री बनानी चाहिए यह मेरी मांग है।

25 वर्ष के अनुभव के बाद और चार पंच वर्षीय योजनाओ के अनुभव के बाद ऐसा लगता है कि यही एक खेती का सेक्टर है जिस मे सारे वेलफेयर के काम को इकठ्ठा कर देना चाहिए और 53 हजार करोड रुपये का जो प्रावधान पंच वर्षीय योजना मे है उस का अधिक से अधिक व्यय, उस का अधिक से अधिक पोटेंशियलिटी की खोज हम को खेती के सेक्टर में करनी चाहिए। यह नही भूलना चाहिए कि टोटल फारेन एक्सचेंज की अर्निंग का 79 प्रतिशत खेती के सेक्टर से मिलता है जूट चाय वगैरह से। लेकिन यह सेक्टर सब से ज्यादा नेग्लेक्टेड है। जहा आज लड़के गावो से निकल कर के नौकरी के लिए शहरो मे आते हैं अगर सिंचाई का पानी का, हाईब्रिड सीड का, गोडाउन का, खाद इत्यादि का सारा इंतजाम कर दिया जाय, जमीन का बटवारा, एफोरेस्टेशन यह सब हो जाय तो क्यों लड़के शहरों में आएंगे। फिर यह जो ओवरफ्लो हो रहा है गावों से शहरों की तरफ वह रुक जायगा और किसान के हाथ मिट्टी से गीले हो जाएंगे। किसान के हाथों को काम मिल जायेगा। सिंचाई की व्यवस्था को टाप प्रायरिटी हमें देनी होगी

वरना यह तेली का बैल जहां से चला वहीं का वहीं रहता है। 25 वर्ष के बाद आज 57 करोड़ की आबादी का सामना हमें करना पड़ रहा है। हर प्रातः काल हमारे सामने उन्हें भोजन देने की समस्या रहती है। यह सारा दायित्व किस पर है। यह दायित्व इस मंत्रालय पर अगर है तो इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए किसान को हमें मजबूत करना होगा। पंच वर्षीय योजना में तमाम काम अगर आप बन्द कर दें और 53 हजार करोड़ पूरा खेती के सेक्टर पर लगा दें तो इस से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, बिजली पानी का समन्वय हो सकेगा और खेती का बंटवारा भी हो सकेगा। हम त्राहि माम त्राही माम के संदर्भ में मां भिक्षा दे हि कह कर जो भिख मागते हैं, दो मिलियन टन रूस से मिल गया तो उस की जय जय कर करने लगे, पी एल 480 मिल गया तो उसको जय जयकार करने लगे, उस के बजाय इंटरनेशनल पालिटिक्स में भी हमें सम्मान के साथ और गौरव तथा गरिमा के साथ रहने के लिए भी यह आवश्यक है। इतने बड़े गणतंत्र की बात हम करते हैं। 15 या 10 प्रतिशत का अभाव जो है किसान कहता है कि हम उस को पूरा करेंगे। किसान सही माने में अन्नदाता है। चोरबाजारी तो किसान करता नहीं, वह तो पैदा करता है। सही माने में वह अन्नदाता है और वही सब से ज्यादा भूखा है और उसी के पास साधनों का अभाव है। इसलिए इस मंत्रालय को मजबूत करना चाहिए।

दुनिया भर में हमारा सब से बड़ा गण तंत्र है लेकिन हर चीज का उत्पादन हमारे यहां कम है। जापान और जर्मनी को देखिए। जापान की आबादी दस करोड़ की है और 6 करोड़ की आबादी जर्मनी की है। एका-रेस्टेशन से पांच सौ साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये की इनकम पर-एकड़ वहां आती है और हमारे यहां कितनी आती है—21 रुपये। हमारे यहां 7 सौ पौंड से 11 या 12 सौ पौंड पैडी धान का ईल्ड आता है, 7 सौ पौंड गेहूं का ईल्ड आता है जब कि दुनिया में 3 हजार या 3500 के करीब आता है। यह क्यों आता है? 200 पौंड प्रति एकड़ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जापान करता है और जापान के भूगोल की स्थिति आप देखें तो केवल 16 प्रतिशत धरती पर खेती होती है। हमारे यहां 100 में 72 आदमी गांव में रहते हैं और 44 करोड़ एकड़ धरती हमारे पास है। 83 नदियां हैं। 3500 मिलियन एकड़ वाटर फीट पानी ऊपर से गिरता है। एवरेज रेनफाल है। नदियां हैं, पानी है, कुएं हैं, जमीन के नीचे पानी है लेकिन आज केवल हल जोतने से खेती नहीं होगी। आज विज्ञान के द्वारा खेती होती है। विज्ञान के माध्यम से खेती होगी। उस के साधनों को बटोर कर किसान की झोली को भर देने से खेती होगी।

हम सब किसान के अनुगृहीत हैं कि वे हम को चुन कर के भेजते हैं। इसलिए मैं बहुत उत्सुक था कि उन की तरफ से और नहीं तो कम से कम आंसू तो बहाऊं जो बेचारे विपन्न हैं, अकिंचन हैं, भूखे हैं, साधनहीन हैं और उन्हीं से हम सब आशाएं करते हैं। अंकुश नियंत्रण, भाव तय करना इत्यादि सबकुछ उन्हीं को सफर करना पड़ता है। इसलिए बड़ीभावना से और

[श्री राम सहाय पांडे]

हृदय से जैसे कि वारूपाल जी ने कहा, उन्होंने आत्मा से कहा, हम आत्मा और हृदय दोनो से बोलते हैं और बुद्धि से भी बोलते है और हमारा ख्याल है कि पंच वर्षीय योजना जितनी हमारी फेल हुई उन को देखते हुए पूरा का पूरा इस सेक्टर को समाप्त किया जाय ताकि भिक्षा देहि भिक्षा देहि की बात कभी तो समाप्त हो कभी तो उस में विराम लग जाय ।

श्री राम रतन शर्मा : मैं कल कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री मौर्य जी का इस मंत्रालय की मांगो के बारे मे भाषण सुन रहा था । वे एक योग्य व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बाते कही हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ मे नही आई । उन्होंने कहा कि जिस तरह से गल्ले का उत्पादन बढा है, उसी तरह से जनसंख्या भी बडी है और जनसंख्या के बढ़ने के कारण हम लोग ऐसी स्थिति मे आ गये हैं कि हम को भरपेट भोजन नही मिलता है, कम से कम पचास फीसदी आबादी को आधा पेट रहना पडाता है । इन्ही शब्दो से या इस से कुछ हेर-फेर कर के उन्होंने यह बात कही थी, लेकिन उस का आशय यही था ।

श्रीमन्, बडे ही आश्चर्य की बात है—1947 के पहले वर्ष-कन्ट्रोल जैसी कोई बात नही थी, वरना आज हम में से बहुत से लोग यहा नही होते । यदि 1930 के पहले यहा वर्ष-कन्ट्रोल जैसी बात होती तो शायद बहुत से मिनिस्टर या बहुत से पुराने सदस्य जो यहां बैठे हैं, वे यहां पर नहीं होते । इस लिये अपनी असफलता को किसी पर डाल कर या किसी बाद-विशेष पर डालकर या प्रकृति पर दोष देकर नही छिपाया जा सकता । अगर उन्होंने प्रारम्भ के ही छोटी इरिगेशन योजनाओ पर ध्यान दिया होता, बडे बडे बांध बनाने के बजाय लिफ्ट-इरिगेशन या छोटे छोटे बांध बनाये जाते, नालो से पानी उठाया जाता, ट्यूब-वैल बनाये जाते तो आज जिस तरह से आबादी बढ़ी है, उसी तरह से उपज भी बढती और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो परेशानी आज आप को हो रही है, वह परेशानी इस तरह से न होती ।

महात्मा गांधी जी ने भी इसी बात को पहले कहा था । आप सब लोग उन के रास्ते पर चलते है और मुझे प्रसन्नता है कि आप मे से बहुत से लोग हृदय की भाषा बोलते हैं । मुझे आश्चर्य होता हैं कि आप मे से बहुत लोगो के पास हृदय भी है—अभी तक तो मै समझता था कि आप लोगो के पास दिमाग है, हृदय नही है लेकिन आज वारूपाल जी की बात सुन कर मैं बहुत प्रभावित हुआ कि उन के पास भी हृदय है, उन के पास भी हरिजनो और गिरिजनो के बारे मे सोचने के लिये दिल मे दर्द है । मैं आप को अपने जिले के हरिजनो की बात बतलाना हू—मेरे यहा हरिजनो को भूमि बाटी गई—5–6 बीघा या 10 बीघा भूमि उन को दी गई, लेकिन इतनी कम भूमि से क्या होगा । बादा जैसी जगह मे जहा ऊसर और बंजर जमीन है, वहा 5–6 बीघे का क्या अस्तित्व है । जैसा एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा—अगर आप चाहते है कि उन का कुछ भला हो तो 14–15 बीघे से कम जमीन उन को न दें, ताकि वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें, उस मे भी बहुत से लोग उन को कब्जा नही देते हैं । इतनी जमीन उन को अवश्य मिलनी चाहिये जिस से उन का गुजारा हो सके । साथ ही साथ यह देखने की भी

जरूरत है कि उन को कब्जा मिले, उन को बैलों के लिये ऋण मिले, उन को खाद और बीज समय पर मिले—यदि आप ये सब बातें नहीं देखेंगे तो आप का यहां कहना फाइलों पर ही रह जायगा, उस का कोई फल निकलने-वाला नहीं है।

इन शब्दो के साथ मैं इस मत्रालय की मांगो का विरोध करता हू ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, 2 अक्तूबर, 1952 को प० जवाहर लाल नेहरू ने नागोर मे एक दीपक जलाया था ..

श्री ब्रजराज सिंह—कोटा (झालावाड) 1952 मे नहीं 1958 मे ।

श्री मूल चन्द डागा ठीक है, 1958 मे । उस के बाद आप ने सामुदायिक विकास योजनाओ का जाल सारे हिन्दुस्तान मे फैला दिया और आज 6 हजार सामुदायिक विकास योजनाये हिन्दुस्तान मे काम कर रही है । इस का 79 प्रतिशत पैसा केवल सरकारी कर्मचारियों पर खर्च होता है, बाकी 21 प्रतिशत मे आप का एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है मैं इस प्रश्न का जवाब चाहता हू । यह जाल आप ने क्यो बिछाया था, इस का क्या परिणाम निकल रहा है—इन बातो का जवाब दे । ये लोकतान्त्रिक इकाइया खत्म हो गई है, पचायत राज्य अब बाकी नहीं है । आप ने राजस्थान का 1965 का डेटा दिया है, 1965 से जो पचायतें बैठी हैं, 9 साल हो गये उन के चुनाव नहीं हुए—क्यो ..... (व्यवधान) ... हिमाचल प्रदेश में 1965 में चुनाव हुए...

श्री वीरभद्र सिंह (मंडी) : हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : यहा तो 1965 लिखा है—या तो यह डेटा गलत है या माननी य सदस्य गलत कह रहे हैं । मैं इन के अलावा और भी कई आकडे बतला सकता हूं ।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : कर्णाटक में 1968 मे हुए थे ।

श्री मूल चन्द डागा : मेरे पीछे बैठे हुए सदस्य मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं । इन सामुदायिक योजनाओ पर आप रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन इन का क्या लाभ हो रहा है । वहा डवैलपमेन्ट आफिसर रखे हुए हैं, वैटरीनरी डाक्टर्ज रखे हुए हैं—लेकिन ये क्या करते हैं । डाक्टरो के पास औजार तक नही हैं । सेनीटेशन इस्पैक्टर हैं—ये क्या करेगे गाव मे जहा पानी ही नही है सैनीटेशन का क्या काम होगा । आप क्यो ऐसी रिपोर्ट देते हैं, इस से क्या फायदा है ? इन को लिखनेवाले कौन हैं, क्या इन की गर्दन कभी सच्चाई के सामने नीची होती है, क्या रिपोर्ट आप देते है—ये लिखते है—

> "The mobilisation of local resources through taxation by the Panchayati Raj institutions on their own effort, has been on increase"

आप के इन आकडो पर कोई विश्वास नही करता इन पचायतो मे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुस गये हैं जो उन को छोडना नही चाहते हैं, 9 साल से जमे बैठे है । श्री बलवत राय मेहता जी ने जब अपनी रिपोर्ट लिखी थी तो उन्होंने कहा था कि इस के द्वारा देश के अन्दर जागृति का शखनाद फूक दिया जायगा, गाव का आदमी अपने पैरो पर खडा हो सकेगा और वह समझेगा कि यह हिन्दुस्तान मेरा है, मैं हिन्दुस्तान को बनानेवाला हू । लेकिन ये सारी लोकतान्त्रिक इकाइया खत्म हो गई और अब यह रिजल्ट निकला है—

> "There has been a steady fall in voluntary contributions mainly due to the fall in the Government expenditure on community works and amenities.

[श्री मूल चन्द डागा]

It was Rs. 4.5 crores, during 1966-67, Rs. 2 crores during 1967-68, Rs. 2.2 crores during 1968-69, Rs. 1.8 crores during 1969-70 and Rs. 2.2 crores during 1970-71."

आखिर आप ने इन सामुदायिक विकास योजनाओं को क्यों बना रखा है—इसलिये कि आप ने इन में बहुत अफसरों को लगा रखा है। मैं पूछना हूं कि आप हमारे जवान लड़कों के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं, वे वहां अपनी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन का यौवन बिगड़ रहा है, सैकड़ों को लगा रखा है, लेकिन जरा पूछिये कि वे गांव में क्या करते हैं, उन के पास क्या काम है, उन का फंक्शन क्या है ? सामुदायिक विकास के द्वारा देश की उन्नति की, देश के विकास की जो कल्पना की गई थी—क्या वह पूरी हो रही है ? आप ने वहां पौष्टिक आहार की योजना चलाई है महिला मंडल बनाया है युवक मंडल बनाया है और न जाने कितने मंडल बना रखे हैं—मैं इन रिपोर्ट लिखने वालों से पूछना चाहता हूं—क्या वे फील करते हैं कि यह महिला मंडल क्या काम करता है। यह युवक मण्डल क्या काम करते हैं? क्यों आप दुनिया में धोखा देना चाहते हैं? और यह सब से बड़ा धोखा तो अपने आप को है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पूज्य पंडित जी और श्री बलवन्तराय मेहता ने 1965 में सामुदायिक विकास का जो स्वप्न देखा था उसका क्या नतीजा होगा ?

17.00 hrs.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI F. A. AHMED): Sir, during the last three days, a large number of members have participated in the discussion on the Demands of my Ministry. I know that many more members are anxious to participate in this discussion. That only shows to what extent importance is attached to agriculture and the allied subjects in this House. I am very grateful to those hon. Members for the many valuable suggestions and observations which they have made in the course of this discussion. But, before I go to the various matters which have been raised in the course of this debate, I would like to point out that I have been relieved of my task to a great extent because of the valuable intervention made by my two colleagues, who have very effectively and in detail dealt with many of the points which have been raised by the hon. Members.

So far as the performance of the Agriculture Ministry is concerned, there have been doubts in the minds of the people that during the past few years no such development, no such progress and no such effective steps have been taken of which the Ministry or the Department can be proud of I do not for the moment take the stand that all that has been done was right, that no mistakes were made and that there is nothing more to be done, so far as the programme of production and the development in various fields of agriculture are concerned. But I would like to point out that those people who make these allegations that nothing has been done in the past few years are completely blind to the facts and figures.

If we look to the production of foodgrains, we will find that even in the Fourth Plan, when we had two very bad drought years, our average production was much more than the average production of the Third Plan. I would not like to quote the figures which have already been mentioned by Shri Shinde...

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): We do not want figures; we want food.

SHRI F. A. AHMED: ... but I would like to point out that so far as even the worst year of the Fourth Plan is concerned, we had a production of about 95 million tonnes last year, which was the highest figure during the Third Plan period.

My hon. friend said, "We want food; we do not want figures." I would like to point out that even what production we have in our country is sufficient to go round to all the people ... (*Interruptions*) For the disappearance of foodgrains it is not the Agriculture Ministry which is responsible but it is the hon. Members on the opposite side.... (*Interruptions*).

SHRI PILOO MODY (Godhra): I want to find out whether he was blaming the C.P.I. who pushed him to take over wholesale trade in wheat .... (*Interruptions*)

SHRI F. A. AHMED: Whatever suits the hon. Member, he may say. He can also take that remark. That is also meant for him.

SHRI PILOO MODY: I don't take foodgrains.

SHRI F. A. AHMED: I am very glad to hear it.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): If you make the Opposition responsible for hoarding and black-marketing, that is not a proper statement.... (*Interruptions*).

श्री राम रतन शर्मा : अगर मिनिस्टर साहब को यह बात बिल्कुल तय है कि विरोधी पक्ष वालों ने यह सब किया है तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं और उनको जेल क्यों नहीं भेजते हैं ? इस तरह का स्टेटमैन्ट देकर देश में वह वातावरण क्यों पैदा करना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष मढ़ंगे डाल रहा है जबकि वास्तव में वे अपनी फेल्योर को छिपाना चाहते हैं ।

SHRI F. A. AHMED: When the hon. Members had their say, not for a moment I disturbed them. But when I am saying something, I do not see any reason, any justification, why they should not listen to me.

What I was trying to point out was that if it had not been for the fact that, on the one hand, they were asking the producers not to part with grains and, on the other hand, they were asking others to encourage hoarding, etc. there would have been no shortage. Therefore, what I was saying was, if we take into consideration what we have been producing during the past few years, what production of foodgrains we have in our country is sufficient to go round to all the people provided two or three things are accepted.

Firstly, it has to be admitted that there is inequality in production in different parts of the country. There are some States which are surplus States and there are other States which are deficit States so far as production is concerned. About the States which are surplus, there has been an anxiety on the part of those surplus States not to part with the surplus which they have in their own areas so that it may be taken to deficit areas. That is one aspect which has to be taken into consideration.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Is it that Opposition parties are ruling in the various States? Is hoarding also because of the opposition?

SHRI PILOO MODY: Will you please tell us as to what was the *per capita* production in the Third Plan and what was the *per capita* production in the Fourth Plan.

SHRI F. A. AHMED: I have given the figures. Even with the present rate of production, the hon. Member will see that even if we give 150 kg per capita per year, the food production which we are producing today is sufficient to go round in the country. It is unfortunate that to-day the production is not uniform, all over the country and it is because of this inequitable distribution in production that there is some sort of an imbalance in the country which has taken place during the past few years . . .

SHRI PILOO MODY: But where is all the food going?

SHRI DARBARA SINGH (Hoshiarpur): To Mr. Piloo Mody.

SHRI F. A. AHMED: The hon. Member is proof of the fact as to where all the food is going.

SHRI PILOO MODY: I do not mind his cracking a joke about my size I never objected to it. But I am asking a serious question as to where all this food is going. If the Minister maintains that it is all due to hoarding, then first of all you should know what a hoarder is. Hoarder is a person who goes on hoarding. But nobody can go on hoarding, he has to unload sooner or later. Where has it all gone?

SHRI A. K. M ISHAQUE (Basirhat): It has gone underground.

SHRI PILOO MODY: If the per capita consumption is sufficient, as you say, then where has all the food gone?

SHRI F. A. AHMED: I am sure Mr. Piloo Mody is not without food any day. He is getting the food every day.

SHRI PILOO MODY I have already told you that I do not eat your food. So, you better talk about somebody else.

MR. CHAIRMAN: Then let somebody else put the question.

श्री लालजी भाई : क्या सरकार ने मुनाफाखोरों और जमाखोरों के आगे घुटने नहीं टेके है ?

MR CHAIRMAN: You first permit him to have his say. After he completes, I will give you a chance.. (*Interruptions*) I am on my legs. Why do you not listen to me? If I permit questions while the Minister is speaking, there will be no end to it. So, let him complete. After that, if some clarifications are still required, I will give you a chance

श्री लालजी भाई : मैं इसी मुद्दे पर प्रश्न करना चाहता हू । (व्यवधान)

MR CHAIRMAN: This is very unfair when I have told you that I will give you a chance If you still persist, I shall have to ask the Minister to continue and I shall not give you a chance even though I said I would give you.

SHRI F. A. AHMED: In the course of the speeches, some hon. Members had expressed the dissatisfaction that sufficient provision was not made in the Fifth Five-Year Plan It was said that while in the Fourth Five-Year Plan there was a provision of about 20.7 per cent of investment, so far as the Fifth Five-Year Plan is concerned, the investment has been reduced to about 20.1 per cent of the entire expenditure which is to be incurred during the Fifth Five-Year Plan. I would like to point out that though it is true that we would have liked more expenditure so far as agricultural production programmes are concerned, this matter however has got to be viewed in the context of the limitation of resources, in the context of requirements for other very necessary items. I would have been certainly more happier if more percentage of allocation had been made to the Agriculture Ministry for the purpose of carrying out its programmes. But at the same time I would like to point out that the provision of Rs. 1672 crores in the Third Plan

has been increased to Rs. 3466 crores in the Fourth Plan and this has been now increased to Rs. 7411 crores in the Fifth Plan. Apart from that the hon. Members would have seen the provision made for assistance from financial institutions and it is hoped that only for the short-term loans both from cooperatives and commercial banks instead of Rs. 725 crores towards the end of Fourth Plan (1973-74) now Rs. 1700 crores would be available by the end of the Fifth Five-Year Plan.

And so far as medium and long-term loans are concerned, as against Rs. 1200 crores of the Fourth Plan, now Rs. 2400 crores would be available for medium and long-term loans.

Apart from that hon. Members would no doubt realise that there is a big investment made so far as development of power is concerned, so far as machinery manufacture with which Agriculture Ministry is concerned etc. A good investment has been made there as also in the matter of production of fertilisers. If we take all these factors into consideration we can see that within the limitations within which we have got to work, there is enough consideration which has been given to Agriculture Ministry; somehow or other if we could manage, we would have welcomed even a higher allocation; and that would have yielded much more results.

I would like to point out that we have to look to this question of increased production in the country not only with regard to production of food but also with regard to production of commercial crops and also with regard to what investment is made in the shape of various infrastructure facilities in the country. If we look to the development of irrigation, particularly minor irrigation, the position is this. We fixed a target of about 7 million hectares of land; not only have we achieved the target, but we have exceeded the target by one million hectares more. Instead of 7 million hectares of land, we have provided irrigation to 8 million hectares of land.

It is true that to-day the irrigation facilities which we need for our country are not sufficient so far as minor irrigation is concerned. We have taken a policy decision in the right durection. In the last two years, we are spending more and more so far as minor irrigation is concerned.

If we take the percentage of minor, medium and major irrigations, you will find that to-day, under the minor irrigation, the area that has been covered is nearly 55 per cent while, under the medium and major irrigations, the area covered is only 45 per cent. This fact has also to be taken into consideration.

Then, some hon. Members have said that so far as development of agriculture is concerned, the most essential thing is about the implementation of land reforms. I entirely agree with the observations that have been made by them. I would like to point out that so far as enactments of laws are concerned, practically, all the States have enacted the laws as far as land-ceiling is concerned. Except in the case of Tripura and Manipur where legisaltion has not yet been enacted, in the case of all other States, Legislation has been enacted as has been pointed out by my colleagues. We have to know the surplus lands which are made available. Till to-day, I have not received replies from all the State. But, of the States, it appears that the surplus land likely to be available with them will be about 37 lakhs acres. I hope that arrangements will be made by those States to distribute those lands to the landless people as early as possible.

The other day one of the hon. Members, I think, Shri Bhattacharyya, suggested that the ceiling in so far as irrigated lands are concerned, should

[Shri F. A. Ahmed]

be about 25 acres. I woud like to point out to him that only the other day, the Central Land Reforms Committee went into this question after receiving various suggestions from the State Governments and various other bodies. They decided that so far as ceiling is concerned, for the irrigated area where we can have two crops or more, the same should be between ten to eighteen acres; so far as lands where we have irrigation for one crop only, the ceiling should be 27 acres. So far as the unirrigated land is concerned, the ceiling should be within 54 acres. After taking into consideration informations received, it seems that about 37 lakhs of acres of land is likely to be surplus. The question put to me was: how much of the lands would be found to be surplus that would be available. If we accept the suggestion made by Shri Bhattacharyya, I can tell him that so far as we are concerned, we have no basis on which we can give our assessment. Whatever figures we have got, we have to depend on State Governments. I hope that they will take our advice into consideration and expedite the matter as early as possible so that the laws may be implemented and the benefit of giving lands to the landless people may be implemented as early as possible. I would however like to point out one thing. Having regard to the lands which have become surplus, the hon. Members must realise whether the distribution of the surplus land will satisfy the requirements of all the landless people in our country. Perhaps, the hon. Members have no idea so far as landless labourers are concerned. In our country, their number will not be less than 47 million. I do not know whether, to-day, we have sufficient surplus lands in order to distribute them to these people.

Some of my hon. friends have suggested very rightly that in the matter of distribution of land, we should take every care so far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are concerned and we should see they are given adequate land for the purpose of earning their livelihood so that it may be possible for them to have proper existence in those hilly and backward areas. That is the instruction which has been conveyed to all the State Governments and I have no doubt that this instruction will be carried out. In the matter of distributing land they will give first preference to such landless people who are Scheduled Castes and Scheduled Tribes and they are economic holdings so that it may be possible for them to have a suitable existence. As regards government land also we shall take it up with the State Governments that it should be distributed as early as possible.

Another important point to which my hon. friend Shri Bhattacharyya made some observations was that nearly 10 per cent of the farmers operate on two-third of the agricultural land and nearly 50 per cent of the production is under their influence. I do not know wherefrom he has got those figures. I would like to have source from which he has collected the same. So far as we are concerned we are having agricultural census in 1970-71 which is still in the course of preparation and after the figures from the census are available it will be possible to indicate what number of people and what category of people are holding what area of land.

Then the question was raised about the credit facilities. A large number of Members made observations that so far as credit facilities are concerned they were not adequate and particularly so far as the small and marginal farmers were concerned they were not getting the necessary assistance from the financial institutions or the commercial banks. May I, first of all, inform the hon. Members that so far as the credit facilities are concerned I have already indicated the figures which have to be provided both through the cooperatives and commercial banks as a short-term, medium term and long-term loan and I hope that these crwedit institutions will pay their part

properly and see that these facilities are provided to the cultivators as early as possible. The action taken by various institutions is under continuous review and I am taking up the matter from time to time with the Finance Ministry to see that the policy laid down in this respect is fully implemented by these credit institutions. I would like to point out one thing that we have indicated to these institutions that so far our policy is that it has to be production oriented, that is, credit has to be provided to the people not on any other basis except on the basis that whatever programme comes before them they should examine whether it is production oriented or not. If it is production oriented then they have to see particularly so far as the small farmer and the weaker sections are concerned that they are not troubled with the requirements of mortgaging their land or providing any security. We have said for loans upto two to three thousand they need not ask for any security. They should straightaway give these loans without the insistence of mortgage and security.

We have also said that so far as the small farmers and other weaker sections are concerned, they should also fix lower margin and longer payment schedule etc. so that it may be possible for them to return these loans without any difficulty.

Therefore, I would like to point out that all these measures which we have undertaken whether in the direction of irrigation or in the direction of providing credit facilities, are measures which will help in increased production in our country, whether it be of foodgrains or of other commercial crops.

But I would like to point out that there is a constraint so far as fertiliser is concerned. During the past few years we have noticed that the requirement of fertilisers is increasing beyond our capacity to meet it. For 1973-74, our capacity to produce indigenous fertilisers was 22 lakh tonnes. But unfortunately, in spite of our effort, for various reasons such as power shortage, labour strikes and various other things, our production of both kinds of fertilisers, nitrogenous as well as phosphatic, was not more than 13 lakh tonnes. Therefore, while we have a capacity of about 22 lakh tonnes, we could get only about 13 lakh tonnes of fertilisers.

In regard to the fertilisers to be imported from outside, at the last moment, the contract had to be cancelled even though we had increased the price and given them more price than what had initially been agreed upon. Because of the West Asian crisis, they were not able to manufacture fertilisers in their own country and because of this difficulty they were not able to keep up the contract, and therefore, we were not in a position to meet the requirement of the rabi crop during this year, with the result that our crop has been affected thereby.

So far as kharif is concerned, I would like to point out that in spite of this difficulty, we have somehow or other been able to make arrangements so far as the requirement for the kharif crop is concerned. The States had asked for 44 lakh tonnes of fertilisers only for the kharif crop. We went into the figures and after examining the requirements of every State on the basis of their previous performance and on the basis of their production with high-yielding varieties and other varieties, we have been able to make arrangements. But we are still on the look-out and we are still making an effort to see how to make up the requirement so far as the rabi of 1974-75 is concerned.

In this connection, a question was raised by my hon. friend from Andhra

[Shri F. A. Ahmed]

Pradesh that we gave them inadequate quantity of fertilisers. I would like to point that there is a misgiving in the minds of certain people that we are not being fair to some of the States and to some States we give a higher quantity of fertilisers than is necessary. What we are doing is this. Formerly, we used to distribute fertilisers for the kharif crop on the basis of 17 per cent increase over what we had given last year, and in the case of rabi an increase of 22 per cent over what we had given last year. But now we have changed that pattern. Now, we take into consideration the quantity consumed by every State and the production programme given by each state and on that basis we calculate the quantity required for every State and make the allocation out of what is available to us, and on that basis, we distribute the fertilisers. The Minister from Andhra Pradesh had come and pointed out some mistake. Unfortunately, the mistake was not on the part of the Central Government but it was on the part of the State Government because they had indicated that the area under the high yielding variety was only 7 lakh acres but later on he said that the area was 13 lakh acres. We verified and found that it was a *bona fide* mistake, and we have given them a further increase: about 10,000 tonnes more fertiliser has been given to Andhra Pradesh, and I hope that it will be possible for them to meet their requirement with this.

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Can you not link it up with procurement at the farmers' level and at the State level?

SHRI B. V. NAIK: Why not link it up with effective demand?

SHRI F. A. AHMED: So far as distribution of fertiliser is concerned, as hon members are aware, I have control over fertiliser which is the Pool fertiliser which is imported from foreign countries. I have laid down as a policy that the entire quantity will be given out of that quota to the State Governments and the State Governments have been instructed to distribute it through co-operative societies. So far as fertiliser which is produced in the country is concerned, I took up this matter with the Ministry of Petroleum and Chemicals and they have agreed that 50 per cent of the indigenously manufactured fertiliser will also be given to the States for distribution throug the co-operative societies, but the other 50 per cent will have to be distributed through individuals.

AN HON. MEMBER: Why?

SHRI K. SURYANARAYANA: The Ministry of Petroleum and Chemicals is not the producer of food. You are responsible to the House for food production.

SHRI F. A. AHMED: They say they are in a difficulty because under the terms on which these units were set up, one of the conditions was that this will also have to be distributed through individuals. The Ministry is looking into the matter and will see to what extent they can have this changed so that it may be possible for them to see that this is also distributed through co-operatives (*Interruptions*).

SHRI K. SURYANARAYANA: You have changed the Constitution . .

MR. CHAIRMAN: I have not permitted any questions now. If you have any question, I will permit you later on.

SHRI F. A. AHMED: I think it will be better for hon. members to raise this question when my colleague, the Minister of Petroleum and Chemicals, is here. They can persuade him to have this 50 per cent also distributed through co-operatives (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: Yes are a Cabinet Minister. You should do it.

SHRI F. A. AHMED: As for the other question which some hon. members raised that it should be linked

up with procurement, this is for the State Governments to manage. If they can manage it, I have no objection.

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar) The whole salers can manage it. Why not hand over the country to them?

SHRI F A. AHMED: No question of wholesalers.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Food has been handed over to the wholesalers and Agriculture to the State Ministries Why not dissolve the Ministry?

SHRI F. A AHMED: I would like to point out that in spite of these difficulties we are making an effort. But we have to depend to a certain extent on the vagaries of the weather. We have to depend also on circumstances which are not within our control But I can say that if nothing goes very seriously wrong, we are in the right direction of having increased production in the country; given good weather, good monsoon, it was possible for us to have a very good khariff crop Whatever target we had fixed had almost been achieved I have no doubt that so far as the rabi crop is concerned, in spite of these difficulties, we shall be very near the traget which we have fixed But after two bad years, one after the other particularly when our previous buffer stock had been exhausted, there have been difficulties so far as availability of foodgrains in the country is concerned But let us hope that we have a good monsoon next time and also one or two good rabi crops and then that will help us out of our difficulties.

Now, some hon. Members have raised the question about the crash scheme for rural employment. An hon. Members are aware, this scheme was taken up in the year 1971, and it was a three-year scheme. The idea was that through this scheme employment in the rural areas should be generated and at least employment should be provided to about 1,000 people in every district. Also, the idea was that in that process some infra-structure should be created in the rural areas in the direction of construction of roads minor irrigation, and so forth Hon Members have insisted that this crash scheme for unemployment should be continued, but as it was a fourth five year Plan scheme, a Centrally-sponsored scheme that is not proposed to be continue during the fifth Plan. The reason is that under the Plan, they are providing Rs 500 crores for the construction of rural roads Therefore, they say that when a provision is being made for a programme like the drought prone area programme, dry area programme construction of rural roads programme and also the minimum need-based programme, there is no necessity for extending this programme. That difficulty is there, and so this scheme will not be continued in the fifth five year Plan period.

So far as the drought-prone area programme is concerned, that also has been taken up in many of our districts I would like to point out that last year, on account of the limitation on our resources, our expenditure on this prog-amme has been cut down from Rs 100 crores to about Rs 81 crores and that is why there is some complaint from some of the States I think for the next year we are still waiting to know what amount would be available But this is a very useful programme and as some of our areas are areas where you have either no rain or scanty rain, it is desirable that this programme should also be continued but should also be extended so that the difficulty of the people in those areas may be met. This is so far as agricultural production is concerned.

[Shri F. A. Ahmed]

I would now like to revert to the question of food for a while. Though many Members have not made many observations so far as food is concerned, I would like to take this opportunity of removing some doubts and misgivings which have been expressed by some of the hon. Members It was said that we have not been able to give an adequate price to the cultivators. First of all, I would like to point out that before we took the decision of fixing the price of Rs. 105 per quintal for wheat, we had before us the cost of production figures prepared by the Agricultural Universities in Uttar Pradesh and Punjab and also other figures and on that basis we thought that the price which we have fixed covered the cost of production. Even taking into consideration the fact that this was considered to be a suitable price in the year 1970-71 when, at that price, the cultivator was not able to sell his wheat to a private grain dealer and had to come to us to sell it and at that time he did not get more than Rs. 65 to Rs. 66 from the grain dealers —even taking that into consideration —and adding to that the rise in the cost since that period to this period which comes to about 37 per cent or 38 per cent, I personally feel that the price which has been given so far as wheat is concerned will not only meet the cost of production of the cultivator, but also will give him some incentives, some profits for the purpose of increasing the production from year to year. Some Members have said that this price is not adequate. I do not know what the hon. Members want. On the one hand, those very Members say that the price is not adequate. On the other hand, they are opposed to the increase in price so far as the consumer is concerned. I do not understand how they can have both the ways. If the price to the cultivator has to be increased, because it does not meet the cost of production, the consumer has to take the grain at a higher price.

In fact, we are very grateful to our farmers in the country for the very valuable work which they have been doing in increasing our production. They are our back-bones and there is nothing that we will not do to encourage the farmers in our country. We want that they should be given all the necessary assistance and all the necessary help so far as they are concerned. We would also ask them that they should also try not only to take advantage of the various facilities which the Government are providing, but they should also attend to crop management A good deal of increase in production and increase in productivity depends on crop management and that has been shown by the farmers in very progressive areas like Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh etc. Wherever farmers have given personal attention to crop management, productivity has increased

Unfortunately, my friend Mr. Mavalankar is not here. The other day, he raised a very pertinent question, what has been the effect of intensive area development programme which we have taken up in the year 1962 or 1963. I would like to point out to him that it is true that we took up that programme to begin with under foreign aid Now, the programme is being continued in some of the States, and whatever has been done in some of those States, I think, is something of which we can be proud of I would mention only one district in Punjab, that is, Ludhiana. There, the yield of wheat has been 33 quintals per hectare, which is even higher than the average yield in the United States. This has shown that if they are given an opportunity, they can surpass the record set in other countries. Today, our average yield of wheat is about 13 or 14 quintals If, today, our country, particularly those wheat growing areas like Punjab, Haryana, UP, Madhya Pradesh and Bihar can take up their yield to about 33 quintals per hectare, you can see what production of wheat we can have in our country. There is no reason why we should not be able to do it. During the past few years, we have almost doubled our wheat pro-

duction. We are proceeding in that direction. We are trying to help these areas by providing facilities for irrigation, by giving them as much fertiliser as possible, and wherever chemical fertiliser is not available, we are asking them to mix it with organic fertiliser.

SHRI M RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): What about the destruction of forests?

SHRI F. A. AHMED: So far as the price is concerned, we consider that it is adequate. While we are trying to help the farmers, I would very strongly appeal to them that they should help us, help the State Governments, help the Central Government, by bringing all their produce to the *mandis* and give them to the Government for the purpose of purchase.

Here I would like to point out that if there is a farmer or producer who wants to take out the produce to Maharashtra or West Bengal in order to get a higher price, I have no objection I will not stand in his way. But he will have to take a licence from me, take permission from me and give me half the foodgrains If they really want to be helpful to the consumers, they can do that, but they should take permission from me .. (*Interruptions*) an hon Member has asked as to who will give the licence The order has to be issued by us and the licence has to be given by the State Government. I hope the State Governments will cooperative with us in this matter.

So far as the Tamil Nadu Government is concerned, it has raised a very important matter about the Bill which it has sent us for our approval, regarding the Essential Commodities Act. Since we are ourselves bringing an amendment to the Essential Commodities Act, which we hope to place before this House during this session, where we want to tighten the provisions dealing with hoarders and so on, I hope that will serve the purpose which the Tamil Nadu Government has in view.

The hon. Member, Shri Swaminathan, from Tamil Nadu said that he was very much grieved that we had instructed the State Governments to remove the restriction on movement of coarse grains. The hon. Member must realise that we are one country and we must have an all-India outlook. It is not enough for us to think in terms of only one state.

SHRI C T. DHANDAPANI (Dharapuram): Why this is applied only to foodgrains? What about water supply? The Central Government will not interfere there. They interfere only in the case of food.

SHRI F. A. AHMED: Even though we may be coming from different parts of the country, we are all Indians. So, it is necessary for all of us that we should not do anything which is likely to endanger or damage the unity of India. That is one aspect which we have to keep in mind Whether we come from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh or Tamil Nadu, we should not be parochial. If we have surplus foodgrains, we should try to help other States which are deficit. If we do not take that view, then you can realise what difficulties we can have in our country and how injurious it can be to our cause, to our interest and to our integrity. Therefore, I would make an appeal to Tamil Nadu. They wanted an assurance from me, so far as rice is concerned, whether I am going to remove the existing arrangement of zonal restrictions. I will not do anything of the sort But I would like Tamil Nadu also to help me in that connection and see that whatever has been fixed should be given to me for the purpose of distribution to other States. I hope, my hon. friend will convey our sentiments. .

SHRI C. T. DHANDAPANI: This is not the correct approach that he is making.

SHRI F. A. AHMED: I know that his Chief Minister, whenever we have asked for assistance, has given that assistance. I have no doubt that whatever has been agreed upon will be ultimately given by him. Now, they have a good crop. If they can certainly give us rice according to an arrangement fixed upon, that will be helpful to us for distribution from the Central pool.

There are many other points which have been raised by some of the hon. Members. I would like to point out one thing that some of the observations that have been made do not really concern us. They really concern the State Governments But I would like to tell the hon. Members that we have taken note of those points and we shall convey the views of the hon. Members so that the suggestions are accepted by the State Governments and implemented in the interest of the country.

Before I conclude, I would like to point out that there should be no misgivings so far as our new policy of take-over is concerned I would like to point out the three main objectives in our policy which we adopted last year and which we have modified this year. What are the three main objectives? The first main objective is that the producer should get a proper price so that he may have the incentive for increasing production in our country. The second objective is that the foodgrains in our country should be available throughout the country. The third objective is that so far as vulnerable sections of our society are concerned, they must be supplied with foodgrains at a reasonable price. These are the main objectives of our policy.

So far as the procedure is concerned, it is the means, not an end in itself, We tried a particular method. Whatever may be the reason, that did not help us in meeting these objectives. Therefore, we are trying another procedure. I would like to seek the cooperation of the hon. Members to see that these objectives are not interfered with so that it may be possible for us to make foodgrains available to all the people throughout the country without much difficulty. There was no justification for foodgains being available in one State at about Rs. 100 or Rs. 105 or Rs. 110 and in another State at about Rs. 250 or Rs. 300 a quintal.

I hope, the steps that we have taken will enable us to remove the distortion and make the foodgrains available to all the people throughout the country. I can say this much that there is no agreement between grain dealers and ourselves. There is no understanding or any agreement whatsoever They have to function under a licence under certain restrictions, under certain terms and conditions. Whenever those conditions are not implemented or there is any breach of those conditions, those licences will be cancelled. And necessary action will be taken under the law Therefore, I would like the hon Members to realise that to-day we are faced with a difficult situation and I am sure that it is in the interests of all of us to whichever Party we may belong that we should try to see that these difficulties are removed as early as possible. I will seek their co-operation and hope that they will be able to rise above their politics so far as this matter is concerned and that they will give their fullest co-operation.

18 00 hrs.

SEVERAL HON MEMBERS ROSE—

MR CHAIRMAN: There is no time left I will permit only Shri Lalji Bhai to put a question. I have promised him. ..*(Interruptions)* Shri Lalji Bhai.

श्री लालजी भाई: मैं जानना चाहता हूं राजस्थान प्रदेश में सन् 1966 से लगातार 1971 तक जिन आदिवासियों का कत्ल है

जमीन पर और सरकार उनके ऊपर अतिक्रमण के मुकदमे चला रही है, अभी तक इतने सालो से उनका फैसला नहीं हो रहा है और उन आदिवासियो से एक बीघे पर प्रति वर्ष पांच सौ रुपया लेकर उनको बेदखल किया जा रहा है जिसके कारण लोगो में बहुत रोष बढ रहा है, क्या मत्री महोदय राज्य सरकार को निर्देश देंगे कि उन मुकदमो के फैसले जल्दी किये जाये और उन्ही लोगो के नाम से वह जमीन एलाट या रेग्युलराइज की जाये ?

SHRI F A AHMED Let the hon. Member send it to me in writing and I will forward it to the State Government

MR CHAIRMAN Now, there are a number of cut motions If the hon Members agree I will put them all together to the vote of the House

SHRI BHOGENDRA JHA My cut motion No 1 may be put to vote separately

MR CHAIRMAN Now, the question is

"That the demand under the head 'Department of Agriculture' be reduced to Re 1"

[Failure to implement the amended land ceiling laws and distributing the surplus land among the landless particularly in the Union territories (1)]

The Lok Sabha divided.

Division No. 12] **[18 08 hrs.**

AYES

Banerjee, Shri S M
Bhaura Shri B S
Dandavate, Prof Madhu
Dhandapani, Shri C. T.
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Halder, Shri Krishna Chandra
Huda, Shri Noorul
Jha, Shri Bhogendra
Mehta Shri P M.
Mukherjee, Shri Samar
Pajanor, Shri Aravinda Bala
*Shastri, Shri Ramavatar

NOES

Ahmed, Shri F A
Bhanamali Babu Shri
Baiupal, Shri Panna Lal
Basappa Shri K
Baumatari, Shri D
Bhargava Shri Basheshwar Nath
Bhatia Shri Raghunandan Lal
Brij Raj Singh-Kotah, Shri
Chakleshwar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Chikkalingaiah Shri K
Daga, Shri M C
Darbara Singh, Shri
Das, Shri Anadi Charan
Dumada Shri L K.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ganesh, Shri K R
Gangadeb, Shri P
Gavit Shri T H
Gill, Shri Mohinder Singh
Gomango Shri Giridhar
Gopal Shri K
Gotkhinde Shri Annasaheb
Gowda Shri Pampan

*He voted by mistake from a wrong seat and later informed the Speaker accordingly.

Hari Kishore Singh, Shri
Ishaque, Shri A. K. M.
Jadeja, Shri D. P.
Jha, Shri Chiranjib
Kakodkar, Shri Purushottam
Kamble, Shri T. D.
Kapur, Shri Sat Pal
Karan Singh, Dr.
Kedar Nath Singh, Shri
Kotrashetti, Shri A. K.
Kushok Bakula, Shri
Mahishi, Dr. Sarojini
Mandal, Shri Jagdish Narain
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Manhar, Shri Bhagatram
Maurya, Shri B. P.
Mohsin, Shri F. H.
Murmu, Shri Yogesh Chandra
Naik, Shri B. V.
Negi, Shri Pratap Singh
Oraon, Shri Kartik
Oraon, Shri Tuna
Painuli, Shri Paripoornanand
Pandey, Shri Damodar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Pandey, Shri Narsingh Narain
Pandey, Shri R. S.
Paswan, Shri Ram Bhagat
Patnaik, Shri J. B.
Peje, Shri S. L.
Pradhani, Shri K.
Purty, Shri M. S.
Raghu Ramaiah, Shri K.
Rai, Shrimati Sahodrabai
Raj Bahadur, Shri
Ram Dhan, Shri
Rao, Shri P. Ankineedu Prasad
Rathia, Shri Umed Singh
Raut, Shri Bhola
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Reddy, Shri P. Ganga
Rohatgi, Shrimati Sushila
Rudra Pratap Singh, Shri
Sadhu Ram, Shri
Saini, Shri Mulki Raj
Saksena, Prof. S. L.
Samanta, Shri S. C.
Sankata Prasad, Dr.
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Savant, Shri Shankerrao
Shailani, Shri Chandra
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Dr. H. P.
Sharma, Shri Nawal Kishore
Shastri, Shri Biswanarayan
Shastri, Shri Sheopujan
Shenoy, Shri P. R.
Shinde, Shri Annasaheb P.
Sinha, Shri Dharam Bir
Sohan Lal, Shri T.
Sokhi, Shri Swaran Singh
Surayanarayan, Shri K.
Unnikrishnan, Shri K. P.
Verma, Shri Sukhdeo Prasad
Vikal, Shri Ram Chandra
Virbhadra Singh, Shri
Yadav, Shri N. P.

MR. CHAIRMAN: The result of the division is:

Ayes: 12; *Noes*: 91.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I will now put *Cut motions Nos.* 2, 12 *and* 15 *were put and negatived*

Cut motions Nos, 2, 12 *and* 15 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: I will now put Cut motion No. 16 to the vote of the House.

Cut motion No. 16 *was put and negatived:*

SHRI BHOGENDRA JHA: Cut motion No. 17 may be put separately.

MR CHAIRMAN: As the Lobbies have already been cleared, I am not asking for the clearance of the Lobby again, if the House agrees to it

Now the question is.

'That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1".

[Failure to take over entirely wholesale trade of all foodgrains and to procure entire marketable surplus through a system of graded levy to ensure a regular supply at controlled prices to the weaker sections in rural areas and vulnerable sections in urban and industrial areas (17)]

The Lok Sabha divided.

Division No. 13] [18 11 hrs.

AYES

Banerjee Shri S M
Bhaura, Shri B S
Dandavate, Prof Madhu
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Halder, Shri Krishna Chandra
Jha Shri Bhogendra
Mehta Shri P M
Mukherjee, Shri Samar
*Shastri, Shri Ramavatar

NOES

Ahmed, Shri F A
Banamali Babu, Shri
Barupal, Shri Panna Lal
Basappa, Shri K
Bhargava Shri Basheshwar Nath
Bhatia, Shri Raghunandan Lal
Brij Raj Singh-Kotah, Shri
Chakleshwar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Chikkalingaiah, Shri K
Daga, Shri M. C.
Darbara Singh Shri
Das, Shri Anadi Charan
Dumada, Shri L K
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ganesh, Shri K R.
Gangadeb, Shri P
Gavit, Shri T H
Gill, Shri Mohinder Singh
Gomango, Shri Giridhar
Gopal, Shri K
Gotkhinde, Shri Annasaheb
Gowda, Shri Pampan
Hari Kishore Singh, Shri
Ishaque Shri A K M
Jadeja Shri D P
Jha Shri Chiranjib
Kakodkar, Shri Purushottam
Kamble, Shri T D
Kapur, Shri Sat Pal
Karan Singh, Dr
Kedar Nath Singh, Shri
Kotrashetti, Shri A K
Kushok Bakula Shri
Mahishi, Dr Sarojini
Mandal, Shri Jadish Narain
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Manhar, Shri Bhagatram

*He voted by mistake from a wrong seat and later informed the Speaker accordingly.

Maurya, Shri B. P.
Mohsin, Shri F. H.
Murmu, Shri Yogesh Chandra
Negi, Shri Pratap Singh
Oraon, Shri Kartik
Oraon, Shri Tuna
Painuli, Shri Paripoornanand
Pandey, Shri Damodar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Pandey Shri Narsingh Narain
Pandey, Shri R S
Paswan, Shri Ram Bhagat
Patnaik, Shri J. B
Peje, Shri S L.
Pradhani, Shri K
Purty, Shri M S
Raghu Ramaiah, Shri K
Rai, Shrimati Sahodrabai
Raj Bahadur, Shri
Ram Dhan, Shri
Rao, Shri P Ankineedu Prasad
Rathia, Shri Umed Singh
Raut, Shri Bhola
Reddy, Shri M Ram Gopal
Redy, Shri P Ganga
Rohatgi, Shrimati Sushila
Rudra Pratap Singh, Shri
Sadhu Ram, Shri
Saini, Shri Mulki Raj
Saksena, Prof S L
Samanta Shri S C
Sankata Prasad, Dr
Sarkar, Shri Sakti Mumar
Savant, Shri Shankerrao
Shailani, Shri Chandra
Shankaranand, Shri B
Sharma, Dr H P
Sharma Shri Nawal Kishore
Shastri, Shri Biswanarayan
Shastri Shri Sheopujan
Shenoy, Shri P R.
Shinde, Shri Annasaheb P.
Sinha, Shri Dharam Bir
Sohan Lal, Shri T.
Sokhi Shri Swaran Singh
Suryanarayana, Shri K.
Unnikrishnan, Shri K. P.
Verma, Shri Sukhdeo Prasad
Vikal, Shri Ram Chandra
Virbhadra Singh, Shri
Yadav, Shri N P.

MR CHAIRMAN: The result* of the division is

Ayes: 9, *Noes*. 89:

The motion was negatived.

MR CHAIRMAN Do you want to press any other Cut Motion?

SHRI S M BANERJEE· Let the Lobbies be cleared because many Members might wish to vote for that

MR CHAIRMAN· Let me first put the other cut motions to the vote of the House

I will put Cut Motions Nos. 19 to 23, 39 to 43, 49, 51 to 53, 54 to 59, 60 and 61, 69 to 71 and 74 to 81 to the vote of the House

The cut Motions were put and negatived

MR CHAIRMAN· I shall put Cut motion No 72 to the vote of the house

SHRI S M BANERJEE· I would like to press for a division

MR CHAIRMAN· Let the Lobby be cleared

Now, the question is·

"That the demand under the head 'Department of Food' be reduced to Re. 1·"

[Failure to nationalise sugar mills in U.P and Bihar (72)].

*Shri Noorul Huda also recorded his vote for AYES.

Division No. 14 18.18 hrs.

AYES

Banerjee, Shri S. M.
Bhaura, Shri B. S.
Dandavate, Prof. Madhu
Dhandapani, Shri C. T.
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Halder, Shri Krishna Chandra
Huda, Shri Noorul
Jha, Shri Bhogendra
Mehta, Shri P. M.
Mukherjee, Shri Samar
Sakesena, Prof. S. L.
*Shastri, Shri Ramavtar

NOES

Ahmed, Shri F. A.
Banamali Babu, Shri
Barupal, Shri Panna Lal
Basappa, Shri K.
Basumatari, Shri D.
Bhargava, Shri Basheshwar Nath
Bhatia, Shri Raghunandan Lal
Brij Raj Singh-Kotah, Shri
Chakleshwar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Chikkalingaiah, Shri K.
Daga, Shri M. C.
Darbara Singh, Shri
Das, Shri Anadi Charan
Dumada, Shri L. K.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ganesh, Shri K. R.
Gangadeb, Shri P.
Gavit, Shri T. H.
Gill Shri Mohinder Singh
Gomango, Shri Giridhar
Gopal, Shri K.
Gotkhinda, Shri Annasaheb
Gowda, Shri Pampan
Hari Kishore Singh, Shri
Ishaque, Shri A. K. M.
Jadeja, Shri D. P.
Jha, Shri Chiranjib
Kakodkar, Shri Purushottam
Kamble, Shri T. D.
Kapur, Shri Sat Pal
Karan, Singh. Dr.
Kedar Nath Singh, Shri
Kotrashetti, Shri A. K.
Kushok Bakula, Shri
Mahishi, Dr. Sarojini
Mandal, Shri Jagdish Narain
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Manhar, Shri Bhagatram
Maurya, Shri B. P.
Mohsin, Shri F. H.
Murmu, Shri Yogesh Chandra
Naik, Shri B. V.
Negi, Shri Pratap Singh
Oraon, Shri Kartik
Oraon, Shri Tuna
Painuli, Shri Paripoornanand
Pandey, Shri Damodar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Pandey, Shri R. S.
Paswan, Shri Ram Bhagat
Patnaik, Shri J. B.
Peje, Shri S. L.

*He voted by mistake from a wrong seat and later informed the Speaker accordingly.

Pradhani, Shri K.
Purty, Shri M. S.
Raghu Ramaiah, Shri K.
Rai, Shrimati Sahodrabai
Raj Bahadur, Shri
Ram Dhan, Shri
Rao, Shri P Ankineedu Prasada
Rathia, Shri Umed Singh
Raut, Shri Bhola
Reddy, Shri M Ram Gopal
Reddy, Shri P. Ganga
Rohatgi Shrimati Sushila
Rudra Pratap Singh, Shri
Sadhu Ram, Shri
Samanta, Shri S C.
Sankata Prasad, Dr
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sawant Shri Shankarrao
Shahani, Shri Chandra
Shankaranand, Shri B
Sharma, Dr H P
Sha Shri Nawal Kishore
Shastri Shri Biswanarayan
Shastri, Shri Sheopujan
Shenoy, Shri P R.
Shinde, Shri Annasaheb P.
Sinha, Shri Dharam Bir
Sohan Lal, Shri T
Sokhi, Shri Swaran Singh
Suryanarayana Shri K
Unnikrishnan, Shri K P.
Verma, Shri Sukhdeo Prasad
Vikal, Shri Ram Chandra
Virbhadra Singh, Shri

MR CHAIRMAN The result* of the division is:

Ayes: 12, *Noes* 87.

The motion was negatived.

*Shri Narsingh Narain Pandey also recorded his vote for NOES

MR. CHAIRMAN: I shall put cut motion No 73 to the vote of the House

Cut motion No 73 was put and negatived.

MR CHAIRMAN: The question is

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos 1 to 10 relating to the Ministry of Agriculture"

The motion was adopted

(The motions for Demand for Grants, which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below — Ed.)

DEMAND NO 1—DEPARTMENT OF AGRICULTURE

That a sum not exceeding Rs 136,00,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Department of Agriculture'"

DEMAND NO 2—DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

'That a sum not exceeding Rs 6,50,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending

the 31st day of March, 1975, in respect of 'Department of Agricultural Research and Education'."

DEMAND NO. 3—AGRICULTURE

"That a sum not exceeding Rs. 65,23,26,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 3,06,60,42,000 on Capital Account be granted to the President to *complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Agriculture'."

DEMAND NO. 4—FISHERIES

"That a sum not exceeding Rs 6,17,97,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 1,06,50,000 on Capital Account be granted to the President to *complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Fisheries'."

DEMAND NO. 5—ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRY DEVELOPMENT

"That a sum not exceeding Rs 26,41,11,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 2,40,33,000 on Capital Account be granted to the President to *complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Animal Husbandry and Dairy Development'."

DEMAND NO. 6—FOREST

"That a sum not exceeding Rs. 7,49,00,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 45,83,000 on Capital Account be granted to the President to *complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Forest'."

DEMAND NO. 7—PAYMENTS TO INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURE RESEARCH

"That a sum not exceeding Rs. 29,11,80,000 on Revenue Account be granted to the President to *complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Payments to Indian Council of Agricultural Research'."

DEMAND NO. 8—DEPARTMENT OF FOOD

"That a sum not exceeding Rs. 100,10,53,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 10,99,83,000 on Capital Account be granted to the President to *complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Department of Food'."

DEMAND NO. 9—DEPARTMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT

"That a sum not exceeding Rs. 24,65,11,000 on revenue Account be granted to the President to *complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Department of Community Development'."

DEMAND NO. 10—DEPARTMENT OF CO-OPERATION

"That a sum not exceeding Rs. 5,53,68,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 17,59,37,000 on Capital Account be granted to the President to *complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1975, in respect of 'Department of Cooperation' "

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Half an-Hour discussion standing in the name of Shri Chandra Shailani.